भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन

राज्य का वित्त

बिहार सरकार

विषय–सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय –I राज्य सरकार का वित्त		
बिहार का परिचय	1	1
प्रस्तावना	1.1	2
राज्य के संसाधन	1.2	5
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	8
पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.4	13
लोक लेखा प्राप्तियाँ	1.5	14
संसाधनों का उपयोग	1.6	14
व्यय की गुणवत्ता	1.7	19
सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण	1.8	21
परिसंपत्ति एवं देयता	1.9	24
ऋण प्रबंधन	1.10	27
राजकोषीय असंतुलन	1.11	35
निष्कर्ष	1.12	38
अनुशंसाएँ	1.13	39
अध्याय –II वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	41
विनियोग लेखा का सारांश	2.2	42
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	42
विशेष रूप से सहायता अनुदान से व्यय की त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण	2.4	48
असमाशोधित व्यय	2.5	48
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.6	49
वित्त विभाग में लागू प्रणाली एवं नियंत्रण	2.7	49
"अनुदान संख्या–12 वित्त विभाग" की समीक्षा	2.8	51
"अनुदान संख्या–43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग" की समीक्षा	2.9	53
निष्कर्ष	2.10	55
अनुशंसाएँ	2.11	55
अध्याय – III वित्तीय प्रतिवेदन		
लंबित विस्तृत आकस्मिक विपत्र	3.1	57

विषय–सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रस्तुति में विलंब	3.2	57
प्रमाणीकरण हेतु कुछ प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुतीकरण में विलंब	3.3	58
मुख्य उचंत शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष	3.4	58
अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का असमायोजन	3.5	59
प्राप्तियों एवं व्यय का असमाशोधन	3.6	60
बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष – 800 की कार्य प्रक्रिया	3.7	60
गबन के मामलों का प्रतिवेदन	3.8	60
निष्कर्ष	3.9	61
अनुशंसाएँ	3.10	61

परिशिष्ट

संख्या		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1.1	राज्य का परिचय	1	63
1.2	भाग 'क': सरकारी लेखा की संरचना एवं रूपरेखा	1.1	64
1.2	भाग 'ख' वित्त लेखा की रूपरेखा	1.1	64
1.3 भाग क	राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.)	1.1	66
1.3 भाग ख	राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनायी गयी पद्धति	1.1	67
1.4	वर्ष 2012–13 की प्राप्तियाँ एवं संवितरणों का सार	1.1.1, 1.6.2	68
1.5	वर्ष 2012–13 के लिए बजट प्राक्कलन यथा वास्तविकी	1.1.2	72
1.6	राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को निधि का सीधा हस्तांतरण	1.2.1	73
1.7	राज्य सरकार के वित्त के कालश्रृंखला आंकड़े	1.3, 1.3.1.1	74
1.8	31 मार्च 2013 को बिहार सरकार के वित्तीय स्थिति का सार	1.9.1	76
2.1	₹ 10 करोड़ एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत वाले अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी	2.3.1	77
2.2	अनुदानों की सूची जहॉ वर्ष 2008–13 के दौरान सतत् बचत हुए	2.3.2	78
2.3	विगत वर्षों में प्रावधान से अधिक व्यय जिन्हें विनियमित किया जाना आवश्यक है	2.3.3	79
2.4	अनुपूरक प्रावधान के मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) जो अनावश्यक साबित हुए	2.3.4	80
2.5	निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोजन	2.3.5	82
2.6	निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अपर्याप्त निकासी	2.3.5	86

विषय–सूची

संख्या	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
2.7	वर्ष के दौरान प्रचुर अभ्यर्पण (₹ पॉच करोड़ या कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक)	2.3.6	90
2.8	निधियों का शत् प्रतिशत अभ्यर्पण	2.3.6	97
2.9	प्रत्येक मामलें में ₹ एक करोड़ या अधिक एवं 10 प्रतिशत से ज्यादा अभ्यर्पित न किए गए बचत की विवरणी	2.3.8	105
2.10	31 मार्च 2013 को ₹ 10 करोड़ तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक निधियों का अभ्यर्पण के मामले	2.3.8	106
2.11	मार्च 2013 में सघन व्यय	2.3.9	108
2.12	वर्ष 2012–13 के दौरान ₹ 10 करोड़ से ज्यादा (प्रत्येक मामले में) की असमाशोधित राशि की विवरणी	2.5	109
2.13	नित्य प्रयोजन के लिए आकस्मिकता निधि से निकासी की विस्तृत विवरणी	2.6	111
2.14	अभ्यर्पणों की विवरणी	2.7.1	113
2.15	अंतिम माह को अभ्यर्पित किये गए निधि का विवरण	2.8.4	115
2.16	विभागीय व्यय के असमाशोधित ऑकड़ें	2.8.5	117
2.17	31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित निधि का विवरण	2.9.3	118
3.1	प्रमाणीकरण हेतु संबंधित प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुतीकरण में विलंब	3.3	119
3.2	लघु शीर्ष 800–"अन्य व्यय" के परिचालन में प्रचुर व्यय	3.7	120
3.3	लघु शीर्ष 800–"अन्य प्राप्तियाँ" के परिचालन में प्रचुर प्राप्ति	3.7	121
3.4	गबन के मामलों का प्रतिवेदन	3.8	122
संकेताक्षरों की शब्दावली			123

प्रा क्क थ न

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है ।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय I एवं II में 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष में राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखा तथा विनियोग लेखा की जॉच से उठे मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणी शामिल है । जहॉ आवश्यक हुआ, बिहार सरकार से सूचना प्राप्त किया गया है ।

3. वित्तीय प्रतिवेदन पर अध्याय III चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियम, प्रक्रिया एवं निदेशों के प्रति राज्य सरकार के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति प्रस्तुत करता है ।

4. निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विभिन्न विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष तथा सांविधिक निगमों, बोर्डों तथा सरकारी कम्पनियों के लेखापरीक्षा अवलोकन को शामिल करने वाले प्रतिवेदन एवं राजस्व प्राप्तियों पर अवलोकन को समाहित करने वाले प्रतिवेदन को अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमि

यह प्रतिवेदन वर्ष 2012–13 के दौरान बिहार सरकार के वित्त पर वित्तीय निष्पादन का आकलन करने तथा राज्य सरकार और राज्य विधान मंडल को उचित प्रकार से वित्तीय आंकड़ों पर लेखापरीक्षा विश्लेषण के रूप में सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत है। इस विश्लेषण को उचित परिपेक्ष्य में रखने के लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010, तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन एवं बजट अनुमान 2012–13 में दिये गए लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियों की तुलना का प्रयास किया गया है।

यह प्रतिवेदन

मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के लेखा परीक्षित लेखाओं पर आधारित यह प्रतिवेदन, सरकार के वार्षिक लेखे की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करती है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय–I वित्त लेखा की लेखापरीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2013 तक के बिहार सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह पूर्व वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय संचय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी तथा ऋण की अदायगी तथा उधार प्रतिमान की प्रवृत्तियों की जानकारी देने के अतिरिक्त बजट से इतर मार्ग से राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को सीधे स्थानांतरित केन्द्रीय निधियों का संक्षिप्त लेखा भी उपलब्ध कराता है।

अध्याय–II विनियोग लेखा की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोगों का अनुदानवार विवरण देता है तथा सेवा प्रदायी विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंध के ढ़ंग का वर्णन करता है। इसमें "अनुदान संख्या–12 वित्त विभाग की समीक्षा" तथा "अनुदान संख्या–43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग की समीक्षा" नामक दो अनुदानों की विस्तृत समीक्षा दी गयी है। इसमें यह पता लगाने की चेष्टा की गयी है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत हुए व्यय वास्तव में विनियोजन अधिनियम के अंतर्गत दिये गए प्राधिकरण में हुए थे अथवा नहीं।

अध्याय–III विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के साथ बिहार सरकार के अनुपालन की एक सूची है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष के समर्थन में विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों से एकत्रित किए गए आँकड़े भी इस अध्याय में होते हैं।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष

अध्याय I

राजस्व प्राप्तियाँ: इस वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 16.07 प्रतिशत (₹ 8246.49 करोड़) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः अपने कर राजस्व में 28.87 प्रतिशत (₹ 3640.98 करोड़)

तथा संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश में 14.19 प्रतिशत (₹ 3965.16 करोड़) की वृद्धि के कारण हुई।

कर राजस्वः राज्य का अपना कर राजस्व (₹ 16253.08 करोड) बजट प्राक्कलन (₹ 15695.30 करोड़) तथा तेरहवें वित्त आयोग के निर्धारण (₹ 10537.39 करोड़) से क्रमशः 3.55 प्रतिशत (₹ 557.78 करोड़) तथा 54.24 प्रतिशत (₹ 5715.69 करोड) अधिक हो गया।

करेत्तर राजस्वः पूर्व वर्ष की तुलना में करेत्तर राजस्व (₹ 1135.27 करोड़) 27.58 प्रतिशत (₹ 245.41 करोड़) से अधिक हो गया । यद्यपि करेत्तर राजस्व बजट प्राक्कलन (₹ 3142.46 करोड़) से 63.87 प्रतिशत (₹ 2007.19 करोड़) कम था तथा तेरहवें वित्त आयोग के निर्धारण (₹ 1907.27 करोड़) से 40.48 प्रतिशत (₹ 772 करोड़) नीचे था।

राजस्व व्ययः वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (₹ 54466.15 करोड़) में 17.13 प्रतिशत (₹ 7966.66 करोड़) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः सामान्य सेवाओं पर व्यय में 5.16 प्रतिशत (₹ 915.39 करोड़), सामाजिक सेवाओं में 23.38 प्रतिशत (₹ 4378.59 करोड़) तथा आर्थिक सेवाओं में 26.62 प्रतिशत (₹ 2672.14 करोड़) की वृद्धि के कारण हुई। तथापि, वर्ष के दौरान राजस्व व्यय बजट प्राक्कलन (₹ 60959.27 करोड़) से 10.65 प्रतिशत (₹ 6493.12 करोड़) कम था।

गैर योजना एवं योजना व्ययः वर्ष के दौरान गैर योजना व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) में 10.61 प्रतिशत (₹ 3614.59 करोड़) की वृद्धि हुई तथा योजनागत व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) में 23.87 प्रतिशत (₹ 5084.58 करोड़) की वृद्धि हुई।

राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को भारत सरकार द्वारा सीधे हस्तांतरित निधिः वर्ष 2012–13 के दौरान भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को ₹ 8314.38 करोड़ सीधे हस्तांतरित किया जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में सात प्रतिशत कम था। यह राशि बजट/राज्य कोषागार प्रणाली के इतर मार्ग से था तथा इसलिए यह राज्य के वित्त लेखा में वर्णित नहीं था।

स्थानीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायताः वर्ष 2011–12 में वित्तीय सहायता ₹ 14444 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 के दौरान ₹ 17454 करोड़ हो गयी। पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 3010 करोड़ (21 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः शैक्षणिक संस्था (₹ 2750 करोड़), नगर निगम तथा नगर निकाय (₹ 317 करोड़) तथा विकास एजेन्सियों (₹ 49 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई। तथापि अन्य संस्थाओं की सहायता में ₹ 142 करोड़ की कमी आई।

अपूर्ण परियोजनाएँः सम्मिलित रूप से 298 योजनाओं/परियोजनाओं (अनुमानित लागत ₹ 3829.75 करोड़) को मार्च 2013 तक पूर्ण होना था, परंतु वे अपूर्ण रहे जिसके फलस्वरूप ₹ 1487.57 करोड़ अवरूद्ध हो गया।

राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिमः प्रदत्त ऋण की मात्रा वर्ष 2011–12 में ₹ 1906.08 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 2085.95 करोड़ हो गयी।

नकदी शेषः वर्ष 2011–12 के दौरान नकद शेष ₹ 1509.45 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 के दौरान ₹ 3715.58 करोड़ हो गया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के

प्रतिभूतियों में राज्य सरकार का निवेश 31 मार्च 2013 को ₹ 429.81 करोड़ से बढ़कर ₹ 2069.72 करोड़ हो गया।

राजकोषीय देयताः राज्य की देयता वर्ष 2008–09 में ₹ 54976.75 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 76503 करोड़ हो गया।

अध्याय II

वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधनः मार्च 2013 में ₹ 4421.04 करोड़ (21 मुख्य शीर्षो के अंतर्गत कुल व्यय ₹ 7396.10 करोड का 59.77 प्रतिशत) का व्यय हुआ। इस प्रकार, वर्ष के अंतिम भाग में विभाग द्वारा वृहत राशि का व्यय, दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन, नियंत्री अधिकारियों द्वारा व्यय पर प्रभावी नियंत्रण का अभाव तथा वित्तीय वर्ष के सिर्फ अंतिम भाग में बजट का उपयोग करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

वर्ष 2012–13 के दौरान 78 मुख्य शीर्षो के अंतर्गत ₹ 53332.91 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक) के व्यय का समाशोधन नहीं किया गया था।

"अनुदान संख्या–12 वित्त विभाग" की समीक्षा से प्रकट हुआ कि ₹ 212.58 करोड़ के कुल अभ्यर्पण में से ₹ 207.06 करोड़ (98 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2012–13 के अंतिम दिन में अभ्यर्पित (17 मामले) किये गये।

अध्याय III

वित्तीय प्रतिवेदनः

वर्ष 2012–13 तक भुगतान किये गए ₹ 34686.57 करोड़ के सहायता अनुदान के संबंध में 1522 उपयोगिता प्रमाण–पत्र 31 मार्च 2013 तक प्रेषण हेतु लंबित था।

आठ संबंधित विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा 31 मार्च 2013 तक आहरित ₹ 159.91 करोड़ का अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय 31 मार्च 2013 तक समायोजन हेतु लंबित था।

अध्याय I

राज्य सरकार का वित्त

अध्याय I

राज्य सरकार का वित्त

1. बिहार का परिचय

बिहार भू–भाग से घिरा एक ऐसा राज्य है जिसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखण्ड एवं उत्तर में नेपाल से सटी लम्बी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भौगोलिक आकार (94163 वर्ग किमी) के दृष्टिकोण से यह भारत का बारहवाँ एवं जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार राज्य में 38 जिले हैं।

बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है तथा राज्य के पास कोई महत्वपूर्ण खनिज संपदा नहीं है। जैसा कि ***परिशिष्ट 1.1*** में दर्शाया गया है कि जनसंख्या घनत्व 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी (2001) से बढ़कर 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी (2011) हो गया है। बिहार की गरीबी रेखा संपूर्ण भारत की औसत गरीबी से अधिक है। तथापि राज्य ने 2003–04 से 2012–13 तक की अवधि में उच्च आर्थिक विकास प्रदर्शित किया है जैसे कि इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मिश्रित वार्षिक विकास दर 18.04 प्रतिशत रहा जबकि इसकी तुलना में सामान्य दर्जे के राज्यों[1] का विकास दर 16.37 प्रतिशत रहा। इस अवधि के दौरान इसकी जनसंख्या सामान्य दर्जे के राज्यों की जनसंख्या की औसत वृद्धि[2] 13.22 प्रतिशत की तुलना में 14.11 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2003–04 से 2012–13 के अवधि के दौरान बिहार में प्रति व्यक्ति आय मिश्रित वार्षिक विकास दर 16.32 प्रतिशत, सामान्य दर्जे के राज्यों की औसत मिश्रित वार्षिक विकास दर 14.94 प्रतिशत की तुलना में थोड़ा अधिक रहा।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी. एस. डी. पी.)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद निश्चित समय की अवधि में राज्य के भीतर सभी अधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त अंतिम उत्पाद एवं सेवा का बाजार मूल्य होता है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विकास राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शक होता है क्योंकि यह राज्य की जनसंख्या का जीवन स्तर प्रदर्शित करता है। चालू मूल्य पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (आधार वर्ष 2004–05) के वार्षिक विकास की प्रवृति नीचे **तालिका 1.1** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.1 : सकल राज्य घरेलू उत्पाद

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	5303567	6108903	7266967	8353495	9461013
भारत के सकल घरेलू उत्पाद का विकास दर (प्रतिशतता)	15.75	15.18	18.96	14.95	13.26
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹करोड़ में)	142279	164547	198135(पी)[3]	246487(क्यू)	294388(ए)
राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विकास दर (प्रतिशत)	19.64	15.65	20.41	24.40	19.43

(स्त्रोतः केन्द्र एवं राज्य सरकार के योजना आयोग के आंकड़ें)

[1] *ग्यारह विशेष श्रेणी के राज्यों (अरूणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड़, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तराखण्ड) के अतिरिक्त अन्य राज्य।*

[2] *सामान्य श्रेणी के राज्यों के अखिल भारतीय औसत की गणना 16 सामान्य श्रेणी के राज्यों से प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर की गयी है (दिल्ली, गोवा, तथा पुडुचेरी को छोड़कर)।*

[3] *(पी:– अनंतिम, क्यू.–त्वरित, ए.–अग्रिम)।*

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान बिहार सरकार के वित्त का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है। यह पिछले पाँच वर्षो के समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय संचय में विवेचनात्मक परिवर्तन को विश्लेषित करता है। सरकार के लेखा की संरचना एवं रूपरेखा ***परिशिष्ट 1.2 के भाग 'क'*** में वर्णित है तथा वित्तीय लेखा की रूपरेखा ***परिशिष्ट 1.2 के भाग 'ख'*** में दर्शाया गया है। यह विश्लेषण राज्य के वित्त लेखा तथा राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर किया गया है। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में, राज्य सरकार ने बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम 2010 (एफ.आर.बी.एम) बनाया है, जो कि ***परिशिष्ट 1.3 भाग 'ख'*** में दर्शाया गया है। एफ. आर. बी. एम. (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा विनिर्दिष्ट नियम राज्य तथा राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अपनायी गयी पद्धति ***परिशिष्ट 1.3*** के ***भाग 'ख'*** में दी गयी है।

1.1.1 राजकोषीय लेन–देन का सारांश

तालिका 1.2 पिछले वर्ष (2011–12) की तुलना में चालू वर्ष (2012–13) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन–देन के सारांश को दर्शाता है जबकि चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ–साथ प्राप्तियाँ एवं संवितरण का विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 1.4*** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.2: 2012–13 में राजकोषीय प्रचालन का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	**2011-12**	**2012-13**	*संवितरण*	**2011-12**	**2012-13**		
खण्ड–'क' राजस्व					*गैर–योजना*	*योजना*	*योग*
राजस्व प्राप्तियाँ	**51320.17**	**59566.66**	राजस्व व्यय	**46499.49**	**37573.69**	**16892.46**	**54466.15**
कर राजस्व	12612.10	16253.08	सामान्य सेवाएँ	17729.72	18570.99	74.12	18645.11
करेत्तर राजस्व	889.86	1135.27	समाजिक सेवाएँ	18728.78	11078.22	12029.15	23107.37
संघीय कर/ शुल्कों का अंश	27935.23	31900.39	आर्थिक सेवाएँ	10037.82	7920.77	4789.19	12709.96
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	9882.98	10277.92	सहायता अनुदान एवं अंशदान	3.17	3.71	0.00	3.71
खण्ड–'ख' पूँजी एवं अन्य							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	पूँजीगत व्यय	8852.01	93.15	9491.37	9584.52
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	22.51	24.70	ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	1906.08	104.07	1981.88	2085.95
लोक ऋण प्राप्तियाँ	6627.96	9553.96	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	2922.46	-	-	3069.96
अंतर्राज्यीय परिशोधन	75.41	0.00	अंतर्राज्यीय परिशोधन	1.39	-	-	0.00
आकस्मिकता निधि	800.00	2250.00	आकस्मिकता निधि	800.00	-	-	2250.00
लोक लेखा प्राप्तियाँ	22302.61	27066.21	लोक लेखा संवितरण	21393.22			24798.82
प्रारंभिक नकद शेष	2735.44	1509.45	अंतिम नकद शेष	1509.45	-	-	3715.58
योग	**83884.10**	**99970.98**	**योग**	**83884.10**			**99970.98**

(स्त्रोतः राज्य का वित्त लेखा, 2012–13)

पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2012–13 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं :

- वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 16.07 प्रतिशत (₹ 8246.49 करोड़) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः अपने कर राजस्व में 28.87 प्रतिशत (₹ 3640.98 करोड़) तथा संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश में 14.19 प्रतिशत (₹ 3965.16 करोड़) की वृद्धि के कारण हुई।

- राज्य का अपना कर राजस्व (₹ 16253.08 करोड) बजट प्राक्कलन (₹ 15695.30 करोड़) तथा तेरहवें वित्त आयोग के निर्धारण (₹ 10537.39 करोड़) से क्रमशः 3.55 प्रतिशत (₹ 557.78 करोड़) तथा 54.24 प्रतिशत (₹ 5715.69 करोड) अधिक हो गया। अपने कर राजस्व में वृद्धि का मुख्य कारण माल एवं यात्री कर में 133 प्रतिशत (₹ 1103.82 करोड़), मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क में 47 प्रतिशत (₹ 692.95 करोड़), राज्य उत्पाद में 23 प्रतिशत (₹ 448.84 करोड़) तथा वाहन पर कर में 18 प्रतिशत (₹ 104.26 करोड़) में वृद्धि है ।

- पूर्व वर्ष की तुलना में करेत्तर राजस्व (₹ 1135.27 करोड़) 27.58 प्रतिशत (₹ 245.41 करोड़) से अधिक हो गया । यद्यपि करेत्तर राजस्व 63.87 प्रतिशत (₹ 2007.19 करोड़) बजट प्राक्कलन (₹ 3142.46 करोड़) से कम था तथा तेरहवें वित्त आयोग (₹ 1907.27 करोड़) के निर्धारण से 40.48 प्रतिशत (₹ 772 करोड़) नीचे था। करेत्तर राजस्व में वृद्धि का मुख्य कारण अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग एवं पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के योगदान तथा वसूली में क्रमशः ₹ 68 करोड़ तथा ₹ 149.55 करोड़ की वृद्धि था ।

- वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (₹ 54466.15 करोड़) में 17.13 प्रतिशत (₹ 7966.66 करोड़) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः सामान्य सेवाओ पर व्यय में 5.16 प्रतिशत (₹ 915.39 करोड़), सामाजिक सेवाओं में 23.38 प्रतिशत (₹ 4378.59 करोड़) तथा आर्थिक सेवाओं में 26.62 प्रतिशत (₹ 2672.14 करोड़) की वृद्धि के कारण हुई। तथापि, वर्ष के दौरान राजस्व व्यय बजट प्राक्कलन (₹ 60959.27 करोड़) से 10.65 प्रतिशत (₹ 6493.12 करोड़) कम था।

- वर्ष के दौरान गैर योजना व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) में 10.61 प्रतिशत (₹ 3614.59 करोड़) की वृद्धि हुई तथा योजनागत व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) में 23.87 प्रतिशत (₹ 5084.58 करोड़) की वृद्धि हुई।

- ऋण एवं अग्रिम की वसूली में 9.73 प्रतिशत (₹ 2.19 करोड़) की वृद्धि हुई। इसी प्रकार ऋण एवं अग्रिम के संवितरण में 9.44 प्रतिशत (₹ 179.87 करोड़) की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप पूर्व वर्ष की तुलना में संवितरण में ₹ 177.68 करोड़ की निवल वृद्धि हुई।

- वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में 8.28 प्रतिशत (₹ 732.51करोड़) की वृद्धि हुई।

- लोक लेखा प्राप्तियों में 21.36 प्रतिशत (₹ 4763.60 करोड़) की वृद्धि हुई जबकि संवितरणों में 15.92 प्रतिशत (₹ 3405.60 करोड़) की वृद्धि हुई। इसके परिणामतः पूर्व वर्ष की तुलना में लोक लेखा में ₹ 1358 करोड़ की निवल वृद्धि हुई।

- लोक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियों में 44.15 प्रतिशत (₹ 2926 करोड़) की वृद्धि हुई परिणामतः इसके पुनर्भुगतान में 5.05 प्रतिशत (₹147.50 करोड़) की वृद्धि हुई जिसके कारण लोक ऋण में ₹ 2778.50 करोड़ की निवल वृद्धि हुई।

- इन लेन–देन के परिणाम स्वरूप वर्ष के अंत में नकद शेष के रूप में 146.15 प्रतिशत (₹ 2206.13 करोड़) की वृद्धि हुई।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बिहार सरकार ने बिहार राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 बनाया। एफ. आर. बी. एम. अधिनियम, 2006 का संशोधन वर्ष 2010 में किया गया तथा इसका नाम बिहार राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010 रखा गया।

इस अधिनियम के अनुपालन में, राज्य सरकार ने छः वर्ष विलंब के पश्चात् वर्ष 2012–13 की अवधि में प्रक्षेपण हेतु एक मध्यावधि राजकोषीय योजना (एम टी एफ पी) फरवरी 2013 में बनाया था। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य को राजस्व घाटा दूर करना था तथा राजकोषीय घाटा को वर्ष 2012–13 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के तीन प्रतिशत के भीतर रखना था।

एफ. आर. बी. एम. अधिनियम 2006 की धारा (12) निर्दिष्ट करता है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन करने हेतु अधिसूचना जारी कर नियम बनाएगी। परन्तु सितम्बर 2013 तक अधिनियम के अंतर्गत कोई नियम नहीं बनाया गया।

तालिका 1.3: राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

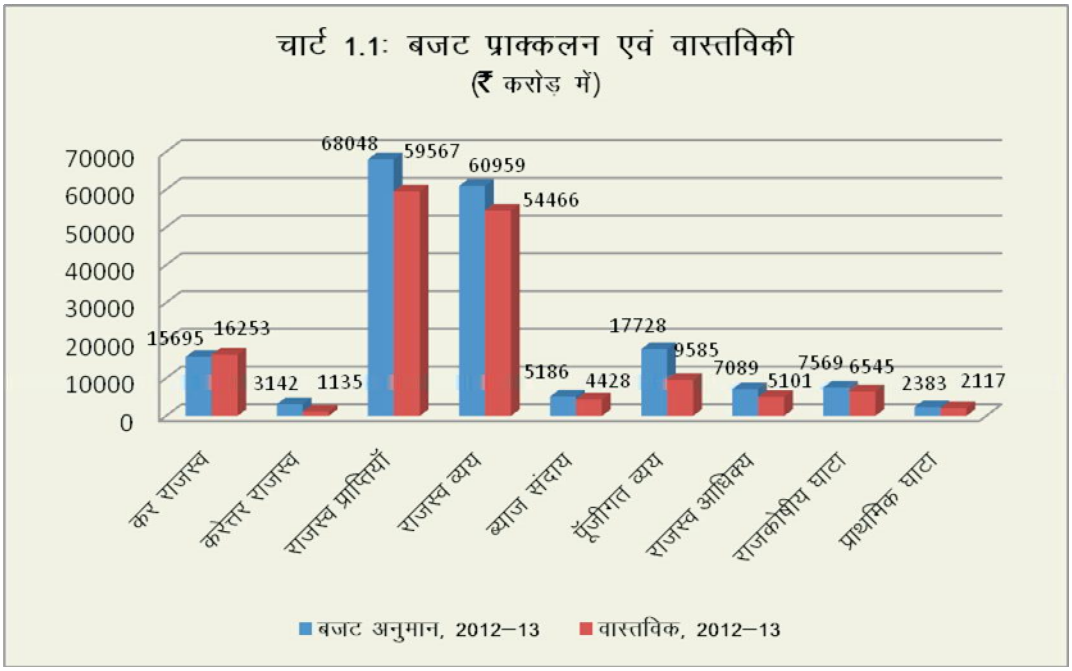
राजकोषीय परिवर्ती कारक	2012-13				
	राज्य हेतु तेरहवें वित्त आयोग के लक्ष्य	एफ आर बी एम अधिनियम में विहित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना/एम टी एफ पी में बनाये गये प्रक्षेपण	वास्तविकी
राजस्व घाटा (–)/ आधिक्य(+) (₹ करोड़ में)	शून्य राजस्व घाटा या राजस्व आधिक्य	शून्य प्रतिशत राजस्व घाटा या राजस्व आधिक्य	(-) 7088.59	(-) 8028.06	5100.51
राजकोषीय घाटा/ जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत में)	3	3	2.87	2.97	2.22
जी.एस.डी.पी. की तुलना में राज्य के कुल बकाया ऋण का अनुपात (प्रतिशत में)	44.60	44.60	28.11	प्रक्षेपित नहीं	25.99

(स्त्रोतः वर्ष 2012–13 के लिए तेरहवाँ वित्त आयोग, एफ आर बी एम अधिनियम, बजट तथा एम टी एफ पी आँकड़े)

राज्य सरकार को वर्ष 2007–08 से 2012–13 तक राजस्व अधिशेष हुआ। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा एफ आर बी एम अधिनियम के विहित सीमा के भीतर ही रहा।

1.1.3 बजट प्राक्कलन एवं वास्तविकी

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट एक विशिष्ट राजकोषीय वर्ष के राजस्व एवं व्यय के प्रक्षेपण अथवा प्राक्कलन का विवरण प्रदान करता है। राजस्व तथा व्यय के आकलन में विशुद्धता की महत्ता समग्र आर्थिक प्रबंधन हेतु राजकोषीय नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के संदर्भ में व्यापक रूप से स्वीकार किये जाते है। बजट प्राक्कलन से विचलन वांछित राजकोषीय उद्देश्यों की अप्राप्ति तथा इष्टतम उपयोग नहीं होने का सूचक है। **चार्ट 1.1** वर्ष 2012–13 के कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मानक के बजट प्राक्कलन तथा वास्तविकी को प्रस्तुत करता है जिसे नीचे दर्शाया गया है। बजट प्राक्कलन यथा वास्तविकी का विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 1.5*** में भी दिया गया है।



(स्त्रोतः बजट तथा राज्य का वित्त लेखा, 2012–13)

उपर्युक्त चार्ट से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2012–13 के दौरान बजट प्राक्कलन के विरूद्ध वास्तविक आँकड़ो में निम्नलिखित परिवर्तन हुए जिसकी समीक्षा नीचे की गयी है:

- राजस्व प्राप्तियाँ बजट प्राक्कलन में किये गये प्रक्षेपण से ₹ 8481 करोड़ (12 प्रतिशत) कम था जिसका मुख्य कारण बजट प्राक्कलन की तुलना में ₹ 2007 करोड़ (64 प्रतिशत) के करेत्तर राजस्व में कमी होना था । तथापि कर राजस्व में ₹ 558 करोड़ (चार प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय, बजट प्राक्कलन से क्रमशः ₹ 6493 करोड़ (11 प्रतिशत) एवं ₹ 8143 करोड़ (46 प्रतिशत) कम था। राजस्व व्यय में अंतर का कारण सामान्य सेवाओं के अंतर्गत ₹ 3548 करोड़ सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 2525 करोड़ तथा आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 420 करोड़ का कम व्यय था।
- राजस्व अधिशेष बजट प्राक्कलन से ₹ 1988 करोड़ (28 प्रतिशत) कम था जिसका मुख्य कारण बजट प्राक्कलन में किये गये प्रक्षेपण से राजस्व प्राप्तियों में ₹ 8481 करोड़ की कमी तथा राजस्व व्यय में बजट प्राक्कलन में किये गये प्रक्षेपण से ₹ 6493 करोड़ की कमी था।
- बजट प्राक्कलन (₹ 7569 करोड़) में किये गये प्रक्षेपण से राजकोषीय घाटा ₹ 1024 करोड़ कम था जिसका मुख्य कारण बजट प्राक्कलन में किये गए प्रावधानों से राजस्व अधिशेष ₹ 1988 करोड़ कम था।
- बजट प्राक्कलन में किये गए प्रक्षेपण से प्राथमिक घाटा में ₹ 266 करोड़ की कमी हो गयी।

1.2 राज्य के संसाधन[#]

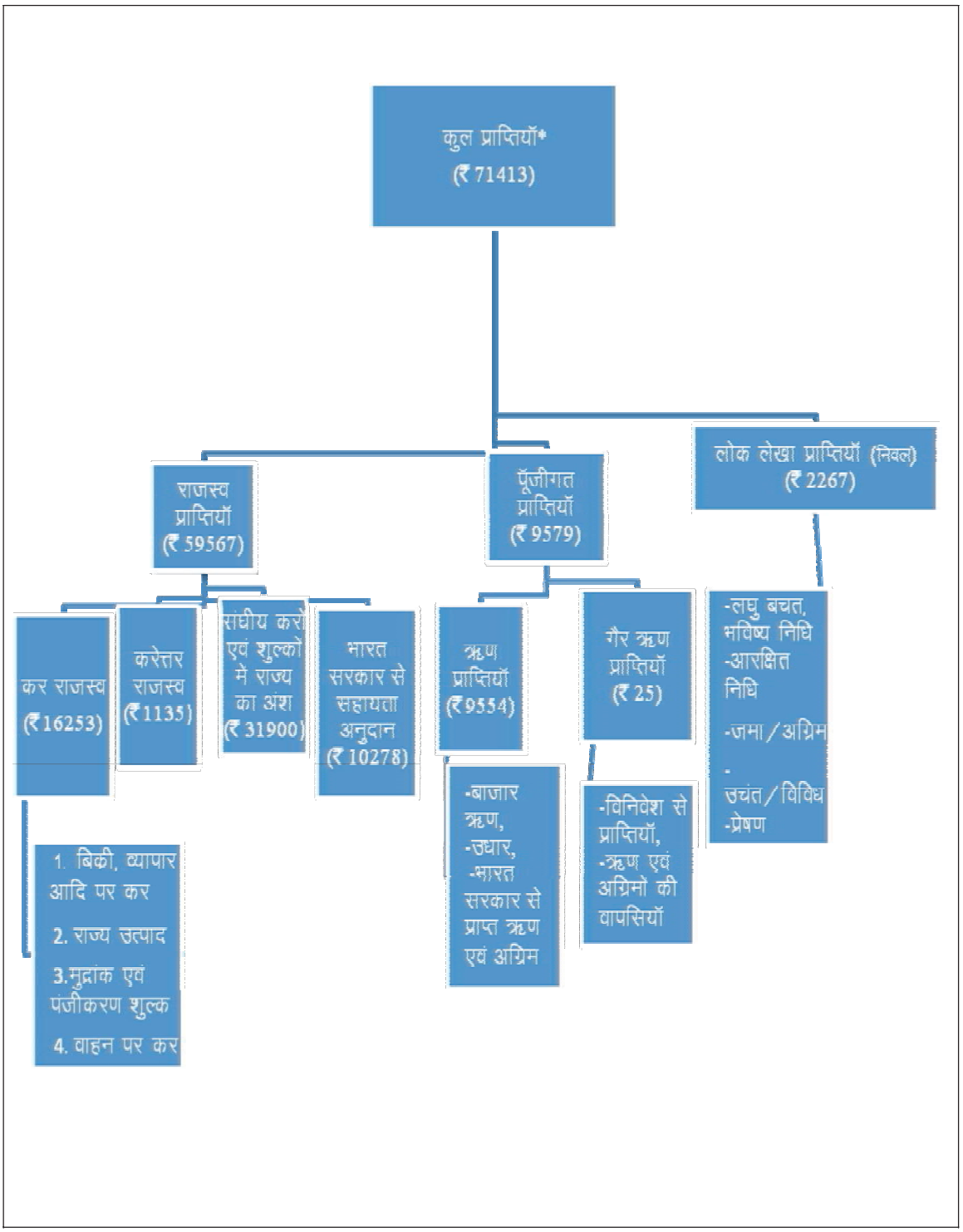
राज्य सरकार के संसाधन प्राप्तियों के दो प्रवाह–राजस्व और पूँजीगत से बने हैं। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश एवं भारत सरकार का सहायता अनुदान शामिल है। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोत

[#] *वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य का संसाधन।*

(बाजार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंको से उधार) से ऋण प्राप्ति तथा भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त संवितरण के पश्चात् लोक लेखा में उपलब्ध निधि का उपयोग भी सरकार द्वारा अपने घाटे का वित्त पोषण में किया गया। जैसा कि वार्षिक वित्त लेखा में अभिलिखित है, **तालिका 1.2** चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्ति तथा संवितरण को प्रस्तुत करता है जबकि **चार्ट 1.2** वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न अवयवों की प्रवृति को प्रदर्शित करता है।

चार्ट 1.2: संसाधनों के घटक एवं उप–घटक

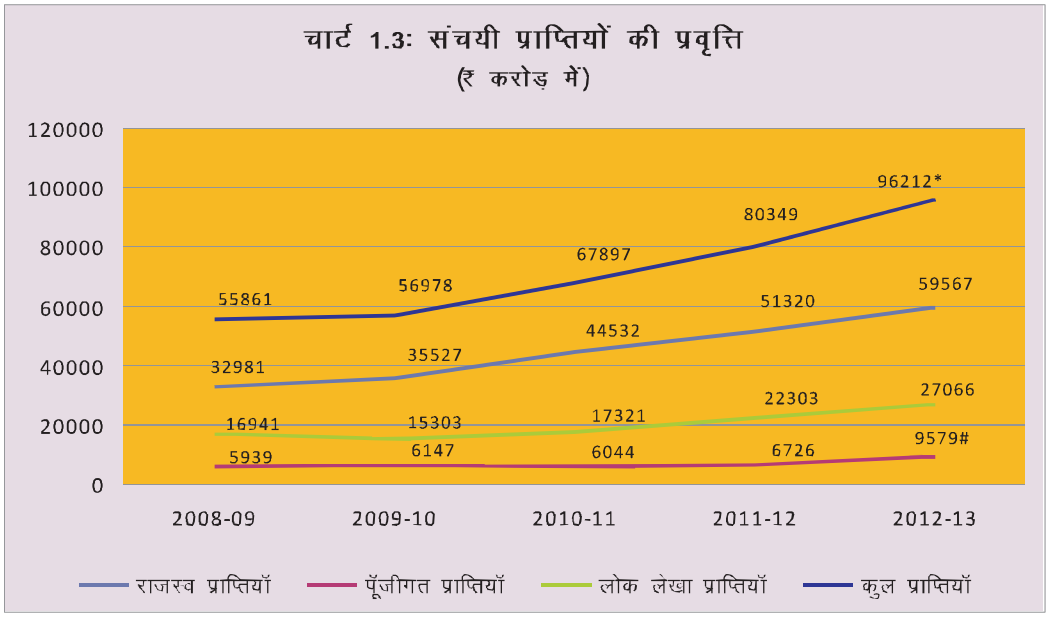
(₹ करोड़ में)



** कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियाँ, पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल) शामिल हैं ।*

(स्त्रोतः राज्य का वित्त लेखा, वर्ष 2012–13)

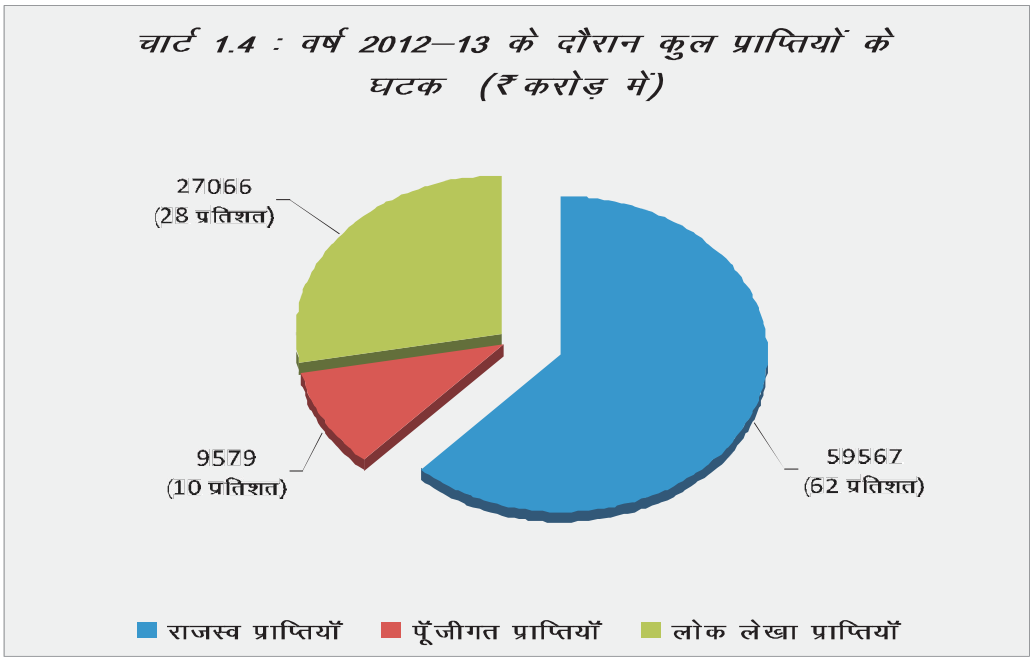
चार्ट 1.3 वर्ष 2008—13 के दौरान प्राप्तियों की प्रवृति को प्रदर्शित करता है तथा **चार्ट 1.4** वर्ष 2012—13 के दौरान इनके प्राप्तियों के घटक को इंगित करता है।



(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखा)

कुल प्राप्तियाँ वर्ष 2008—09 में ₹ 55861 करोड़ से 72 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2012—13 में ₹ 96212 करोड़ हो गयी। इसके अतिरिक्त पूर्व वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में ₹ 15863 करोड़ (20 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

निम्नलिखित **चार्ट** वर्ष 2012—13 के कुल प्राप्तियों (₹ 96212 करोड़) की प्रतिशतता के रूप में प्राप्तियों के घटक की स्थिति को दर्शाता है ।



(स्त्रोतः राज्य का वित्त लेखा, 2012—13)

* *कुल प्राप्तियों में, राजस्व प्राप्तियाँ, पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं लोक लेखा प्राप्तियाँ शामिल है ।*

\# *पूँजीगत प्राप्तियों में लोक ऋण प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली तथा अंतर्राज्यीय परिशोधन शामिल है ।*

वर्ष 2012–13 के दौरान कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 62 प्रतिशत था तथा यह वर्ष 2011–12 के ₹ 51320 करोड़ से 16 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 59567 करोड़ हो गया।
पूँजीगत प्राप्तियॉ 61 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2008–09 में ₹ 5939 करोड़ से वर्ष 2012–13 में ₹ 9579 करोड़ हो गया । वर्ष 2012–13 में पूँजीगत प्राप्तियॉ, कुल प्राप्तियों का 10 प्रतिशत था ।

लोक लेखा प्राप्तियाँ उन प्राप्तियों का प्रतिनिधित्व करती है जिसके लिए सरकार लोक धन हेतु बैंकर/न्यासी की भूमिका अदा करती है। उपर्युक्त चार्ट में यह देखा जा सकता है कि औसतन वर्ष 2012–13 के दौरान यह कुल प्राप्तियों का 28 प्रतिशत था । वर्ष 2012–13 के दौरान पूर्व वर्ष की तुलना में लोक लेखा प्राप्तियों में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.2.1 राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को निधियों का हस्तांतरण

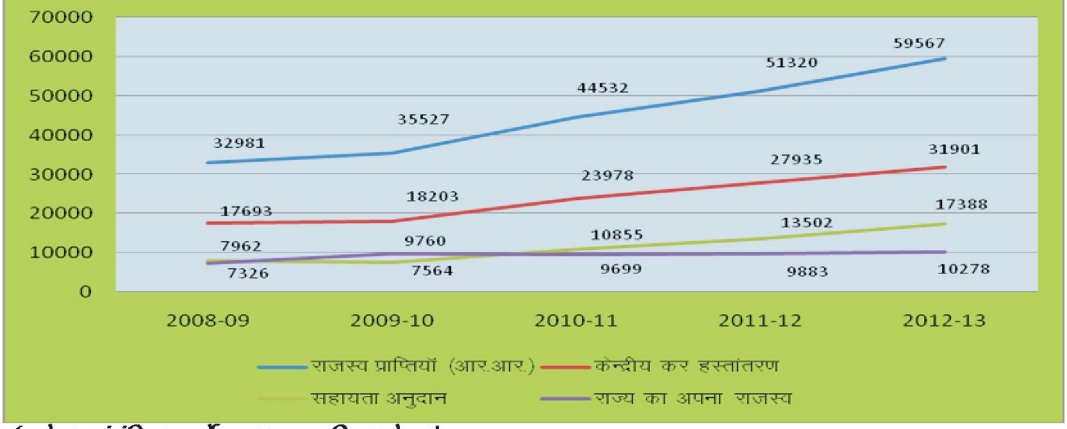
भारत सरकार द्वारा निधियों का एक बड़ा अंश विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों[4] को हस्तांतरित किया जाता है जिसे संकटकालीन माना जाता है। चूँकि वर्तमान प्रक्रिया में ये निधियाँ राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली से होकर नहीं गुजरती है, अतः इनका उल्लेख राज्य के वित्त लेखे में नहीं पाया जाता है। इस प्रकार, राज्य का वार्षिक वित्त लेखे राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन संसाधनों का पूर्व परिदृश्य प्रस्तुत नहीं करता है। कुल निधियों की उपलब्धता का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने के लिए राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को सीधे निधियों का हस्तांतरण ***परिशिष्ट 1.6*** में दर्शाया गया है।

वर्ष 2012–13 के दौरान भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को ₹ 8314.38 करोड़ सीधे हस्तांतरित किया जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में सात प्रतिशत कम था। मुख्य प्राप्तकर्ता जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (ड़ी.आर.डी.ए.) (₹ 3082.53 करोड़ अर्थात् 37 प्रतिशत), बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (₹ 2754.62 करोड़ अर्थात् 33 प्रतिशत) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (₹ 959.75 करोड़ अर्थात् 12 प्रतिशत) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (₹ 757.95 करोड़ अर्थात् नौ प्रतिशत) थे।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखा का विवरण–11 सरकार के राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य का अपना कर एवं करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय कर का हस्तांतरण एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है। वर्ष 2008–13 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना को क्रमशः ***परिशिष्ट 1.7*** तथा **चार्ट 1.5** तथा **1.6** में दर्शाया गया है।

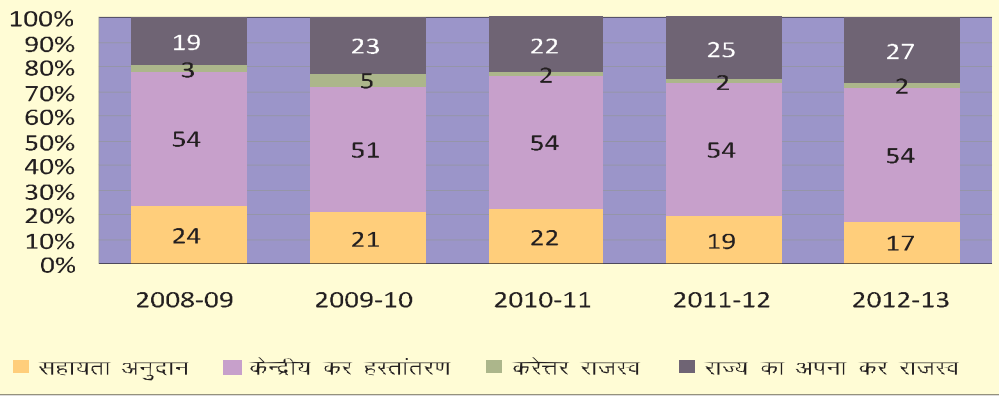
चार्ट 1.5: वर्ष 2008–13 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति
(₹करोड़ में)



(स्त्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य वित्त लेखा)

[4] *राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों में कोई भी संगठन/संस्थाएँ सहित वैसी गैर सरकारी संस्थाएँ शामिल है जो राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से राज्य में विशेष कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु निधि प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत है।*

चार्ट 1.6: वर्ष 2008–13 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के घटक (प्रतिशत)



(स्त्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखा)

चार्ट 1.5 तथा 1.6 से प्रदर्शित होता है कि:

- राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2008–09 में ₹ 32981 करोड़ से वर्ष 2012–13 में ₹ 59567 करोड़ की क्रमिक वृद्धि हुई। भारत सरकार से सहायता अनुदान का अंश वर्ष 2008–09 में 24 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012–13 में 17 प्रतिशत हो गया।
- राज्य के अपने स्रोत में कर राजस्व तथा करेत्तर राजस्व शामिल है। राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का अंश वर्ष 2008–13 के दौरान 19 प्रतिशत से 27 प्रतिशत के बीच रहा। राज्य ने केन्द्रीय कर हस्तांतरण का उच्च विकास दर हासिल किया जो यह वर्ष 2008–09 से 2012–13 तक 54 प्रतिशत रहा, केवल वर्ष 2009–10 के दौरान यह 51 प्रतिशत था। राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में करेत्तर राजस्व वर्ष 2008–09 में तीन प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2009–10 में पाँच प्रतिशत हो चुका था परन्तु यह वर्ष 2010–11 में घटकर दो प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2012–13 तक स्थिर रहा।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति **तालिका 1.4** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.4: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व प्राप्तियाँ (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	**32981**	**35527**	**44532**	**51320**	**59567**
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	16.91	7.72	25.35	15.24	16.07
राज्य का अपना कर	6173	8090	9870	12612	16253
राज्य का अपना कर की वृद्धि दर (प्रतिशत)	21.37	31.05	22.00	27.78	28.87
जी.एस.डी.पी. (₹ करोड़ में)	142279	164547	198135	246487	294388
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर	19.64	15.65	20.41	24.40	19.43
आर. आर./जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	23.18	21.59	22.48	20.82	20.23
उत्पलावकता अनुपात[5]					
जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष में राजस्व उत्पलावकता	0.86	0.49	1.24	0.62	0.83
जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष में राज्य का अपना उत्पलावकता	1.09	1.98	1.08	1.14	1.49

(स्त्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य वित्त लेखा)

[5] *उत्पलावकता अनुपात आधार चल में दिये बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय चल की प्रतिक्रिया की सीमा या लचीलापन को इंगित करता है। जैसे–राजस्व उत्पलावकता 0.6 का मतलब है कि यदि जी.एस.डी.पी. एक प्रतिशत बढ़ता है तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशत तक बढ़ेगा ।*

राज्य के राजस्व प्राप्तियों का विकास दर वर्ष 2008–13 के दौरान दो अंको में रहा सिवाय वर्ष 2009–10 के जब यह वर्ष 2010–11 में 25.35 प्रतिशत से घटकर 15.24 प्रतिशत हो गया तथापि यह वर्ष 2012–13 में पुनः बढ़कर 16.07 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2008–09 तथा 2012–13 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य का अपना कर उत्पलावकता अनुपात 1.08 प्रतिशत से 1.98 प्रतिशत के बीच रहा।

1.3.1 राज्य के निजी संसाधन

चूँकि केन्द्रीय कर एवं सहायता अनुदान में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर होता हैं, संसाधन के संग्रहण में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन स्वयं कर एवं करेत्तर संसाधनों के अनुसार होनी चाहिए।

वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य के वास्तविक कर एवं करेत्तर राजस्व साथ ही तेरहवें वित्त आयोग के आकलन एवं राज्य सरकार के बजट प्रक्षेपण को नीचे की **तालिका 1.5** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.5: वर्ष 2012–13 के दौरान प्रक्षेपण एवं वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	तेरहवें वित्त आयोग का प्रक्षेपण	बजट प्रक्षेपण	वास्तविकी
कर राजस्व	10537	15695	16253
करेत्तर राजस्व	1907	3142	1135

(स्त्रोतः राज्य वित्त लेखा, बजट तथा तेहरवें वित्त आयोग के आँकड़े)

यद्यपि राज्य का कर राजस्व वर्ष 2012–13 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपण से ₹ 5716 करोड़ ज्यादा तथा बजट प्रक्षेपण से ₹ 558 करोड़ अधिक था तथापि करेत्तर राजस्व तेरहवें वित्त आयोग तथा राज्य के प्रक्षेपण से चिंताजनक रूप से क्रमशः ₹ 772 करोड़ तथा ₹ 2007 करोड़ कम था जो राज्य के अवास्तविक बजट प्रक्षेपण को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2012–13 में करेत्तर राजस्व संग्रह पूर्व वर्ष से ₹ 245.41 करोड़ अधिक था इसका मुख्य कारण अलौह खनन् तथा धातुकर्मीय उद्योग में ₹ 68 करोड़ तथा पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ में योगदान तथा वसूली में ₹ 149.55 करोड़ की वृद्धि हुई तथापि ब्याज प्राप्तियों में ₹ 406.58 करोड़ की कमी आई।

1.3.1.1 कर राजस्व

राज्य का कर राजस्व 163 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2008–09 में ₹ 6173 करोड़ से वर्ष 2012–13 के दौरान ₹ 16253 करोड़ हो गया। वृद्धि के मुख्य घटक **तालिका 1.6** तथा **चार्ट 1.7** में दर्शाये गये है।

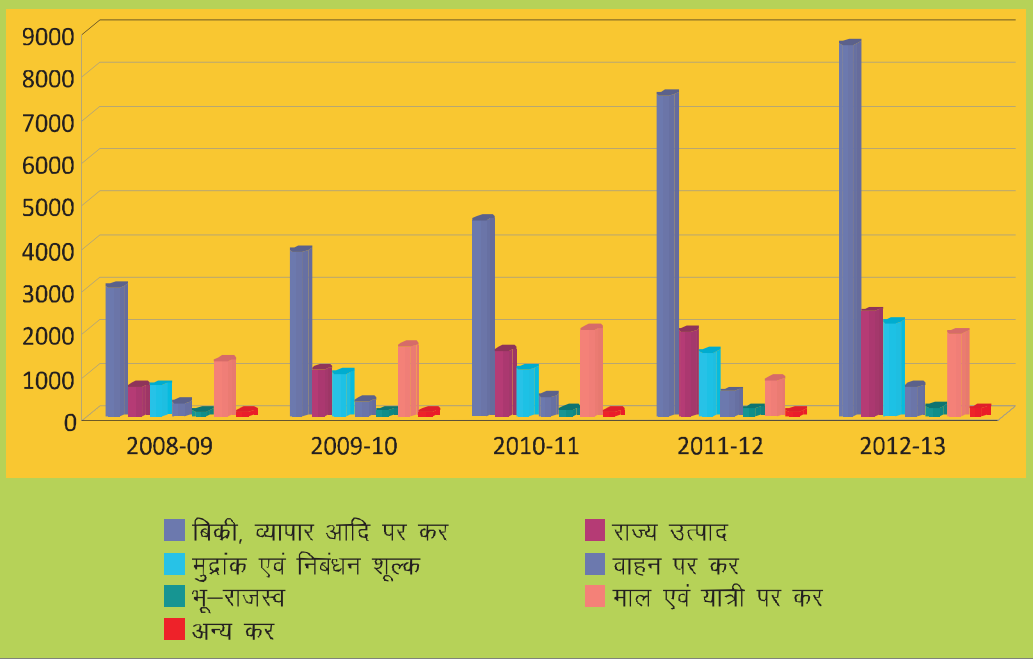
तालिका 1.6: वर्ष 2008–13 के दौरान राज्य के अपने कर स्त्रोतो के घटक

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी की प्रतिशतता
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3016	3839	4557	7476	8671	16
राज्य उत्पाद	679	1082	1523	1981	2430	23
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	716	998	1099	1480	2173	47
वाहन पर कर	298	345	456	569	673	18
भू–राजस्व	102	124	139	168	205	22
माल एवं यात्री पर कर	1279	1613	2006	828	1932	133
अन्य कर	83	89	90	110	169	54
योग	**6173**	**8090**	**9870**	**12612**	**16253**	**29**

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष का राज्य वित्त लेखा)

चार्ट 1.7 : वर्ष 2008–13 के दौरान राजस्व के मुख्य संघटक
(₹ करोड़ में)



(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

परिशिष्ट 1.7 वर्ष 2008–13 के दौरान राज्य सरकार के वित्त के कालश्रृंखला आँकड़े प्रस्तुत करता है। **परिशिष्ट** में कर राजस्व के घटकों के अध्ययन से प्रकट होता है कि:

- कर राजस्व का मुख्य अंश बिक्री, व्यापार आदि पर कर था यह वर्ष 2008–09 में 49 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 53 प्रतिशत हो गया।
- राज्य उत्पाद का अंश वर्ष 2008–09 में 11 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 15 प्रतिशत हो गया।
- मुद्रांक तथा निबंधन शुल्क का अंश वर्ष 2008–09 में 12 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 14 प्रतिशत हो गया।
- वाहनों पर कर का अंश वर्ष 2008–09 में पाँच प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012–13 में चार प्रतिशत हो गया।
- माल तथा यात्री पर कर का अंश भी वर्ष 2008–09 में 21 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012–13 में 12 प्रतिशत हो गया।
- अन्य करों का अंश वर्ष 2008–13 के दौरान एक प्रतिशत पर स्थिर रहा।

1.3.1.2 करेत्तर राजस्व

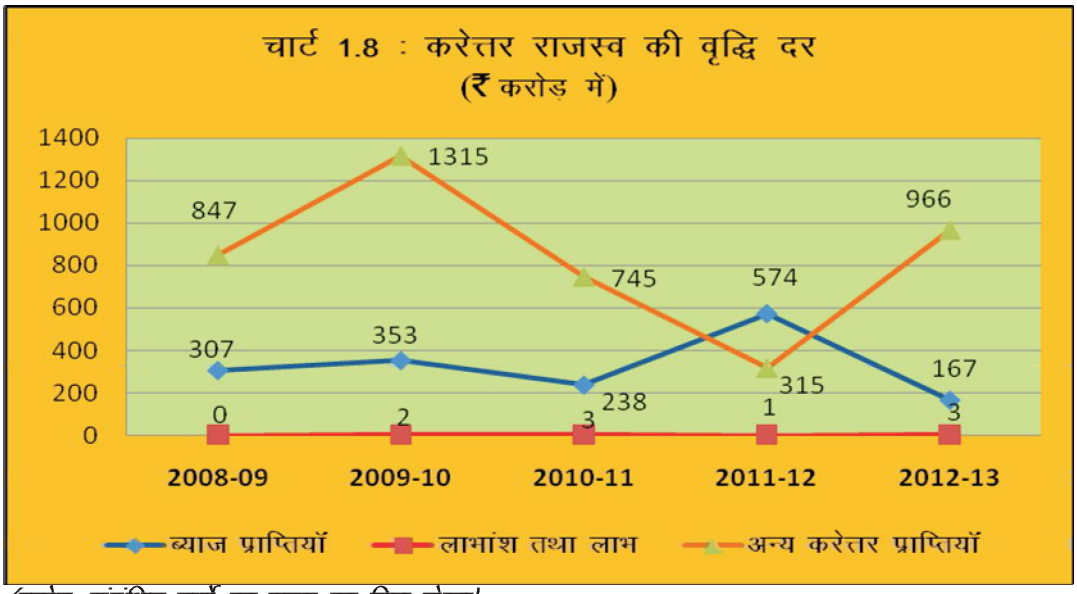
वर्ष 2012–13 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों में करेत्तर राजस्व (₹ 1135 करोड़) 1.91 प्रतिशत था। करेत्तर राजस्व संग्रहण पूर्व वर्ष से ₹ 245 करोड़ अधिक था। वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान करेत्तर राजस्व के विभिन्न घटकों का तुलनात्मक अध्ययन **तालिका 1.7** तथा **चार्ट 1.8** में प्रदर्शित किया गया है। करेत्तर राजस्व के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि अलौह खनन् तथा धातुकर्मीय उद्योग (₹ 68 करोड़) तथा पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (₹ 150 करोड़) में वृद्वि हुई परन्तु ब्याज प्राप्तियों (₹ 407 करोड़) में कमी हुआ ।

तालिका 1.7 : करेत्तर राजस्व का विकास दर

(₹करोड़ में)

राजस्व शीर्ष (करेत्तर राजस्व)	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता
ब्याज प्राप्तियॉं	306.71	353.27	237.96	573.70	167.12	(-)71
लाभांश एवं लाभ	0.00	2.06	2.53	1.40	2.55	82
अन्य करेत्तर प्राप्तियॉं	846.61	1315.09	745.04	314.76	965.60	207
योग	**1153.32**	**1670.42**	**985.53**	**889.86**	**1135.27**	

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)



(स्त्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

1.3.2 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान वर्ष 2008–09 में ₹ 7962 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 10278 करोड़ हो गया जिसे **तालिका 1.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8 : भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
गैर–योजना अनुदान	2550.44	2256.20	1924.78	2562.62	2412.58
राज्य योजना मदों के लिए अनुदान	3600.08	3720.97	5456.95	5065.39	5051.97
केन्द्रीय योजना मदों के लिए अनुदान	134.94	137.71	175.70	95.78	35.69
केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए अनुदान	1676.66	1449.28	2141.13	2159.19	2777.68
विशेष योजना मदों के लिए अनुदान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग	7962.12	7564.16	9698.56	9882.98	10277.92
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि प्रतिशतता	36.53	(-)5.00	28.22	1.90	4.00
राजस्व प्राप्तियॉं	32981	35527	44532	51320	59567
राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कुल अनुदान की प्रतिशतता	24.14	21.29	21.78	19.26	17.25

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2012–13 में भारत सरकार द्वारा अनुदान में ₹ 395 करोड़ की वृद्धि हुई इसका मुख्य कारण केन्द्र प्रायोजित योजना (₹ 619 करोड़) हेतु सहायता अनुदान में वृद्धि, गैर–योजना (₹ 150 करोड़) तथा केन्द्रीय योजनागत योजना (₹ 60 करोड़) हेतु अनुदान में कमी था। राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सहायता अनुदान में निरंतर कमी हुई जो भारत सरकार के अनुदान पर निर्भरता कम होने का सूचक है।

1.3.3 ऋण समेकन तथा राहत सुविधाओं के अंतर्गत ऋण माफी

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा केन्द्रीय ऋण के ऋण राहत की योजना बनायी गयी जिसे ऋण समेकन एवं राहत सुविधाएँ कहा गया तथा यह राज्य में घाटा की कमी से संबंधित राज्य राजकोषीय निष्पादन पर आधारित था। तेरहवें वित्त आयोग ने इस सुविधा का विस्तार कुछ राज्यों तक किया जिसमें बिहार सरकार भी शामिल है। इस योजना के अंतर्गत, वर्ष 2012–13 के दौरान शहरी विकास, उद्योग, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग एवं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से क्रमशः ₹ 163.79 लाख, ₹ 30.82 लाख, ₹ 13.36 लाख तथा ₹ 1876.75 लाख का ऋण समेकन तथा राहत सुविधाओं का लाभ बिहार सरकार ने उठाया।

1.3.4 केन्द्रीय कर हस्तांतरण

वर्ष 2012–13 के दौरान प्राप्त संघीय कर का अंश (₹ 31900.39 करोड़) प्राक्कलन (₹ 33126.33 करोड़) से (₹ 1225.94 करोड़) घट गया। तथापि पूर्व वर्ष की तुलना में संघीय करों तथा शुल्कों में राज्य के अंश में ₹ 3965 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः निगम कर (₹ 463 करोड़), निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर (₹ 1275 करोड़) सेवा कर (₹ 1324 करोड़) तथा सीमा शुल्क (₹ 458 करोड़) के अंतर्गत हुई।

1.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियाँ वर्ष 2008–09 में ₹ 5939 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 9579 करोड़ (61 प्रतिशत) हो गयी। पूँजीगत प्राप्तियाँ का विकास एवं रचना की प्रवृत्ति **तालिका 1.9** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.9: प्राप्तियों के विकास एवं रचना की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य के प्राप्तियों के स्त्रोत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
पूँजीगत प्राप्तियाँ (सी.आर)	5939	6148	6044	6726	9579
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	149.86	764.32	781.53	826.56	508.02
ऋण एवं अग्रिम की वापसियाँ	11	13	12	23	25
लोक ऋण प्राप्तियाँ	5928	6134	6032	6628	9554
लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर	268[6]	03	(-) 2	10	44
गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	-	-	-	-	-
जी.एस.डी.पी.	142279	164547	198135	246487	294388
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर	19.64	15.65	20.41	24.40	19.43
सी.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	263	04	(-) 2	11	42

(स्त्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

[6] *वर्ष 2008–09 में ₹ 5928 करोड़ की वृहत प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 2007 –08 में लोक ऋण प्राप्ति सिर्फ ₹ 1612 करोड़ थी।*

1.4.1 ऋण तथा अग्रिम की वसूली

ऋण तथा अग्रिम की वसूली वर्ष 2011–12 में ₹ 23 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 25 करोड़ हो गयी। इसमें ₹ 3.76 करोड़ के सहकारिता के लिए ऋण, ₹ 8.03 करोड़ के अन्य ऋण तथा ₹ 12.91 करोड़ के सरकारी सेवक को ऋण सम्मिलित है।

1.4.2 आंतरिक स्त्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

लोक ऋण प्राप्तियाँ वर्ष 2011–12 में ₹ 6628 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 9554 करोड़ (44 प्रतिशत) हो गयी जिसमें मुख्यतः ₹ 7100 करोड़ का बाजार ऋण, ₹ 902 करोड़ का राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण तथा ₹ 1006 करोड़ के केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ सम्मिलित थी।

1.4.3 भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम

ऋण एवं अग्रिम वर्ष 2011–12 में ₹ 826.56 करोड़ से घटकर वर्ष 2012–13 में ₹ 508.02 करोड़ (39 प्रतिशत) हो गया जिसमें राज्य योजनागत योजना (एकमुश्त ऋण) हेतु ऋण के ₹ 507.64 करोड़ तथा भवन निर्माण अग्रिम का ₹ 0.37 करोड़ शामिल था।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियाँ

कुछ निश्चित लेन–देन जो समेकित निधि के भाग नहीं होते है तथा लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा , उचंत, प्रेषण आदि के संबंध में प्राप्ति तथा संवितरण, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अधीन लोक लेखा में रखे जाते है तथा राज्य विधानमंडल से मतदान आवश्यक नहीं होता। यहाँ सरकार एक बैंकर की भूमिका अदा करती है। संवितरण के पश्चात् शेष सरकार के उपयोग हेतु उपलब्ध होती है। **तालिका 1.10** वर्ष 2008–13 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों के घटकों को प्रदर्शित करती है।

तालिका 1.10 : लोक लेखा प्राप्तियों के घटक

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
लोक लेखा प्राप्तियाँ					
क. लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1153.36	707.19	838.84	1031.81	1296.09
ख. आरक्षित निधि	1302.48	565.67	243.72	1114.53	799.33
ग. जमा एवं अग्रिम	7209.94	6310.96	6624.39	9877.98	15514.80
घ. उचंत एवं विविध	184.45	296.81	334.43	419.14	528.82
ड. प्रेषण	7090.79	7422.76	9279.87	9859.15	8927.17
योग	**16941.02**	**15303.39**	**17321.25**	**22302.61**	**27066.21**

(स्त्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

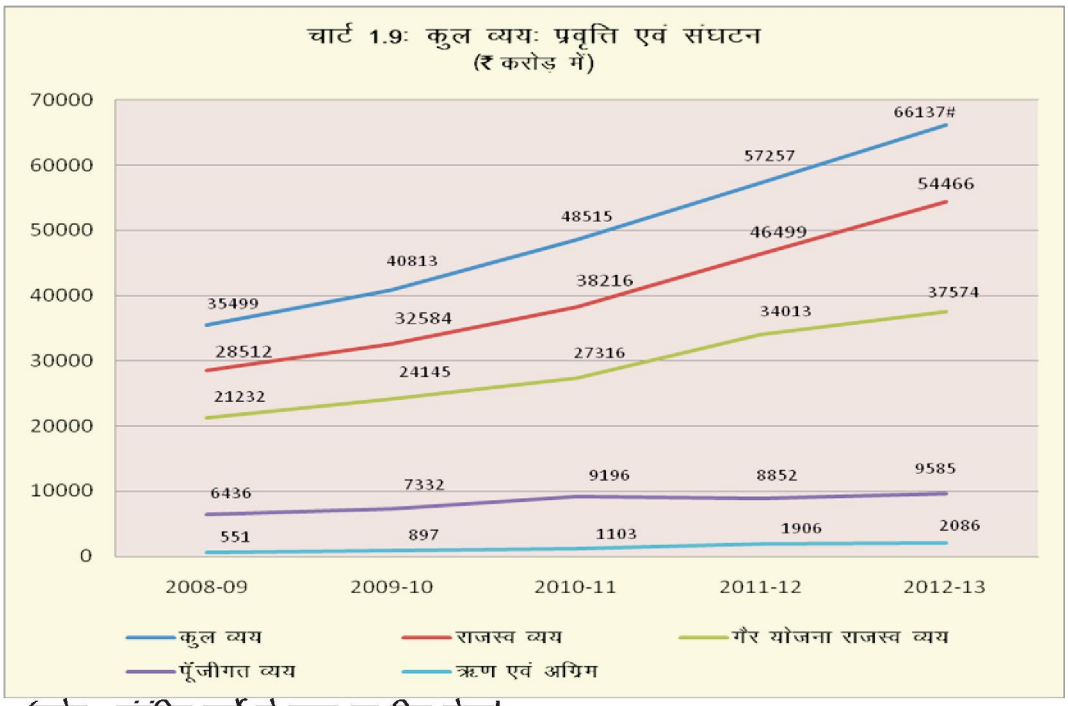
लोक लेखा प्राप्तियाँ वर्ष 2008–09 में ₹ 16941 करोड़ से बढ़कर (₹ 10125 करोड़ से) वर्ष 2012–13 में ₹ 27066 करोड़ (60 प्रतिशत) हो गयी। लोक लेखा प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः वर्ष 2012–13 के दौरान जमा एवं अग्रिम में ₹ 5637 करोड़ तथा लघु बचत, भविष्य निधि आदि में ₹ 264 करोड़ की वृद्धि था जिसमें वर्ष के दौरान प्रेषण में ₹ 932 करोड़ तथा आरक्षित निधि में ₹ 315 करोड़ की कमी होना शामिल था।

1.6 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार स्तर पर व्यय के प्रावधानों का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योकि व्यय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्हें ही सुपुर्द है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान की संरचना के अंतर्गत घाटे और उधार द्वारा वित्त पोषित लोक व्यय को बढ़ाने में बजटीय बाध्यता थी। तथापि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जारी राजकोषीय शुद्धि और राज्य स्तर सुदृढ़ीकरण, प्रक्रिया व्यय, विशेषकर विकास और सामाजिक क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त व्यय की लागत पर न हो।

1.6.1 व्यय के संघटन एवं वृद्धि

चार्ट 1.9 पाँच वर्षों (2008–13) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है।



(स्त्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

- कुल व्यय जिसमें राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम शामिल है, वर्ष 2008–09 में ₹ 35499 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 66137 करोड़ हो गया।

- पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2012–13 के दौरान कुल व्यय में ₹ 8880 करोड़ की वृद्धि का मुख्य कारण राजस्व व्यय में ₹ 7967 करोड़ (17 प्रतिशत) तथा पूँजीगत व्यय में ₹ 733 करोड़ (आठ प्रतिशत) की वृद्धि था।

- स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में मुख्य पूँजीगत व्यय अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन निर्माण के लिए ₹ 200 करोड़, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना (एलोपैथी) के भूमि अधिग्रहण, नए मेडिकल कॉलेज एवं पारा मेडिकल संस्थान के लिए ₹ 113 करोड़, एलोपैथी स्वास्थ्य एवं पोषाहार कार्यक्रम हेतु ₹ 46 करोड़ तथा जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी के कार्यालय एवं आवासीय भवन निर्माण हेतु ₹ 30 करोड़ था।

- सामान्य शिक्षा में ₹ 13957 करोड़ का मुख्य राजस्व व्यय था। यह व्यय मुख्यतः गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालय को सहायता, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में हुआ।

- वर्ष 2012–13 के दौरान राजस्व लेखा के अंतर्गत विद्युत शक्ति प्रक्षेत्र में व्यय ₹ 3193 करोड़ था। मुख्य व्यय लोक प्रक्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को दी गयी सहायता के अधीन हुआ।

कुल व्यय में लोक ऋण अदायगी शामिल नहीं है ।

1.6.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्त्तमान स्तर को बनाए रखने तथा पूर्व दायित्व के भुगतान करने में हुआ जिसके परिणामस्वरूप राज्य की आधारभूत संरचना एवं सेवा नेटवर्क का विस्तार नहीं हो सका। राजस्व व्यय के आधारभूत मापदण्ड की प्रवृत्ति नीचे **तालिका 1.11** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.11: राजस्व व्यय– आधारभूत मापदण्ड

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व व्यय (आर.ई.) जिसमें (₹ करोड़ में)	28512	32584	38216	46499	54466
गैर योजना राजस्व व्यय (एन.पी.आर.ई.)	21232	24145	27316	34012	37574
योजना राजस्व व्यय (पी.आर.ई.)	7280	8439	10900	12487	16892
वृद्धि दर					
राजस्व व्यय (प्रतिशत)	21.00	14.28	17.28	21.67	17.13
गैर योजना राजस्व व्यय (प्रतिशत)	13.18	13.72	13.13	24.51	10.47
योजना राजस्व व्यय (प्रतिशत)	51.54	15.92	29.16	14.56	35.28
कुल व्यय में राजस्व व्यय का प्रतिशत	80.32	79.84	78.77	81.21	82.35
गैर योजना राजस्व व्यय/जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	14.92	14.67	13.79	13.80	12.76
कुल व्यय में गैर योजना राजस्व व्यय का प्रतिशत	59.81	59.16	56.30	59.40	56.81
राजस्व प्राप्तियों में गैर–योजना व्यय का प्रतिशत	64.38	67.96	61.34	66.27	63.08
राजस्व व्यय की उत्पलावकता के साथ					
जी.एस.डी.पी (अनुपात)	1.07	0.91	0.85	0.89	0.88
राजस्व प्राप्तियॉं (अनुपात)	1.24	1.85	0.68	1.42	1.07

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखा)

राजस्व व्यय

उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है कि वर्ष 2012–13 के दौरान राजस्व व्यय पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 7967 करोड़ (17.13 प्रतिशत) तथा कुल व्यय का 82.35 प्रतिशत बढ़ गया।

गैर योजना राजस्व व्यय

वर्ष 2012–13 के दौरान गैर योजना राजस्व व्यय ₹ 3562 करोड़ (10.47 प्रतिशत) बढ़ गया इसका मुख्य कारण शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति सेवाएँ (₹ 1637 करोड़), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 130 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 422 करोड़) तथा ऊर्जा (₹ 1039 करोड़) के अंतर्गत व्यय में वृद्धि था जिसका विवरण ***परिशिष्ट 1.4*** में दिया गया है। गैर योजना राजस्व व्यय (₹ 37574 करोड़) बजट प्राक्कलन (₹ 45323 करोड़) में किये गये मानकी प्रक्षेप से 21 प्रतिशत कम था। तथापि कुल व्यय में गैर योजना राजस्व व्यय का अंश वर्ष 2008–09 में 60 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012–13 में 57 प्रतिशत हो गया।

योजना राजस्व व्यय

योजना राजस्व व्यय वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में ₹ 4405 करोड़ (35 प्रतिशत) बढ़ गया जिसका मुख्य कारण शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 2286 करोड़), जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास (₹ 457 करोड़), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण (₹ 698 करोड़) के अंतर्गत वृद्धि था। तथापि, पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2012–13 के दौरान योजना राजस्व व्यय (₹ 16892 करोड़) बजट प्राक्कलन (₹ 33364 करोड़) से ₹ 16472 करोड़ (49 प्रतिशत) कम था जिसका विवरण ***परिशिष्ट 1.4*** में दिया गया है।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखा में राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन तथा मजदूरी का व्यय, पेंशन तथा सब्सिडी शामिल है। **तालिका 1.12** तथा **चार्ट 1.10** वर्ष 2008–13 के दौरान इन संघटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं।

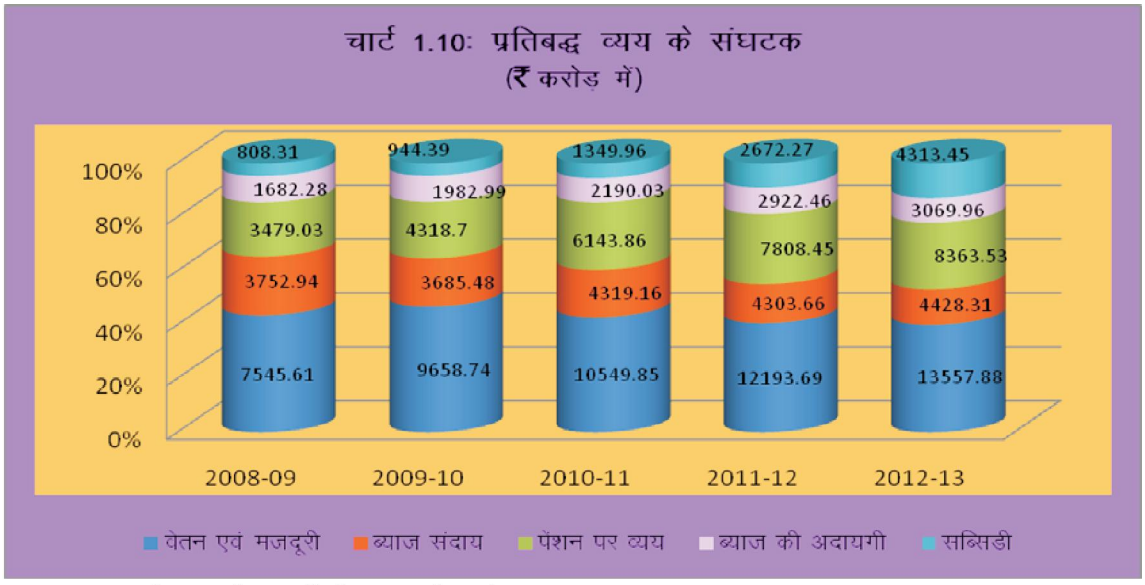
तालिका 1.12 : वर्ष 2008–13 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के संघटक

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रतिबद्ध व्यय के संघटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
						बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
1	वेतन एवं मजदूरी जिसमें	7545.61 *(22.88)*	9658.74 *(27.19)*	10549.85 *(23.69)*	12193.69 *(23.76)*	14909.33	13557.88 *(22.76)*
1 (क)	गैर–योजना शीर्ष	*6996.20 (21.21)*	*9001.42 (25.34)*	*9954.35 (22.35)*	*11494.50 (22.40)*	14100.66	12865.06 *(21.60)*
1 (ख)	योजना शीर्ष	*549.41 (1.67)*	*657.32 (1.85)*	*595.51 (1.34)*	*699.19 (1.36)*	808.66	692.82 *(1.16)*
2	ब्याज भुगतान	3752.94 *(11.38)*	3685.48 *(10.37)*	4319.16 *(9.70)*	4303.66 *(8.39)*	5186.00	4428.31 *(7.43)*
3	पेंशन पर व्यय	3479.03 *(10.55)*	4318.70 *(12.16)*	6143.86 *(13.80)*	7808.45 *(15.22)*	10043.02	8363.53 *(14.04)*
4	ऋण की अदायगी	1682.28 *(22.29)*	1982.99 *(20.53)*	2190.03 *(20.76)*	2922.46 *(23.97)*	3054.48	3069.96 *(5.15)*
5	सब्सिडी	808.31 *(2.45)*	944.39 *(2.66)*	1349.96 *(3.03)*	2672.27 *(5.21)*	0.00	4313.45 *(7.24)*
6	अन्य संघटक	11243.41 *(34.09)*	11993.87 *(33.76)*	13663.06 *(30.68)*	16598.96 *(32.34)*	27766.44	20733.02 *(34.81)*
7	योग (1+4+5+6+7)	17268.17 *(52.36)*	20590.30 *(57.96)*	24552.86 *(55.13)*	29900.53 *(58.26)*	33192.83	33733.13 *(56.63)*
8	राजस्व प्राप्तियाँ	**32980.69**	**35526.83**	**44532.32**	**51320.17**	**68047.86**	**59566.66**
9	राजस्व व्यय	**28511.58**	**32584.17**	**38215.92**	**46499.49**	**60959.27**	**54466.15**

कोष्ठक में दिये गए आँकड़े राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता प्रदर्शित करते है।

(स्त्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा तथा वर्ष 2012–13 का बजट)



(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखा)

वेतन पर व्यय

राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में वेतन पर व्यय वर्ष 2011–12 में 23.76 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012–13 के दौरान 22.76 प्रतिशत हो गयी । वेतन पर ₹ 13557.88 करोड़ का व्यय तेरहवें वित्त आयोग के अवलोकन (₹ 10282.94 करोड़) से ₹ 3274.94 करोड़ अधिक था परन्तु बजट प्राक्कलन (₹ 14909.33 करोड़) से ₹ 1351.45 करोड़ कम था।

पेंशन भुगतान पर व्यय

पेंशन भुगतान पर व्यय वर्ष 2008–09 में ₹ 3479 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 8364 करोड़ हो गया अर्थात् ₹ 4885 करोड़ (140 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, वर्ष के दौरान केवल पेंशन भुगतान ही राज्य के राजस्व प्राप्ति के 14 प्रतिशत से अधिक था तथा पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 555 करोड़ (सात प्रतिशत) बढ़ गया। 31 अगस्त 2005 अथवा इसके पूर्व भर्ती किये गये राज्य सरकार कर्मचारियों को दी गयी पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ पर वर्ष के दौरान व्यय ₹ 8363.53 करोड़ (कुल राजस्व व्यय का 15.36 प्रतिशत) था। 01 सितम्बर 2005 को अथवा इसके बाद भर्ती किये गए राज्य सरकार कर्मचारी नई पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं जिसे अंशदायी पेंशन योजना भी कहा जाता है। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी अपने मासिक वेतन तथा महँगाई भत्ता का 10 प्रतिशत अंशदान करता हैं, तथा इतनी ही रकम राज्य सरकार भी अंशदान करती है तथा पूरी रकम राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के जरिये नामित निधि प्रबंधक को हस्तांतरित किया जाता है । कर्मचारियों द्वारा देय वास्तविक राशि तथा सुमेलित राज्य सरकार का अंशदान का प्राक्कलन नही किया गया है परन्तु वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने एन.एस.डी.एल/ट्रस्टी बैंक को ₹ 345.01 करोड़ जमा किया जिसमें कर्मचारियों के अंशदान के ₹ 169.66 करोड़ तथा नियोक्ता के अंशदान के ₹ 175.35 करोड़ सम्मिलित है जिससे 31 मार्च 2013 को योजना के अंतर्गत अंशदान दिये ₹ 203.33 करोड़ का शेष ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित किया जाना था। असंग्रहित, असुमेलित तथा अहस्तांतरित राशि, अर्जित ब्याज सहित योजना के अंतर्गत बकाया देयता प्रदर्शित करता है।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान पर व्यय (₹ 4428.31 करोड़) पिछले वर्ष से 2.90 प्रतिशत अधिक था। राजस्व प्राप्तियों की ब्याज भुगतान की प्रतिशतता वर्ष 2008–09 में 11.38 प्रतिशत से घटकर 2012–13 में 7.43 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2012–13 के दौरान ब्याज भुगतान (₹ 4428.31 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग (₹ 5125.30 करोड़) तथा बजट प्राक्कलन (₹ 5186 करोड़) द्वारा किये गये निर्धारण के अंतर्गत था।

ऋण के पुनर्भुगतान पर व्यय

ऋण के पुनर्भुगतान पर व्यय की राजस्व प्राप्ति प्रतिशतता वर्ष 2008–09 में 22.29 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012–13 में 5.15 प्रतिशत हो गयी। इस व्यय में बजट प्राक्कलन (₹ 3054.48 करोड़) से ₹ 15.48 करोड़ (0.5 प्रतिशत) की सामान्य बढ़त हुई।

सब्सिडी

किसी भी कल्याणकारी राज्य में समाज से वंचित श्रेणी के लोगों को अनुदान/आर्थिक सहायता प्रदान करना सामान्य बात है। जनता को अनुदान न केवल प्रत्यक्ष परन्तु परोक्ष रूप से भी अनुदानित लोक सेवा के द्वारा दिया जा सकता है। वित्तीय संस्थानों को बजटीय सहायता निवेशों पर अपर्याप्त वापसी और सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से सेवा शुल्क जो कि सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है की कम वसूली, अप्रत्यक्ष अनुदान की श्रेणी के अंतर्गत आता है।

चालू वर्ष के दौरान कुल सब्सिडी ₹ 4313.45 करोड़ था जो पूर्व वर्ष से 61 प्रतिशत अधिक था तथा राजस्व प्राप्ति का 7.24 प्रतिशत था। इसमें से, संसाधन पूर्ति हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ₹ 2160 करोड़, बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के आवधिक लाभ हेतु ₹ 234.90 करोड़, बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के संसाधन पूर्ति

हेतु ₹ 787.31 करोड़, समग्र गव्य विकास परियोजना हेतु ₹ 100 करोड़, ए.एम.जी./एम.एम.जी/वैट[7]/अस्थगित राशि/पूँजीगत सब्सिडी/डी जी सेट सब्सिडी आदि के संवितरण हेतु ₹ 283.42 करोड़ तथा जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु ₹ 266.89 करोड़ प्रदान किये गये। वर्ष 2012–13 के दौरान, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का संसाधन पूर्ति पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 27 करोड़ अधिक था।

1.6.4 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता

वर्ष 2008–13 के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को सहायता अनुदान के जरिये सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता की स्थिति नीचे **तालिका 1.13** में प्रस्तुत की गयी है।

तालिका 1.13: स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
शैक्षणिक संस्थाएँ (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त कॉलेज , विश्वविद्यालय)	966.80	613.07	1940.11	5581.07	8331.34
नगर निगम एवं नगर निकाय	950.04	997.68	690.21	557.30	873.56
जिला परिषद् तथा अन्य पंचायती राज संस्थाएँ	900.05	1395.22	1515.34	2534.41	2595.15
विकास एजेन्सियाँ	26.84	984.13	394.24	3029.74	3079.26
अस्पताल एवं अन्य सहायतार्थ संस्थाएँ	20.51	33.44	53.67	25.00	-
अन्य संस्थाएँ	1558.25	356.33	28.25	2716.16	2574.43
योग	**4422.49**	**4379.87**	**4621.82**	**14443.68**	**17453.74**
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के अनुसार सहायता	15.51	13.44	12.09	31.06	32.05

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखा)

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से प्रकट होता है कि वर्ष 2011–12 में वित्तीय सहायता ₹ 14444 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 के दौरान ₹ 17454 करोड़ हो गयी। पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 3010 करोड़ (21 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः शैक्षणिक संस्था (₹ 2750 करोड़), नगर निगम तथा नगर निकाय (₹ 317 करोड़) तथा विकास एजेन्सियों (₹ 49 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई। तथापि अन्य संस्थाओं की सहायता में ₹ 142 करोड़ की कमी आई। शैक्षणिक संस्थाओं (₹ 8331 करोड़) पर व्यय का विश्लेषण करने से प्रकट हुआ कि मुख्य व्यय सर्व शिक्षा अभियान (₹ 2723 करोड़), मध्याह्न भोजन योजना (₹ 1136 करोड़) में हुआ। जिला परिषद् एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओ (₹ 2595.15 करोड़) में मुख्य व्यय ग्राम पंचायत सामान्य आधारभूत अनुदान (₹ 429 करोड़), पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना (₹ 321 करोड़) तथा पंचायत समिति सामान्य आधारभूत अनुदान (₹ 185 करोड़) में हुआ। इसी प्रकार, विकास एजेन्सियों में, मुख्य व्यय मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना (₹ 182 करोड़) एकीकृत आवास एवं झुग्गी बस्ती क्षेत्र विकास परियोजना (₹ 157 करोड़) तथा मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना (₹ 140 करोड़) में हुआ।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

सामान्यतः राज्य में अच्छी सामाजिक एवं भौतिक आधारभूत संरचना की उपलब्धता इसके व्यय के गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूलतः तीन अवयवों पर निर्भर करता है, जैसे व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवाएँ प्रदान करने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता एवं प्रभाव (चुनिंदा सेवाओं के लिए लागत–परिणाम संबंध का आकलन) ।

[7] *ए.एम.जी.–वार्षिक निम्नतम गारंटी, एम.एम.जी.–मासिक निम्नतम गारंटी, वी.ए.टी.–मूल्य वर्धित कर।*

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

समाजिक प्रक्षेत्र एवं आर्थिक आधारभूत संरचना से संबंधित व्यय दायित्व मुख्यतः राज्य का विषय है। मानवीय विकास स्तरों में वृद्धि हेतु राज्यों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सदृश मुख्य सामाजिक सेवाओं पर अपने व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है।

तालिका 1.14 वर्ष 2012–13 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक व्यय और पूँजीगत व्यय से संबंधित राज्य सरकार के राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण करता है।

तालिका 1.14 : वर्ष 2009–10 तथा 2012–13 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता एवं राजकोषीय क्षमता

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	ए.ई/जी. एस.डी.पी.	डी.ई#/ए.ई.	एस.एस.ई/ए.ई.	सी.ई./ए.ई.	शिक्षा/ए.ई.	स्वास्थ्य/ए.ई.
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2009–10*	17.06	66.05	35.73	14.96	16.19	4.24
बिहार का औसत (अनुपात) 2009–10	24.80	69.15	35.06	17.97	18.99	3.70
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2012–13	15.93	65.79	32.77	13.23	17.23	4.47
बिहार का औसत (अनुपात) 2012–13	22.47	70.69	36.95	14.49	21.84	3.63

* *जी.एस.डी.पी. की प्रतिशतता के अनुसार*
ए.ई– संचयी व्यय, डी.ई.–विकास व्यय, एम.एस.ई–सामाजिक क्षेत्र व्यय, सी.ई–पूँजीगत व्यय,
\# *डी.ई.: विकासात्मक व्यय में शामिल है: विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण तथा अग्रिम*

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा, जी.एस.डी.पी. हेतु सांख्यिकी एवं आर्थिक निदेशालय, बिहार सरकार)

1.7.2 व्यय उपयोगिता की दक्षता

विकास शीर्षों[8] पर लोक व्यय के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास राज्य सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह उचित व्यय का युक्तिसंगत उपाय करे तथा कोर पब्लिक और मेरिट गुड्स[9]के प्रावधान पर बल दे। विकासात्मक व्यय[10] के आवंटन में सुधार करने के अलावा, हाल के वर्षों में, विशेषकर ऋण वितरण में कमी के कारण राजकोषीय अंतर के परिपेक्ष्य में, व्यय के उपयोगिता की दक्षता, पूँजीगत व्यय एवं कुल व्यय (एवं/या सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के समानुपात तथा वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण पर हुए राजस्व व्यय के अनुपात द्वारा प्रतिबिंवित होता है । कुल व्यय पर इन घटकों का उच्चतर अनुपात, व्यय का बेहतर दक्षता होगा ।

चयनित सेवाओं में व्यय की दक्षता तथा इसकी उपयोगिता की स्थिति **तालिका 1.15** में दर्शायी गयी है।

[8] *विकास शीर्ष के अंतर्गत विकास राजस्व व्यय, विकास पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है ।*

[9] *कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिन्हें सभी नागरिक सार्वजनिक रूप में इस तरह उपयोग में लाते है कि व्यक्ति द्वारा इसके उपयोग और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके उपयोग से कोई अंतर नहीं पड़ता है जैसे विधि–व्यवस्था का लागू होना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण मुक्त हवा एवं अन्य पर्यावरण संबंधी सामान तथा सड़क संरचना आदि ।*
मेरिट गुड्स वे सौदा है जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र मुक्त अथवा अनुदानित दरों पर मुहैया करता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा सोसाइटी को उन्हें अपनी आवश्यकता क्षमता और इच्छा के आधार पर लेना होगा जबकि सरकार को इसके लिए भुगतान करना होगा और इसलिए भुगतान करना होगा जब वह इनके उपयोग को बढ़ाना चाहती है । ऐसे सामानों में गरीबों के लिए मुफ़्त या अनुदानित दरों पर पौष्टिक आहार, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और बीमारियों को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सुपुर्दगी, सभी को बुनियादी शिक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता आदि शामिल है ।

[10] *व्यय के आंकड़ों का विश्लेषण विकास एवं गैर–विकास व्यय के रूप में अलग–अलग किया गया है । राजस्व लेखा से संबंधित सभी व्यय, पूँजीगत व्यय एवं ऋण एवं अग्रिमों को सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ एवं सामान्य सेवाएँ की श्रेणियों में रखा गया है । विस्तृत रूप में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में विकास संबंधी व्यय, जबकि सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को गैर–विकास व्यय माना गया है ।*

तालिका 1.15 चयनित सेवाओं में व्यय की दक्षता तथा इसकी उपयोगिता

(प्रतिशतता)

प्रक्षेत्र	2011-12		2012-13	
	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश
समाजिक सेवाएँ (एस.एस.)				
सामान्य शिक्षा	0.32	43.28	2.00	35.77
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	15.11	72.89	23.45	79.64
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	16.23	11.59	10.92	8.90
योग (एस.एस.)	**4.81**	**43.21**	**5.87**	**36.80**
आर्थिक सेवाएँ (ई.एस.)				
कृषि एवं संबंद्ध गतिविधियाँ	5.77	23.78	2.81	14.76
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	59.96	47.15	67.97	65.89
विद्युत एवं ऊर्जा	4.51	-	5.15	0.00
परिवहन	83.75	23.30	80.05	24.59
योग (ई.एस.)	**50.26**	**20.34**	**40.49**	**15.70**
योग (एस.एस.+ई.एस.)	**25.98**	**36.05**	**20.23**	**30.27**

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

क्षेत्रवार व्यय पर विश्लेषण तथा विकासात्मक सूचक से इसका संबंध यह प्रदर्शित करता है कि इन शीर्षो पर कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में इन चयनित सामाजिक–आर्थिक सेवाओं के पूँजीगत व्यय वर्ष 2011–12 में 25.98 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012–13 में 20.23 प्रतिशत हो गया, जो राज्य के लिए ठीक नहीं है। इन शीर्षो के राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश वर्ष 2011–12 में 36.05 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012–13 में 30.27 प्रतिशत हो गया, जो राज्य वित्त में सकरात्मक परिवर्तन इंगित करता है।

चयनित सेवाओं में, कुल व्यय के सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2011–12 में 4.81 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 5.87 प्रतिशत हो गयी। कुल व्यय के चयनित आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2011–12 में 50.26 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012–13 में 40.49 प्रतिशत हो गयी। यह कमी मुख्यतः सामाजिक सेवाओं में जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास तथा आर्थिक सेवाएँ में कृषि एवं संबंद्ध क्रियाकलाप तथा परिवहन के अंतर्गत देखी गयी।

चयनित सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में वेतन तथा मजदूरी का अंश वर्ष 2011–12 में 43.21 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012–13 में 36.80 प्रतिशत हो गया जबकि चयनित आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में वेतन तथा मजदूरी का अंश वर्ष 2011–12 में 20.34 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012–13 में 15.70 प्रतिशत हो गई । यह कमी मुख्यतः सामाजिक सेवाओं में सामान्य शिक्षा (7.51 प्रतिशत) तथा जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास (2.61 प्रतिशत) के अंतर्गत एवं आर्थिक सेवाओं में कृषि तथा संबंद्ध कियाकलाप (9 02 पतिशत) के अंतर्गत था।

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएँ

अपूर्ण कार्यो पर निधि के अवरूद्ध होने से (मुकदमेबाजी के कारण रूके हुए कार्य सहित) व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। **तालिका 1.16** में 31 मार्च 2013 तक के अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार सूचनाएँ दी गयी है। सम्मिलित रूप से 298 योजनाओं/परियोजनाओं (अनुमानित लागत ₹ 3829.75 करोड़) को मार्च 2013 तक पूर्ण होना था, परंतु वे अपूर्ण रहे जिसके फलस्वरूप ₹ 1487.57 करोड़ अवरूद्ध हो गया। अपूर्ण कार्यों की भौतिक प्रगति मार्च 2013[$] को शून्य से 99 प्रतिशत के बीच रही ।

[$] *वित्त लेखा वर्ष 2012–13 का परिशिष्ट – X।*

तालिका 1.16 अपूर्ण परियोजनाओं का विभाग–वार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग/परियोजना	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	मार्च 2013 तक प्रगतिशील व्यय
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	132	671.09	289.92
जल संसाधन	124	2832.58	1009.81
भवन निर्माण	22	230.96	142.74
पथ निर्माण	16	77.51	35.09
राष्ट्रीय राजमार्ग	2	15.11	8.43
ग्रामीण कार्य	2	2.50	1.58
योग	**298**	**3829.75**	**1487.57**

(स्रोतः वर्ष 2012–13 के राज्य वित्त लेखा)

कार्य पूर्ण करने में विलंब से लागत वृद्धि का जोखिम बना रहता है। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं के पूर्ण करने में विलंब के कारण परियोजनाओं से वांछित लाभ प्राप्त नहीं हो सका। इस प्रकार, समय तथा लागत वृद्धि को रोकने के लिए कार्य समय पर पूर्ण करने की आवश्यकता है।

1.8.2 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2013 तक राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंको, संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा सहकारी संस्थाओं में ₹ 941.17 करोड़ निवेश किया जो कि **तालिका 1.17** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.17: निवेश पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधार की लागत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	832.18	856.18	905.24	920.82	941.17
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	2.14	2.06	2.53	1.40	2.55
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.26	0.24	0.28	0.15	0.27
सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर[11]	7.93	6.48	6.87	6.35	5.79
ब्याज दर तथा प्रतिलाभ में अंतर (प्रतिशत)	7.67	6.24	6.59	6.20	5.52

(संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखा)

वर्ष 2012–13 के दौरान ₹ 941.17 करोड़ के निवेश के विरूद्ध केवल ₹ 2.55 करोड़ का प्रतिलाभ हुआ।

जैसा कि उपर्युक्त **तालिका 1.17** में देखा जा सकता है कि इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ पिछले पाँच वर्षों के दौरान 0.24 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2008–13 के दौरान सरकार ने अपने उधार पर 6.68 प्रतिशत की औसत ब्याज दर का भुगतान किया। उधार पर ब्याज दर तथा निवेश पर प्रतिलाभ के दर के बीच के अंतर को वर्ष 2010–11 से उत्तरोत्तर घटते क्रम में दर्शाया गया है। वर्ष 2008–09 से 2012–13 तक ब्याज दर तथा प्रतिलाभ के बीच अंतर में घटते क्रम की प्रवृति थी।

विभिन्न तत्वों के पूँजीगत अंश में राज्य सरकार द्वारा निवेश किये गये ₹ 941.17 करोड़ में, 40 सरकारी कंपनियों में ₹ 420.71 करोड़, 16 सहकारी संस्थाओं में ₹ 380.97 करोड़, तीन सांविधिक निगमों में ₹ 105.63 करोड़, एक ग्रामीण बैंक में ₹ 30.18 करोड़, नौ अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा साझेदारी एवं स्थानीय निकायों में ₹ 3.68 करोड़ का निवेश था । वर्ष के दौरान सरकार ने ₹ 20.35 करोड़ का निवेश किया । इनमें से सरकारी कंपनियों में ₹ 17.70 करोड़ का निवेश किया गया।

1.8.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी संस्थाओं, समितियों, सरकारी निगमों तथा कंपनियों में निवेश करने के अतिरिक्त राज्य सरकार इनमें कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही है।

[11] *ब्याज की औसत दर = ब्याज भुगतान* 100/राजकोषीय उत्तरदायित्व।*

तलिका 1.18 31 मार्च 2013 में लंबित ऋणों एवं अग्रिमों तथा विगत तीन वर्षो के दौरान ब्याज प्राप्तियों तथा ब्याज भुगतान को दर्शाती है।

तालिका 1.18: राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्ति/ऋण लागत की राशि	2010-11	2011-12	2012-13
पूर्व शेष	15551.42	16642.19	18525.76
वर्ष के दौरान दी गयी अग्रिम	1102.63	1906.08	2085.95
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की राशि	11.86	22.51	24.70
अंतिम शेष	**16642.19**	**18525.76**	**20587.01**
निवल योग	1090.77	1883.57	2061.25
ब्याज प्राप्तियाँ	237.96	573.70	167.12
बकाया ऋण तथा अग्रिम के रूप में ब्याज प्राप्ति की प्रतिशतता	1.43	3.10	0.81
राज्य सरकार के बकाया राजकोषीय दायित्व के संदर्भ में ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	6.87	6.35	5.79
ब्याज भुगतान तथा ब्याज प्राप्ति के बीच अंतर (प्रतिशत)	(-)5.44	(-)3.25	(-)4.98

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

प्रदत्त ऋण की मात्रा वर्ष 2011–12 में ₹ 1906.08 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 2085.95 करोड़ हो गयी। पुनर्भुगतान भी वर्ष 2011–12 में ₹ 22.51 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 24.70 करोड़ हो गयी। ब्याज प्राप्ति की वसूली कम होने के कारण ब्याज भुगतान तथा ब्याज प्राप्तियों के बीच अंतर वर्ष 2011–12 में 3.25 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 4.98 प्रतिशत हो गया।

1.8.4 नकद शेष तथा नकद शेष का निवेश

तालिका 1.19 वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किये गए नकद शेष तथा निवेशों को प्रस्तुत करता है ।

तालिका 1.19 नगद शेष तथा नकद शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2012 को	31 मार्च 2013 को	वृद्धि/कमी
नगद शेष	1509.45	3715.58	2206.13
नगद शेष से निवेश (क से घ)	434.46	2074.37	1639.91
क. भारत सरकार का कोषागार विपत्र	0.00	0.00	0.00
ख. भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	429.81	2069.72	1639.91
ग. अन्य राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	4.65	4.65	0.00
घ. अन्य निवेश	0.00	0.00	0.00
उद्दिष्ट शेष (क से ख) से निवेश का निधिवार विखंडन	676.53	931.48	254.95
क. अकाल राहत कोष	0.10*	0.10*	0.00
ख. निक्षेप निधि	676.43	931.38	254.95
ब्याज प्राप्ति	236.53	128.42	(-)108.11

* *वृद्धि नहीं, 0.0961 का पूर्णांक आँकड़ा*

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

वर्ष के दौरान नकद शेष ₹ 1509.45 करोड़ से बढ़कर ₹ 3715.58 करोड़ हो गया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के प्रतिभूतियों में राज्य सरकार का निवेश 31 मार्च 2013 को ₹ 429.81 करोड़ से बढ़कर ₹ 2069.72 करोड़ हो गया। 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष में उद्दिष्ट शेष में निवेश ₹ 254.95 करोड़ हो गया। वर्ष 2012–13 के दौरान निवेश पर ₹ 128.42 करोड़ ब्याज की प्राप्ति वर्ष 2011–12 के दौरान वसूले गये ब्याज (₹ 236.53 करोड़) से ₹ 108.11 करोड़ कम था।

तथापि, बिहार सरकार ने वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक बाजार से उधारी का सहारा लिया यद्यपि उसके पास उन वर्षों के दौरान उपर्युक्त नकद शेष था। इस प्रकार, उधारी,

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के विपरीत था जबकि उपलब्ध नकद शेष, कोषागार विपत्र में निवेशित रहा।

1.9 परिसंपत्ति एवं देयता

1.9.1 परिसंपत्तियाँ एवं देयताओं के संघटक तथा वृद्धि

सरकार की वर्त्तमान लेखा प्रणाली में सरकारी भूमि और भवन जैसे अचल सम्पत्तियों का विस्तृत लेखांकन नहीं होता है। तथापि, सरकारी लेखा में सरकार की वित्तीय देयता तथा की गई व्यय द्वारा सृजित परिसंपत्ति का लेखांकन होता है। ***परिशिष्ट 1.8*** 31 मार्च 2012 के संगत स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2013 तक की ऐसी देयता तथा परिसंपत्तियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है।

कुल देयता राज्य की संचित निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत आने वाली देयता है। संचित निधि देयता में आंतरिक ऋण तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शामिल है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा विशिष्ट उद्देशीय परिवहन तथा अन्य समकक्ष साधनों द्वारा उधारी शामिल है जिसमें पुनर्भुगतान की देनदारी राज्य सरकार की होती है।

1.9.2 *राजकोषीय देयता*

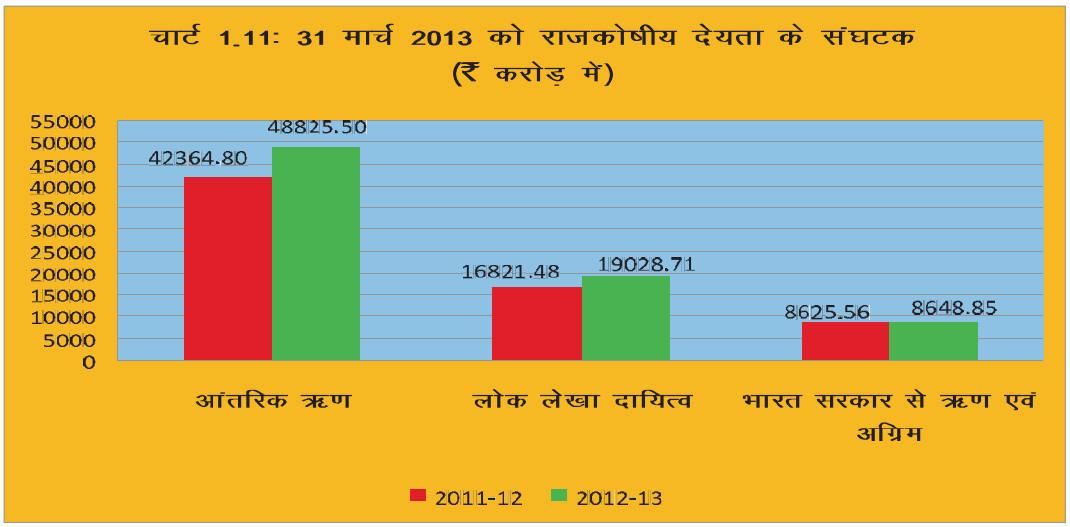
तालिका 1.20 में राज्य के बकाये राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।

तालिका : 1.20 बकाया राजकोषीय देयता [12]

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राशि (₹ करोड़ में)	54976.75	58689.91	62858.01	67811.84	76503.07
वृद्धि दर	7.82	6.75	7.10	7.88	12.82
राजकोषीय देयता का अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.386	0.357	0.317	0.275	0.260
राजस्व प्राप्ति	1.667	1.652	1.412	1.321	1.284
स्वयं के संसाधन	7.504	6.013	5.791	5.022	4.400
राजकोषीय देयताओं का उत्पलावकता अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.398	0.432	0.348	0.323	0.660
राजस्व प्राप्ति	0.462	0.875	0.280	0.517	0.798
स्वयं के संसाधन	0.256	0.203	0.633	0.323	0.445

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य का वित्त लेखा)

राज्य की राजकोषीय देयता वर्ष 2008–09 में ₹ 54976.75 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 76503.07 करोड़ हो गया। पूर्व वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय देयता का संघटक **चार्ट 1.11** में प्रस्तुत किया गया है।



(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

[12] *बाजार ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, लघु बचत से ऋण, भविष्य निधि आदि तथा अन्य दायित्व।*

उपर्युक्त **तालिका 1.20** में देखा जा सकता है कि राज्य की कुल राजकोषीय देयता वर्ष 2011–12 में ₹ 67811.84 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 76503.07 करोड़ हो गया। राजकोषीय देयता की वृद्धि दर 2011–12 के 7.88 प्रतिशत से बढ़कर 2012–13 में 12.82 प्रतिशत हो गया। तथापि राजकोषीय देयता एवं जी.एस.डी.पी. अनुपात वर्ष 2008–09 में 38.64 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012–13 के दौरान 25.99 प्रतिशत हो गया तथा यह तेरहवें वित्त आयोग द्वारा प्रतिमान 30 प्रतिशत से कम था। यह चालू वर्ष में एफ.आर.बी.एम के लक्ष्य 44.60 प्रतिशत से भी बहुत कम था। वर्ष 2012–13 के अंत में देयता राजस्व प्राप्ति का 1.28 गुणा तथा राज्य के अपने स्रोतों का 4.40 गुणा थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में इन देयताओं की उत्पलावकता पूर्व वर्ष के दौरान 0.323 की तुलना में इस वर्ष के दौरान 0.660 थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राजकोषीय देयता के अनुपात में कमी की प्रवृत्ति राज्य के अपने देयताओं को निर्वाह करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है।

1.9.3 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन–देन

आरक्षित एवं आरक्षित निधि का सृजन राज्य सरकार (लोक लेखा) के लेखा में **'ञ'** प्रक्षेत्र के अंतर्गत विशिष्ट एवं सुपरिभाषित उद्देश्यों हेतु किया जाता है। इन निधियों में भारत अथवा राज्य अथवा बाहरी एजेंसियों द्वारा संचित निधि योगदान एवं अनुदान द्वारा पोषित होते है। इसके अतिरिक्त इन निधियों को ब्याज वाली निधि तथा बिना ब्याज निधि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सामान्यतः आरक्षित निधि निम्नलिखित तीन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत होते है जो उन स्त्रोतों पर आधारित होते है जिसमें से पोषित होते है।

- अन्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान तथा साथ ही लोक अभिदान जैसेः केन्द्रीय सड़क निधि से संसहायिकी से बनी निधि, से संचित की गयी निधि।
- विशिष्ट उदेश्यों जैसे शून्यह्रास निधि हेतु की गयी व्यय के लिए संचय प्रदान करने हेतु भारत की संचित निधि अथवा राज्य की संचित निधि से संघ/राज्य द्वारा अलग रखी गयी राशि से संचित की गयी।
- राज्य सरकार को बाह्य एजेंसियो द्वारा दी गयी योगदान से संचित की गयी निधि।

वित्त लेखा के अनुसार, राज्य सरकार के लेखा में छह आरक्षित निधि[13] सृजित किये गये तथा उनका संधारण किया गया।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

इस निधि का प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2012 को ₹ 1516.44 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 544.38 करोड़ की राशि प्राप्त की गयी तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से ₹ 268.44 करोड़ का संवितरण किया गया जिससे 31 मार्च 2013 को ₹ 1792.38 करोड़ का शेष रह गया। यह पाया गया कि वर्ष के दौरान ₹ 544.38 करोड़ में से केवल ₹ 268.44 करोड़ (50 प्रतिशत) का उपयोग किया गया जो अनावश्यक प्रावधान को सूचित करता है।

ऋण–निक्षेप निधि

वर्ष के दौरान 1 अप्रैल 2012 को प्रारंभिक शेष ₹ 676.43 करोड़ था तथा ₹ 254.95 करोड़ की राशि निक्षेप निधि निवेश लेखा में निवेशित की गयी। निक्षेप निधि में 31 मार्च 2013 को अंत शेष ₹ 931.38 करोड़ था ।

[13] *राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, निक्षेप निधि, अकाल राहत निधि, विकास तथा कल्याण निधि, सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियॉ एवं मूल्य ह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि । वर्ष के दौरान शेष निधियों में कोई लेन–देन नहीं है । इसलिए इसपर कोई टिप्पणी नहीं है ।*

1.9.4 आकस्मिक देयता

- **प्रत्याभूति की स्थिति**

यदि उधार लेने वाले जिसके लिए प्रत्याभूति का विस्तार किया गया और उसके द्वारा ऋण की अदायगी नहीं की जाती है तो गारंटी राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक देयता होती है। संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत राज्य विधान मंडल द्वारा ऐसा कोई नियम नहीं पारित किया गया है जिसके निर्धारित सीमा के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य की संचित निधि के प्रतिभूति पर गारंटी दिया जा सके। राज्य सरकार द्वारा दी गयी गत तीन वर्षो की प्रत्याभूति की स्थिति **तालिका 1.21** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.21: सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूति	2010-11	2011-12	2012-13
प्रत्याभूत अधिकतम राशि	1549.03	2049.03	2046.44
प्रत्याभूति की बकाया राशि (मूलधन)	587.96	1092.34	1089.23
कुल राजस्व प्राप्ति से अधिकतम प्रत्याभूति राशि की प्रतिशतता	3.48 *(44532)*	3.99 *(51320)*	3.44 *(59567)*
(कोष्ठक में आँकड़े राजस्व प्राप्तियाँ इंगित करते है)			

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य का वित्त लेखा)

वित्त लेखा की विवरणी संख्या 9 की संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि सरकार ने वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति के संबंध में स्थिति/सूचना प्रस्तुत नहीं किया तथा मार्च 2013 के अंत तक प्रत्याभूत अधिकतम राशि पूर्व वर्ष से ₹ 2.59 करोड़ कम कर दी गई । 31 मार्च 2013 को प्रत्याभूति की ₹ 1089.23 करोड़ की बकाया राशि मुख्यतः बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम (₹ 500 करोड़), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (₹ 194.68 करोड़), बिहार राज्य वित्तीय निगम (₹ 127.47 करोड़) तथा क्रेडिट सहकारी (₹ 157.89 करोड़) से संबंधित था। इसके अतिरिक्त बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कोई भी देयता से मुक्ति हेतु प्रत्याभूति शुल्क के जरिये प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना नहीं की गयी थी।

- **ऑफ–बजट उधारी**

सरकारी कंपनी/निगम राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित विभिन्न राज्य योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार/वित्तीय संस्थाओं से निधि उधार लेती है। इस तरह का कई उधारी कभी–कभी राज्य सरकार का देयता हो जाता है जिसे ऑफ–बजट उधारी कहा जाता है। राज्य सरकार ने सूचित किया कि वर्ष 2007–13 के दौरान इसने किसी ऑफ–बजट उधारी का सहारा नहीं लिया।

1.9.5 बाजार उधारी सहित सरकार की उधारी का विश्लेषण

वर्ष 2008–13 के दौरान राज्य द्वारा नकद शेष तथा की गयी उधारी, **तालिका 1.22** में दी गयी है।

तालिका 1.22: नगद शेष एवं उधारी की विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजकोषीय घाटा	कुल उधारी (बाजार उधारी सहित)	राजकोषीय घाटा से अधिक उधारी	मार्च का नकद शेष
2008-09	2507	7081	4574	3557
2009-10	5273	6842	1569	2291
2010-11	3971	6871	2900	2735
2011-12	5914	7660	1746	1509
2012-13	6545	10850	4305	3716

(स्त्रोतः संबंधित वर्षो का राज्य का वित्त लेखा)

उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है कि वृहत नकद शेष रहने के बावजूद राजकोषीय घाटा से उधारी ₹ 4574 करोड़, ₹ 1569 करोड़, ₹ 2900 करोड़, ₹ 1746 करोड़ तथा ₹ 4305 करोड़ क्रमशः वर्ष 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12 तथा 2012–13 के

दौरान बढ़ गया। वर्ष 2008–13 के दौरान ₹ 1509 करोड़ एवं ₹ 3716 करोड़ के बीच वृहत नकद शेष को राजकोषीय घाटा के स्तर तक हुए आधिक्य उधारी पर आरोपित की जा सकती थी जिसे **तालिका 1.22** में दर्शायी गयी है।

1.10 ऋण प्रबंधन

राजकोषीय घाटा सामान्यतः राज्य द्वारा उधारी के माध्यम से पोषित होता है । ऋण की वृद्धि दर, ऋण पुनर्भुगतान देयता, लोक ऋण पुनर्भुगतान, चालू व्यय को वित्त पोषित करने हेतु ऋण पर निर्भरता (पूँजीगत व्यय नहीं) सरकारी प्रतिभूति पर एस.पी.भी द्वारा बढ़ाये गये ऋण के कारण तथा ऋण चुकाने पर वचनबाध्यता नीचे प्रदर्शित की गयी है।

- ***ऋण विवरणिका***

प्रति व्यक्ति ऋण को दिखाने के लिए विगत पाँच वर्षो का समयवार विश्लेषण नीचे **तालिका 1.23** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1.23 : ऋण विवरणिका : सूचकांक तथा प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

ऋण विवरणिका के प्रदर्शक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
उधार ली गयी राशि की निवल उपलब्धता[$]	93.28	28	71	651	4263
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

उधार ली गयी निधि की निवल उपलब्धता वर्ष 2011–12 में ₹ 651 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 4263 करोड़ हो गयी।

वर्ष 2012–13 में वित्त लेखा की विवरणी संख्या 6 के अनुसार, सरकार द्वारा ₹ 9046 करोड़ का आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ₹ 508 करोड़ का ऋण एवं अग्रिम, ₹ 17441 करोड का अन्य देनदारियाँ ली गई तथा ₹ 2585 करोड़ का आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार को ₹ 485 करोड़ का ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान किया, ₹ 15234 करोड़ मूल्य की अन्य देनदारियों को चुकाया तथा ₹ 3481 करोड़ मूल्य के आंतरिक ऋण पर ब्याज, केन्द्र सरकार से ₹ 470 करोड़ का ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज तथा ₹ 478 करोड़ मूल्य के लघु बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज का पुनर्भुगतान किया।

- ***ऋण निर्वाहता***

राज्य सरकार के ऋणों की मात्रा के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि उन सूचकों का विश्लेषण किया जाए जो कि राज्य सरकार की ऋण निर्वाहता[14] का निर्धारण करते है। प्रतिवेदन का यह खण्ड, ऋण स्थिरता,[15] गैर–ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता,[16] उधार ली गई

[$] *उधार निधियों की निवल उपलब्धता = लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ–(लोक ऋण का पुनर्भुगतान एवं अन्य दायित्व + गैरयोजना शीर्ष 2049 के अंतर्गत ब्याज भुगतान)।*

[14] *किसी समयावधि तक ऋण और जी. एस. डी. पी. अनुपात को स्थिर रखने की सरकार के सामर्थ्य को निर्वाहता के रूप में परिभाषित किया गया है एवं इसके ऋण चुकाने के सामर्थ्य भी शामिल है। ऋण की निर्वाहता इसलिए चालू था कि प्रतिबद्ध दायित्वों की पूर्ति के लिए परिशोधित परिसंपति की पर्याप्तता का भी जिक्र करता है एवं अतिरिक्त ऋण की लागत एवं ऐसे ऋणों से निवेश के बीच संतुलन बनाये रखने की क्षमता रखता है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण की चुकाने की क्षमता में वृद्धि के बराबर होना चाहिए।*

[15] *स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त है कि आर्थिक वृद्धि दर, ब्याज दर या लोक ऋण की लागत से अधिक हो, ऋण जी. एस. डी. पी. अनुपात स्थिर होने की संभावना है बशर्ते कि आरंभिक शेष या तो शून्य या धनात्मक या नाम मात्र ऋणात्मक हो। दिये गए दर विस्तार (जी. एस. डी. पी. वृद्धि दर ब्याज दर) एवं परिणाम विस्तार (ऋण दर विस्तार), ऋण की स्थिति दर्शाता है यदि आरंभिक घाटा के साथ परिणाम विस्तार शून्य है तो ऋण जी. एस.डी.पी. अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः स्थिर रहेगा। दूसरी ओर यदि प्रारंभिक घाटा के साथ विस्तार, ऋणात्मक हो तो ऋण जी. एस. डी. पी. अनुपात बढ़ेगा एवं धनात्मक मामले में ऋण जी. एस. डी. पी. अनुपात अंततः घटेगा।*

[16] *राज्य के बढ़ते हुए गैर ऋण प्राप्तियों को तभी पर्याप्त माना जाएगा यदि बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों एंव बढ़ते हुए व्यय को पूरा कर सकें। यदि प्रारंभिक व्यय एवं ब्याज दायित्व में वृद्धि के पूर्ति हेतु गैर ऋण प्राप्तियों में वृद्धि हो सके तो ऋण निर्वाहता में आसानी हो सकती है।*

राशियों की निवल अनुपलब्धता[17], ब्याज भुगतान का भार (राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान के अनुपात की माप) और राज्य सरकार के प्रतिभूतियों की परिपक्वता अनुपात के संदर्भ में राज्य सरकार के ऋण निर्वाहता की संवहनीयता का आकलन करता है।

तालिका 1.24 वर्ष 2008–13 की अवधि में इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण निर्वाहता का विश्लेषण करता है।

तालिका 1.24 ऋण निर्वाहता : सुचकांक और प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

ऋण निर्वाहता के सूचकांक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ऋण स्थिरता (प्रमात्रा विस्तार+प्रारंभिक अधिशेष)	10729.53	(-)226.39	9449.84	7910.80	8318.02
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतर)	(-)804.00	(-)1524	3372	(-)1485.07	282.02
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	93.28	28	71	651	4263
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व पारित अनुपात)	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10
राज्य ऋण की परिपक्वता की रूप रेखा* (वर्षो में)					
शून्य से एक वर्ष (2013)					1153.23 *(4.45)*
एक से तीन वर्ष (2014–2016)					2700.35 *(10.41)*
तीन से पाँच वर्ष (2017–2018)					2737.05 *(10.55)*
पाँच से सात वर्ष (2019–2020)					6646.93 *(25.63)*
सात वर्ष से अधिक (2021 के आगे)					12700 *(48.96)*
कुल बाजार ऋण					25937.56 *(100)*

** तालिका में बाजार ऋण के परिपक्वता की रूपरेखा है जो केवल वर्ष 2012–13 में वित्तीय लेखा में उपलब्ध परिपक्वता का वर्ष है।*
कोष्ठक में दिये आँकड़े देय पुनर्भुगतान की प्रतिशतता को दर्शाते है ।

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष का राज्य का वित्त लेखा)

प्रत्येक सूचक की स्थिति निम्नवत थी–

यदि प्रारंभिक घाटा के साथ–साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य है तो ऋण–जी.एस.डी.पी. अनुपात नियत होगा या ऋण यथावत स्थिर होगा। वर्ष 2011–12 की तुलना में परिणाम विस्तार के साथ प्रारंभिक अधिशेष ₹ 7910.80 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 8318.02 करोड़ हुआ यह दर्शाता है कि ऋण निर्वाहता में वृद्धि हुई।

तालिका 1.24 के अनुसार राज्य ऋण की परिपक्वता यह दर्शाता है कि कुल ऋण का लगभग 25.41 प्रतिशत आने वाले पाँच वर्षो के अंदर पुनर्भुगतान किया जाना था तथा शेष 74.59 प्रतिशत का भुगतान इसके बाद होना था। राज्य, वर्ष 2017–18 की अवधि के दौरान ₹ 2737.05 करोड़ वर्ष 2019–20 के दौरान ₹ 6646.93 करोड़ तथा वर्ष 2021 के दौरान एवं उसके बाद ₹ 12700 करोड़ का ऋण पुनर्भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था। आने वाले वर्षो में राज्य को ऋण के पुनर्भुगतान हेतु निधि सूचित करने के लिए अपना ऋण निर्वाहता सुधारण होगा। इन क्रमिक वर्षो में परिपक्व ऋण के अतिरिक्त और उधारी नहीं लेना पड़े इसके लिए सरकार को ऋण पुनर्भुगतान हेतु सुदृढ़ योजना तैयार करना होगा।

1.10.1 ऋण सुदृढ़ीकरण तथा राहत सुविधा

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) से उपलब्ध ऋण पर ब्याज राहत तथा भारत सरकार द्वारा बकाया ऋण का बट्टे खाते में डालना तथा राज्य विशिष्ट अनुदान को वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक की अवधि में ऋण–जी.एस.डी.पी. अनुपात के लक्ष्य को सम्मिलित करने हेतु एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में आवश्यक संशोधन/अधिनियम लाकर राज्यो को उपलब्ध करायी जाएगी। राज्य सरकार

[17] *उधार निधियों की निवल उपलब्धता – इस कुल ऋण प्राप्तियों के ऋण मोचन अनुपात (मूलधन, ब्याज भुगतान) के रूप में परिभाषित किया गया है तथा यह ऋण मोचन एवं ऋण प्राप्तियों का अनुपात प्रदर्शित करता है कि निवल उपलब्ध उधार निधियों को दर्शाते हुए किस मात्रा में ऋण विमोचन में ऋण प्राप्तियों का उपयोग किया जाता है।*

ऋण –जी.एस.डी.पी. अनुपात को एफ.आर.बी.एम. अधिनियम 2006 के अनुसार 2011–12 में 46.40 तथा वर्ष 2012–13 में 44.60 की सीमा के भीतर रखने हेतु सक्षम था। वर्ष 2012–13 के दौरान बिहार सरकार ने ऋण सुदृढ़ीकरण तथा राहत सुविधा प्राप्त किया, यह शहरी विकास, उद्योग, पथ परिवहन एवं राजमार्ग तथा कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्रमशः ₹ 163.79 लाख, ₹ 30.82 लाख, ₹ 13.36 लाख तथा ₹ 1876.75 लाख के रूप में दिये गये।

1.10.2 बाजार उधारी पर समीक्षा

1.10.2.1 प्रस्तावना

राजकोषीय घाटा वर्ष के दौरान सरकार की उधारी आवश्यकताओं को निरूपित करती है। उधारी का लेखा समेकित निधि (ई. लोक ऋण) के अंतर्गत रखा जाता है। राज्य सरकार के आंतरिक ऋण तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम इसके प्रमुख भाग है। आंतरिक ऋण को पुनः बाजार ऋण एवं व्यवसायिक ऋण में विभक्त किया गया है।

बाजार उधारी केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार की सहमति के बगैर, किसी ऋण का उठाव नहीं कर सकते यदि वे ऋण केन्द्र सरकार पर भारित हो । राज्य सरकार विभिन्न प्रकार के दिनांकित प्रतिभूति, आवधिक राज्य विकास ऋण जारी करती हैं। यह समीक्षा 2008–13 की अवधि के दौरान बिहार सरकार द्वारा लिए गए बाजार ऋण की आवश्यकता एवं उपयोग का आकलन करने हेतु है।

1.10.2.2 बाजार उधारी की स्थिति

2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान बाजार उधारी की वर्षवार स्थिति **तालिका 1.25** में दी गई है।

तालिका 1.25: बाजार उधारी की वर्षवार स्थिति

(₹ करोड में)

वर्ष	बाजार ऋण का आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान ली गई बाजार ऋण	वर्ष के दौरान चुकायी गई बाजार ऋण	अंत शेष	आरंभिक शेष के संदर्भ में निवल बढ़त	विगत वर्ष की तुलना से बढ़ोत्तरी की प्रतिशतता
2008-09	10706	3397	733	13370	2664	24.88
2009-10	13370	3000	498	15872	2502	18.71
2010-11	15872	2600	892	17580	1708	10.76
2011-12	17580	4000	1406	20174	2594	14.76
2012-13	20174	7100	1336	25938	5764	28.57

(स्त्रोतः वित्त लेखा/वित्त विभाग)

बाजार उधारी 2008–09 के प्रारंभ में ₹ 10706 करोड़ से 142.28 प्रतिशत बढ़कर 2012–13 के अंत तक ₹ 25938 करोड़ हो गई। 2008–09 से 2010–11 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा बाजार उधारी में घटती हुई प्रवृत्ति दिखी लेकिन 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान क्रमशः ₹ 1400 करोड़ एवं ₹ 3100 करोड़ की वृद्धि हुई।

1.10.2.3 ऋण निर्वाहता सूचक

राज्य सरकार की ऋण निर्वाहता सूचक **तालिका 1.26** में दिए गए है:–

तालिका 1.26: ऋण निर्वाहता सूचक

(₹ करोड में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कुल देयता	54977	58690	62858	67812	76503
लोक ऋण*	39291	43442	47285	50990	57474
कुल बाजार ऋण	13370	15872	17580	20174	25938

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कुल दायित्व की तुलना में बाजार ऋण की प्रतिशतता	24.32	27.04	27.97	29.75	33.90
लोक ऋण की तुलना में बाजार ऋण की प्रतिशतता	34.03	36.54	37.18	39.56	45.13
बाजार ऋण पर भारित औसत ब्याज दर–वित्तीय वर्षवार	7.83	8.21	8.50	8.85	8.85
बाजार ऋण पर भुगतित ब्याज	865	1082	1257	1349	1600
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)	142279	164547	198135	246487	294388
प्रतिशत में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	19.64	15.65	20.41	24.40	19.43
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर एवं ब्याज दर अनुपात	2.51:1	1.91:1	2.40:1	2.76:1	2.20:1
कुल राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले ब्याज भुगतान अनुपात	0.11:1	0.10:1	0.10:1	0.08:1	0.07:1
प्राथमिक अधिशेष (+)/घाटा(–)	1246	(-)1588	348	(-)1610	(-)2117
राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (–)	4469	2943	6316	4821	5101
राजकोषीय घाटा	2507	5273	3971	5914	6545
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले कुल दायित्वों की प्रतिशतता	38.64	35.67	31.72	27.51	25.99
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले लोक ऋण की प्रतिशतता	27.62	26.40	23.87	20.69	19.52
बकाया प्रत्याभूतियाँ	704	859	588	1092	1089
राजस्व प्राप्तियाँ (आर.आर.)	32981	35527	44532	51320	59567
राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले बकाया प्रत्याभूतियों की प्रतिशतता	2.13	2.42	1.32	2.13	1.83
* *आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित।*					

(स्त्रोतः–सम्बन्धित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले कुल देयता की प्रतिशतता 2008–09 में 38.64 प्रतिशत से घटकर 2012–13 में 25.99 प्रतिशत हो गई, जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले लोक ऋण की प्रतिशतता 2008–09 में 27.62 प्रतिशत से घटकर 2012–13 में 19.52 प्रतिशत हो गई। लोक ऋण में बाजार ऋण का हिस्सा 2008–09 में 34.03 प्रतिशत से बढ़कर 2012–13 में 45.13 प्रतिशत हो गई।

1.10.2.4 बाजार ऋण की विवरणिका

विगत पाँच वर्षों के दौरान ली गई बाजार ऋण की विवरणिका **तालिका 1.27** में दी गई है।

तालिका 1.27: बाजार ऋण की विवरणिका

ऋण का आवर्तन	ली गई ऋण की राशि (₹ करोड़ में)					
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	योग
> 7 वर्ष	3397	3000	2600	4000	7100	20097
वर्ष के दौरान ली गई कुल ऋण	3397	3000	2600	4000	7100	20097
31 मार्च को कुल बकाया	13370	15872	17580	20174	25938	
कुल बकाया ऋण के मुकाबले ली गई ऋण की प्रतिशतता	25.41	18.90	14.79	19.83	27.37	

(स्त्रोतः सम्बन्धित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

वर्ष 2008—13 के दौरान लिए गए कुल ₹ 20097 करोड़ के बाजार उधारी 10 वर्षो की परिपक्वता अवधि के थे।

1.10.2.5 बाजार ऋण की भारित औसत परिपक्वता

बंधक समर्थित प्रतिभूति पर आधारित गिरवी की परिपक्वता के पूर्व की शेष औसत अवधि को बंधक समर्थित प्रतिभूति की प्रतिशतता, जिसे प्रत्येक गिरवी संघटित करता हैं, से भारित किए जाने को भारित औसत परिपक्वता कहा जाता है। विगत पाँच वर्षो के दौरान बाजार ऋण की भारित औसत परिपक्वता की स्थिति **तालिका 1.28** में दी गई है।

तालिका 1.28 : बाजार ऋण की भारित औसत परिपक्वता

(वर्षों में)

	भारित औसत परिपक्वता	
वर्ष	वर्ष के दौरान निर्गत	बकाया बाजार ऋण
2008-09	10	6
2009-10	10	6
2010-11	10	6
2011-12	10	6
2012-13	10	7

(स्त्रोतः वित्त विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त सूचना)

वर्ष 2008—09 से 2012—13 की अवधि के दौरान बाजार उधारी की भारित औसत परिपक्वता 10 वर्षो पर स्थिर रही। 2008—09 एवं 2011—12 के बीच बाजार उधारी के संचित बकाये की भारित औसत परिपक्वता स्थिर रही। तथापि, 2012—13 के दौरान यह बढ़कर सात वर्ष हो गई।

1.10.2.6 बाजार ऋणों की परिपक्वता प्रवृत्ति

2014—21 की अवधि के लिए बाजार ऋण की परिपक्वता प्रवृत्ति की वर्षवार स्थिति **तालिका 1.29** में दी गई है।

तालिका 1.29 : बाजार ऋण की परिपक्वता प्रवृत्ति (31 मार्च 2013)

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता वर्ष	परिपक्वता राशि	बकाया बाजार ऋणों की प्रतिशतता के रूप में
2014-15	1433	5.52
2015-16	1267	4.88
2016-17	895	3.45
2017-18	1092	4.21
2018-19	3397	13.10
2019-20	3000	11.57
2020-21	2600	10.02

टिप्पणीः— मार्च 2013 को बकाया ऋण = ₹ 25938 करोड़।

वर्ष 2018—19, 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान बकाया ऋण पर क्रमशः 13.10 प्रतिशत, 11.57 प्रतिशत एवं 10.02 प्रतिशत के सार्थक निर्वहन मोचन दबाव के साथ, अगले सात वर्षों में परिपक्वता राशि, बकाया बाजार ऋण का औसतन 7.54 प्रतिशत होगा ।

1.10.2.7 बाजार ऋण के ब्याज दर का विवरणिका

वर्षवार औसत ब्याज दर, जिस पर सरकार द्वारा 2008—13 की अवधि के दौरान बाजार ऋण लिए गए, **तालिका 1.30** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.30: बाजार ऋण के ब्याज दर का विवरणिका

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर (प्रतिशत)	वर्ष के दौरान लिए गए बाजार ऋण					
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	योग
5 से कम	-	-	-	-	-	-
5 – 5.99	-	-	-	-	-	-
6 – 6.99	750	-	-	-	-	750
7 – 7.99	731	1000	-	-	-	1731
8 – 8.99	1916	2000	2600	3500	6350	16366
9 – 9.99	-	-	-	500	750	1250
10 – 10.99	-	-	-	-	-	-
भारित औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.83	8.21	8.50	8.85	8.85	-

(स्त्रोतः वित्त विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त सूचना)

बाजार ऋण पर भारित औसत ब्याज दर बढती प्रवृत्ति को सूचित करता है और यह 2008–09 में 7.83 प्रतिशत से बढ़कर 2012–13 में 8.85 प्रतिशत हो गई।

1.10.2.8 राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान

तालिका 1.31 विगत पाँच वर्षो के दौरान राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में राज्य सरकार द्वारा ब्याज भुगतान को प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.31 : राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में ब्याज भुगतान

(₹ करोड़ में)

राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सकल ब्याज भुगतान					
विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ब्याज भुगतान	3753	3685	4319	4304	4428
राजस्व प्राप्तियाँ	32981	35527	44532	51320	59567
राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	11.38	10.37	9.70	8.39	7.43

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

2008–13 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान की प्रतिशतता में कमी की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई।

1.10.2.9 बजट प्राक्कलन से बाजार उधारी की भिन्नता

2008–09 से 2012–13 के लिए बाजार ऋण से संबंधित बजट प्राक्कलन एवं परिशोधित प्राक्कलन के नमूना जाँच के दौरान बजट प्राक्कलन एवं बाजार उधारी की वास्तविक राशि में अंतर पाया गया जिसे **तालिका 1.32** में इंगित किया गया है।

तालिका 1.32: बजट प्राक्कलन एवं वास्तविक बाजार उधारी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्राक्कलन के अनुसार बाजार उधारी	वास्तविक बाजार उधारी	बजट प्राक्कलन के प्रतिशत के रूप में वास्तविक बाजार उधारी
2008-09	748	3397	454.14
2009-10	5284	3000	56.78
2010-11	3941	2600	65.97
2011-12	2122	4000	188.50
2012-13	5736	7100	123.78

(स्त्रोतः वित्त विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त सूचना)

वर्ष 2008–13 की अवधि के दौरान बजट प्राक्कलन की प्रतिशतता के रूप में वास्तविक बाजार ऋण 56.78 प्रतिशत एवं 454.14 प्रतिशत की बीच रही, जिससे राज्य सरकार द्वारा अवास्तविक बजट प्राक्कलन का बोध होता है।

1.10.2.10 अन्य मुद्दे

बाजार उधारी की उगाही की प्रकिया एवं उसके उपयोग के विश्लेषण से निम्नलिखित बातें प्रकट हुईः–

(i) पर्याप्त रोकड़ शेष की उपलब्धता के बावजूद बाजार उधारी

तेरहवीं वित्त आयोग ने निर्धारित किया कि वृहत् रोकड़ शेष वाले राज्यों द्वारा लगातार प्रयास होना चाहिए कि नई उधारी लेने के पूर्व उपलब्ध रोकड़ शेष का उपयोग किया जाए। तथापि, उधारी के समय पर्याप्त रोकड़ शेष होने के बावजूद बिहार सरकार ने वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक बाजार ऋण का सहारा लिया। इस प्रकार, उधारी तेरहवीं वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लंघन था जबकि उपलब्ध रोकड़ शेष कोषागार विपत्र में निवेशित रही ।

जवाब में, वित्त विभाग, बिहार सरकार ने कहा (अगस्त 2013) कि वर्ष के दौरान व्यय एवं राजकोषीय घाटा को पूर्णता में देखे जाने की आवश्यकता है। सिर्फ यह कहना उचित नहीं है कि पर्याप्त रोकड़ शेष की उपलब्धता के बावजूद उधारी ली गई। वित्त विभाग ने वर्हिगमन सम्मेलन (अगस्त 2013) में पुनः कहा कि राज्य सरकार सामान्यतः (मार्च महीने को छोड़कर) ₹ 1500 करोड़ से ₹ 2000 करोड़ तक आरक्षित रखने का प्रयास करती है । अतएव राज्य सरकार के द्वारा पर्याप्त रोकड़ शेष होने के बावजूद उधारी ली गई। वित्त विभाग ने यह भी कहा कि वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में स्थिति सुधरी है।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2008–09 से 2010–11 तक प्रत्येक बार बाजार ऋण लेते समय कोषागार विपत्र धृति (पखवारा–वार विवरण) ₹ 1500 करोड़ से काफी अधिक थे। वित्त विभाग का 2011–12 एवं 2012–13 में स्थिति में सुधार से संबंधित कथन लेखापरीक्षा के इस दावे की संपुष्टि करता है कि बिहार सकार ने 2008–09 से 2010–11 तक पर्याप्त रोकड़ शेष होने के बावजूद ऋण का आश्रय लिया। इस प्रकार, वर्ष 2008–09 से 2010–11 में बिहार सरकार द्वारा ली गई ऋण तेरहवीं वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप नहीं है जो यह प्रतिज्ञा करता है कि ऋण का सहारा लेने के पूर्व उपलब्ध रोकड़ शेष का उपयोग किया जाना था।

(ii) बाजार उधारी के उपयोगिता की निगरानी हेतु प्रणाली का अभाव

विभागवार/लोक उपक्रम वार/योजना वार तरीके में बाजार ऋण की उपयोगिता पर बिहार सरकार द्वारा निगरानी रखने का कोई विशिष्ट प्रणाली नहीं पाया गया। तंत्र पर ऐसी निगरानी के अभाव में, उधारी की उपयोगिता/अनुपयोगिता/प्रतिधारण का लेखापरीक्षा के दौरान सत्यापन नहीं हो सका। वित्त विभाग, बिहार सरकार ने स्वयं स्वीकार किया (जून 2013) कि विभाग वार/लोक उपक्रम वार/योजना वार तरीके में ऋण की प्रमात्रा वार उपयोगिता संभव नहीं है। वित्त विभाग, बिहार सरकार ने वर्हिगमन सम्मेलन (अगस्त 2013) में अपने पूर्व कथन को दोहराया तथा कहा कि केवल बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना तथा नाबार्ड से उधारी, विशिष्ट एवं योजना वार है।

(iii) समेकित निक्षेप निधि में कम अंशदान

बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (30 मार्च 2009) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 से आरंभ कर हर वर्ष समेकित निक्षेप निधि में अंशदान किया जाना था जिसके अंतर्गत अंशदान की राशि पूर्व वर्ष की समाप्ति तक बकाया देयत्ता की राशि का कम से कम 0.5 प्रतिशत होनी चाहिए थी। यह पाया गया कि वर्ष 2008–13 के दौरान बिहार सरकार ने न्यूनतम

आवश्यक राशि का अंशदान समेकित निक्षेप निधि में नहीं किया। फलस्वरूप, उपर्युक्त अवधि के दौरान निक्षेप निधि में ₹ 545.25 करोड़ का कम अंशदान हुआ जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 1.33: समेकित निक्षेप निधि की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया देयता	अंशदान			
		वर्ष	न्यूनतम योगदान अर्थात् पूर्व वर्ष की देयता का 0.5 प्रतिशत	वास्तविक अंशदान की राशि	कम अंशदान
2007-08	50989.19	2008-09	254.95	140.00	114.95
2008-09	54976.75	2009-10	274.88	140.00	134.88
2009-10	58689.91	2010-11	293.45	160.00	133.45
2010-11	62858.01	2011-12	314.29	236.43	77.86
2011-12	67811.84	2012-13	339.06	254.95	84.11
योग	**295325.70**		**1476.63**	**931.38**	**545.25**

वित्त विभाग, बिहार सरकार ने वर्हिगमन सम्मेलन (अगस्त 2013) में कहा कि लोक ऋण का 0.5 प्रतिशत समेकित निपेक्ष निधि में अंशदान दिया जा रहा है।

वित्त विभाग, बिहार सरकार का कथन सही नहीं है क्योंकि समेकित निक्षेप निधि में दिया गया अंशदान बकाया देयता के 0.5 प्रतिशत से काफी कम है जैसा कि **तालिका 1.33** में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त इससे तथ्य की संपुष्टि होती है कि समेकित निक्षेप निधि को कम अंशदान दिया जाता है, जिससे परिपक्वता के समय उधारी के पुनर्भुगतान करते समय संसाधन के आकार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह अपर्याप्त राजकोषीय प्रबंधन को भी दर्शाता है।

(iv) प्रत्याभूति मोचन निधि का सृजन नहीं होना

बारहवीं वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के कंडिका 12.60 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा उद्दिष्ट प्रत्याभूति शुल्क के माध्यम से प्रत्याभूति मोचन निधि का सृजन करना था। पुनः भारत सरकार के लेखाकरण मानक–1 (आई.जी.ए.एस–1) के अनुसार, संघीय सरकार, राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों (विधान मंडल सहित) की सरकारों के वित्तीय विवरण टिप्पणी में निम्नलिखित ब्यौरों का उल्लेख होगाः–

(क) तय सीमा, यदि कोई हो, जिसके तहत सरकार प्रत्याभूति दे सकें,

(ख) यदि प्रत्याभूति मोचन अथवा आरक्षित निधि अस्तित्व में है तथा वर्षारम्भ में निधि में उपलब्ध शेष के प्रकटन सहित इसके विवरण, कोई भुगतान एवं वर्षांत में शेष।

बारहवीं वित्त आयोग के सिफारिश के अनुसार बिहार सरकार ने प्रत्याभूति मोचन निधि का सृजन नहीं किया। आई.जी.ए.एस.–1 की आवश्यकता के अनुरूप प्रत्याभूति सीमा राज्य के समेकित निधि के सुरक्षा के तहत् उल्लिखित नहीं थी।

वित्त विभाग, बिहार सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन से सहमति दर्शायी और वर्हिगमन सम्मेलन (अगस्त 2013) में कहा कि बिहार सरकार ने 1995 से प्रत्याभूति देना बंद कर दिया है, तथापि पिछले दो–तीन वर्षो में कुछ प्रत्याभूति[18] दी गई है। यह भी आश्वासन दिया गया कि प्रत्याभूति मोचन निधि का सृजन विचाराधीन है तथा इसका सृजन शीघ्र किया जाएगा।

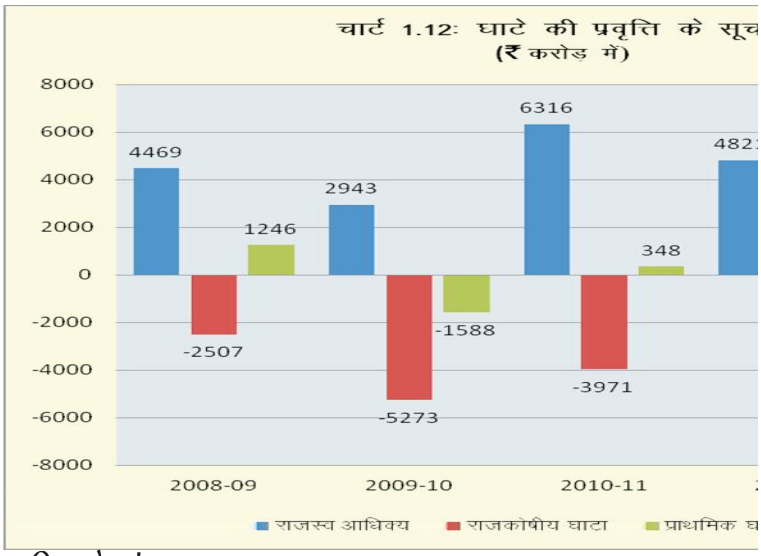
[18] *वर्ष 2010–11 के दौरान, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड : को ₹ 194.58 करोड़ और वर्ष 2011–12 के दौरान, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, को ₹ 500 करोड़, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम; को ₹ 4.38 करोड़ ।*

1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य वित्तीय पैमाने–राजस्व, राजकोषीय एवं प्रारंभिक घाटा–किसी विशेष अवधि में राज्य सरकार के वित्त के संपूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा इंगित करता है। सरकारी लेखा में घाटा प्राप्ति तथा व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। घाटे की प्रवृत्ति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन को इंगित करता है। साथ ही, घाटे का वित्तीय पोषण एवं संसाधनों की उगाही तथा प्रयोग राजकोषीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण सूचक है । यह खंड इन घाटों की प्रवृत्ति, प्रकृति, परिणाम और इनके वित्तीय पोषक के तरीके तथा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में राजस्व एवं राजकोषीय घाटा के वास्तविक स्तर को दर्शाता है।

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

राज्य को वर्ष 2008–09 से राजस्व अधिशेष प्राप्त था तथा इसके बाद भी राजस्व अधिशेष बना रहा। **चार्ट 1.12** से प्रकट होता है कि पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2011–12 के दौरान वास्तविक अधिशेष में ₹ 1495 करोड की कमी आई परंतु वर्ष 2012–13 में ₹ 280 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2012–13 के दौरान ₹ 5101 करोड़ का राजस्व अधिशेष राज्य के बजट प्रक्षेप ₹ 7089 करोड़ से काफी कम था।



(स्त्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

तालिका 1.34: वर्ष 2008–13 की अवधि के दौरान घाटे की प्रवृत्ति

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व अधिशेष/जी.एस.डी.पी.	0.031	0.018	0.032	0.020	0.017
राजकोषीय घाटा/जी.एस.डी.पी.	0.018	0.032	0.020	0.024	0.022
प्राथमिक अधिशेष/जी.एस.डी.पी.	0.009	(-)0.010	0.002	(-)0.007	(-)0.007

(स्त्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

चार्ट 1.12 एवं तालिका 1.34 में दर्शाया गया है कि वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष ₹ 280 करोड़ बढ़ गया जबकि राजकोषीय घाटा वर्ष 2011–12 में ₹ 5914 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 6545 करोड़ हो गया। तथापि राजकोषीय घाटा तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात (0.022), वर्ष 2012–13 हेतु तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित आकलन तथा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में वर्णित तीन प्रतिशत के भीतर था।

पुनः ₹ 1610 करोड़ का प्रारंभिक घाटा (2011–12) बढ़कर ₹ 2117 करोड़ हो गया (2012–13) ।

1.11.2 राजकोषीय घाटा के घटक एवं इसकी वित्तपोषण प्रतिमान

राजकोषीय घाटे के वित्तीय पोषण प्रतिमान में समग्र परिवर्त्तन हुए है जिसे **तालिका 1.35** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.35: राजकोषीय घाटा के घटक तथा इसके वित्तपोषण प्रतिमान

(₹ करोड़ में)

विवरण		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजकोषीय घाटा की संरचना		**(-)2506.97**	**(-)5273.01**	**(-)3970.31**	**(-)5914.90**	**(-)6545.26**
1	राजस्व घाटा/राजस्व अधिशेष	4469-11	2942.66	6316.40	4820.68	5100.51
2	निवल पूँजीगत व्यय	(-)6436.35	(-)7332.09	(-)9195.94	(-)8852.01	(-)9584.52
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	(-)539.73	(-)883.58	(-)1090.77	(-)1883.57	(-)2061.25
राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण प्रतिमान*						
1	बाजार उधारी	3757.12	2501.91	1707.78	2593.90	5763.88
2	भारत सरकार से ऋण	(-)278.81	(-)49.35	316.03	361.08	23.30
3	एन.एस.एस.एफ को जारी विशेष प्रतिभूति	529.08	1472.52	1533.39	505.56	292.87
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	238.22	226.32	285.20	244.96	403.96
5	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	144.41	(-)262.86	252.70	(-)2.13	(-)215.55
6	जमा एवं अग्रिम	(-)690.52	(-)134.15	50.94	932.91	2199.05
7	उचंत तथा विविध	395.96	(-)290.89	1830.68	1238.71	(-)1936.34
8	प्रेषण	(-)221.57	(-)54.82	79.96	-36.82	19.51
9	आरक्षित निधि	293.24	(-)41.69	23.72	335.93	275.94
10	अंतर्राज्यीय समाशोधन	-	-	-	74.02	-
11	**संपूर्ण अधिशेष/घाटा**	**1660.14**	**-1906.02**	**6080.37**	**6248.12**	**6826.62**
12	नकद शेष में वृद्धि/कमी #			-2110.06	333.22	281.36
13	**सकल राजकोषीय घाटा**			**3970.31**	**5914.90**	**6545.26**

** ये सभी आँकड़े वर्ष के दौरान संवितरण/बहिर्गमन के निवल से विवरण*
नगद शेष (रिजर्व बैंक में जमा और कोषागार में प्रेषण)

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

तालिका 1.36: वर्ष 2012–13 के दौरान राजकोषीय घाटा को वित्तपोषण देने वाले प्राप्तियाँ एवं संवितरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
1	बाजार उधारी	7100.00	1336.12	5763.88
2	भारत सरकार से ऋण	508.02	484.72	23.30
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि से जारी विशेष प्रतिभूति	1005.51	712.64	292.87
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	940.43	536.47	403.96
5	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	1296.09	1511.64	(-)215.55
6	जमा एवं अग्रिम	15514.80	13315.75	2199.05
7	उचंत तथा विविध	83703.06	85639.40	(-) 1936.34
8	प्रेषण	8927.17	8907.66	19.51

क्रम सं0	विवरण	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
9	आरक्षित निधि	799.33	523.39	275.94
10	अंतर्राज्यीय समाशोधन			-
11	**संपूर्ण अधिशेष (–) घाटा (+)**			**6826.62**
12	नकद शेष मे वृद्धि/कमी			281.36
13	**सकल राजकोषीय घाटा**			**6545.26**

(स्त्रोतः राज्य का वित्त लेखा, 2012–13)

राजकोषीय घाटा, जो सरकार की उधारी एवं संसाधनों के अंतर को दर्शाता हैं, वह वर्ष 2011–12 में ₹ 5914.90 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 6545.26 करोड़ हो गया परंतु यह बजट प्राक्कलन (₹ 7569.43 करोड़) में प्रक्षेपण से कम था। वर्ष 2011–12 के दौरान राजकोषीय घाटा पूँजीगत व्यय का 66.82 प्रतिशत था परंतु यह वर्ष 2012–13 के दौरान बढ़कर 68.29 प्रतिशत हो गया। पूर्व वर्ष की तुलना में भारत सरकार से ऋण, एन.एस.एस.एफ को जारी विशेष प्रतिभूति, लघु बचत, भविष्य निधि आदि, उचंत विविध तथा आरक्षित निधि में कमी आई। तथापि, वित्तीय संस्था से ऋण, जमा एवं अग्रिम तथा प्रेषण में वृद्धि हुई।

1.11.3 घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता

राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात तथा प्रारंभिक घाटा का प्रारंभिक राजस्व घाटा[19] में अपघटन तथा पूँजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों को सम्मिलित करते हुए) राज्य के वित्त में घाटा की गुणवत्ता को प्रदर्शित करते है। राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटा का अनुपात उस विस्तार को बताता है जो चालू उपयोग हेतु उधार ली गयी निधि का उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त, राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटा का उच्च अनुपात भी यह इंगित करता है कि राज्य का परिसंपत्ति आधार लागातार घट रहा था तथा उधारी का एक अंश (राजकोषीय देयता) के पास कोई परिसंपत्ति पूर्तिकर नहीं था। प्रारंभिक घाटे का द्विभाजन (**तालिका 1.37**) उस सीमा की ओर इंगित करेगा जिस सीमा तक पूँजीगत व्यय बढ़ जाने के कारण प्रारंभिक घाटा हुआ, पूँजीगत व्यय में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार हेतु वांछित हो सकती है।

तालिका 1.37 : प्रारंभिक घाटा/अधिशेष–कारकों का द्विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्ति[20]	प्रारंभिक राजस्व व्यय[21]	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्रारंभिक व्यय	प्रारंभिक राजस्व घाटा (–) अधिशेष (+)	प्रारंभिक घाटा (–) अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8(2-6)
2008-09	32992	24759	6436	551	31746	8233	(+)1246
2009-10	35540	28899	7332	897	37128	6641	(-)1588
2010-11	44544	33897	9196	1103	44196	10647	(+)348
2011-12	51343	42195	8852	1906	52953	9148	(-)1610
2012-13	59592	50038	9585	2086	61709	9554	(-)2117

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

[19] प्रारंभिक राजस्व राज्य के घाटा गैर ब्याज राजस्व व्यय एवं इसके गैर ऋण प्राप्ति के रूप में परिभाषित है तथा यह प्रदर्शित करता है कि किस हद तक गैर ऋण प्राप्ति राजस्व लेखा के अंतर्गत किया गया प्रारंभिक व्यय को पूरा करने में समग्र है ।

[20] राजस्व प्राप्ति तथा ऋण एवं अग्रिम की वसूली का संग्रहित रूप गैर ऋण प्राप्ति है ।

[21] प्रारंभिक राजस्व व्यय, राजस्व व्यय एवं ब्याज भुगतान में अंतर है ।

उपर्युक्त तालिका से प्रदर्शित होता है कि वर्ष 2008–09 में ₹ 8233 करोड़ का प्रारंभिक राजस्व अधिशेष हुआ जो वर्ष 2009–10 में घटकर ₹ 6641 करोड़ हो गया परंतु वर्ष 2010–11 में बढ़कर ₹ 10647 करोड़ हो गया तथा अंततः वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 में घटकर क्रमशः ₹ 9148 करोड़ तथा ₹ 9554 करोड़ हो गया। इसका मुख्य कारण प्रारंभिक व्यय (जिसमें प्रारंभिक राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम शामिल है) में वर्ष 2008–09 में ₹ 31746 करोड़ से वर्ष 2012–13 में ₹ 61709 करोड़ हो गया। विवरण से प्रकट होता है कि गैर ऋण प्राप्तियाँ, प्रारंभिक राजस्व व्यय को पूरा करने हेतु पर्याप्त थे तथा इन प्राप्तियों के कुछ अंश का उपयोग पूँजीगत व्यय को पूरा करने में हुआ। यद्यपि वर्ष 2008–09 में राज्य का प्रारंभिक अधिशेष ₹ 1246 करोड़ था तथापि यह वर्ष 2012–13 में ₹ 2117 करोड़ के प्रारंभिक घाटे के रूप में परिणत हुआ।

1.12 निष्कर्ष

राजस्व प्राप्तियाँ

वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ 16.07 प्रतिशत (₹ 8246.49 करोड़) बढ़ गयी। इस वृद्धि का कारण अपने कर राजस्व में 28.87 प्रतिशत (₹ 3640.98 करोड़) तथा संघीय कर एवं शूल्कों में राज्य के अंश में 14.19 प्रतिशत (₹ 3965.16 करोड़) की वृद्धि था। राज्य का अपना कर राजस्व (₹ 16253.08 करोड़) भी बजट प्राक्कलन (₹ 15695.30 करोड़) तथा तेरहवें वित्त आयोग के आकलन (₹ 10537.39 करोड़) से क्रमशः 3.55 प्रतिशत (₹ 557.78 करोड़) तथा 54.24 प्रतिशत (₹ 5715. 69 करोड़) अधिक हो गया। करेत्तर राजस्व (₹ 1135.27 करोड़) पूर्व वर्ष की तुलना में 27.58 प्रतिशत (₹ 245.41 करोड़) अधिक हो गया। तथापि, करेत्तर राजस्व बजट प्राक्कलन (₹ 3142.46 करोड़) से 63.87 प्रतिशत (₹ 2007.19 करोड़) तथा तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गये आकलन (₹ 1907.27 करोड़) से 40.48 प्रतिशत (₹ 772 करोड़) कम था।

राजस्व व्यय

वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (₹ 54466.15 करोड़) 17.13 प्रतिशत (₹ 7966.66 करोड़) बढ़ गया। वृद्धि का मुख्य कारण सामान्य सेवाओं पर व्यय में 5.16 प्रतिशत (₹ 915.39 करोड़), सामाजिक सेवाओं में 23.38 प्रतिशत (₹ 4378.59 करोड़) तथा आर्थिक सेवाओं में 26.62 प्रतिशत (₹ 2672.14 करोड़) की वृद्धि था। तथापि, वर्ष के दौरान राजस्व व्यय वर्ष 2012–13 के लिए बजट प्राक्कलन (₹ 60959.27 करोड़) से 10.65 प्रतिशत (₹ 6493.12 करोड़) कम था ।

पूँजीगत व्यय

वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में 8.28 प्रतिशत (₹ 732.51 करोड़) की वृद्धि हुई।

राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को निधि का हस्तांतरण

भारत सरकार सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्रों में विभिन्न योजना/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को वृहत मात्रा में निधि का हस्तांतरण करता रहा है जिसे संकटकालीन माना जाता है। चूँकि वर्त्तमान तंत्र में ये निधियाँ राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली से होकर नहीं गुजरती है। अतः इनका उल्लेख राज्य के वित्त लेखा में नहीं होता है। वर्ष 2012–13 के दौरान भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को सीधे ₹ 8314.38 करोड़ हस्तांतरित किया जो पूर्व वर्ष की तुलना में सात प्रतिशत कम था। मुख्य प्राप्तकर्त्ता जिला ग्रामीण विकास एजन्सी (डी.आर.डी.ए.) (₹ 3082.53 करोड़ अर्थात् 37 प्रतिशत) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् (₹ 2754.62 करोड़ अर्थात् 33 प्रतिशत) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (₹ 959.75 करोड़ अर्थात् 12 प्रतिशत) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (₹ 757.95 करोड़ अर्थात् नौ प्रतिशत) थे।

निवेश तथा प्रतिलाभ

राज्य सरकार ने संविधिक निगमों, ग्रामीण बैंको, संयुक्त स्टॉक कंपनियों एवं सहकारी संस्थाओं में ₹ 941.17 करोड़ का निवेश किया था। विभिन्न संस्थाओं के शेयर पूँजी में राज्य

सरकार द्वारा निवेशित ₹ 941.17 करोड़ में 40 सरकारी कंपनियो में ₹ 420.71 करोड़, 16 सहकारी संस्थाओं में ₹ 380.97 करोड़, तीन सांविधिक निगमों में ₹ 105.63 करोड़, एक ग्रामीण बैंक में ₹ 30.18 करोड़ तथा नौ अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनी एवं साझेदारी तथा स्थानीय निकायों में ₹ 3.68 करोड़ निवेशित की गयी। वर्ष के दौरान सरकार ने ₹ 20.35 करोड़ का निवेश किया । इसमें से ₹ 17.70 करोड़ का निवेश सरकारी कंपनियों में हुआ।

राजकोषीय असंतुलन

राज्य की राजकोषीय देयता वर्ष 2008–09 में ₹ 54976.75 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 76503.07 करोड़ हो गयी। वर्ष के दौरान, राजस्व अधिशेष ₹ 280 करोड़ बढ़ गया जबकि राजकोषीय घाटा वर्ष 2011–12 में ₹ 5914 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 6545 करोड़ हो गया। तथापि राजकोषीय घाटा तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात (0.022), वर्ष 2012–13 हेतु तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित आकलन तथा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में वर्णित तीन प्रतिशत के भीतर ही था।

बाजार उधारी पर समीक्षा

वर्ष 2008–09 से 2010–11 के दौरान पर्याप्त नकद शेष/कोषागार विपत्र उपलब्ध होने के बावजूद बिहार सरकार ने इन वर्षों मे बाजार उधारी का सहारा लिया।

बिहार सरकार बाजार उधारी की उपयोगिता/अनुपयोगिता/प्रतिधारण पर निगरानी रखने हेतु एक प्रणाली विकसित करने में असफल रही।

बिहार सरकार ने वर्ष 2008–13 की अवधि के दौरान बकाया देयता मोचन हेतु सृजित समेकित निक्षेप निधि में कुल बकाया देयता के न्यूनतम आवश्यक राशि (0.5 प्रतिशत) का योगदान नहीं दिया।

बिहार सरकार ने बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रत्याभूति मोचन निधि का सृजन नहीं किया। राज्य के समेकित निधि की प्रतिभूति पर प्रत्याभूति सीमा तय नहीं की गयी जैसा कि आई जी. ए.एस–1 में आवश्यक था।

1.13 अनुशंसाएँ

सरकार को चाहिए कि:

- राज्य की विकास संभावनाएँ बढ़ाने हेतु पूँजीगत व्यय के अंश को बढ़ाकर परिसंपत्ति सृजन करें;
- समय तथा लागत के अधिक व्यय से बचने के लिए अपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु पहल करें;
- सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति, प्रत्याभूति शुल्क/कमीशन, अंतर्निहित/विमुक्त गारंटी इत्यादि पर डाटा बैंक का सृजन करें;
- प्रत्याभूति मोचन निधि का सृजन करें तथा प्रत्याभूति रोधक सीमा भी तय करें;
- बाजार उधारी की उपयोगिता/अनुपयोगिता/प्रतिधारण पर निगरानी रखने हेतु एक प्रणाली विकसित करें तथा आवश्यकता पर आधारित उधारी का सहारा लें तथा तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप केवल आधारभूत न्यूनतम नकद अधिशेष को प्रतिरोधक के रूप में अनुरक्षण करें।

अध्याय II

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

अध्याय II

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 यह अध्याय विनियोग लेखा की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा विनियोग का अनुदानवार विवरण प्रस्तुत करता है साथ ही उस रीति को भी प्रकट करता है जिससे विनिहित स्त्रोतो का प्रबंधन सेवा प्रदाता विभाग द्वारा हुआ। इसके अतिरिक्त, बजटीय कार्यविधि तथा बजट पूर्वधारणा की लेखापरीक्षा से उठी टिप्पणी इस अध्याय में शामिल किया जा रहा है।

विनियोग लेखा सरकार के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दत्तमत और भारित व्ययों का लेखा है जो विनियोग की विनिर्दिष्ट अनुसूची में विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदान एवं भारित विनियोग की राशियों के अनुरूप है। ये लेखे, मूल अनुदान, अनुपूरक अनुदानों, बचतों, अभ्यर्पणों एवं पुनर्विनियोगों की स्पष्ट सूची बनाते है तथा विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर राजस्व एवं पूँजीगत व्यय के साथ–साथ बिहार विनियोग अधिनियम, 2012 द्वारा प्राधिकृत बजट के भारित एवं दत्तमत दोनों मदों को बताते है। इस प्रकार, विनियोग लेखा वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों की निगरानी को आसान बनाते हैं, वे वित्त लेखा के पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखा की लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विविध अनुदानों में किया गया वास्तविक व्यय बिहार विनियोग अधिनियम, 2012 की प्राधिकृत राशि के अंतर्गत है तथा संविधान के अनुरूप भारित है। लेखापरीक्षा यह भी सुनिश्चित करती है कि किया गया व्यय विधिसम्मत नियम, कानून, विनियम और निर्देशों के अनुरूप है।

2.1.3 बिहार बजट नियमावली, 1963 के अनुसार विभिन्न विभागों से बजट अनुमान का आकलन प्राप्त कर वार्षिक बजट तैयार करने के लिए वित्त विभाग उत्तरदायी है। नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा आय एवं व्यय का विभागीय अनुमान विभागाध्यक्षों की सलाह पर तैयार कर वांछित तिथियों को वित्त विभाग को समर्पित की जानी है। वित्त विभाग विस्तृत अनुमान संचित कर "अनुदानों की माँग" तैयार करता है। बजट तैयार करने में, जहाँ तक संभव हो वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने के निकट पहुँचना चाहिए। इस दुर्लभ कार्य, राजस्व प्राक्कलन एवं व्यय पूर्वानुमान, दोंनों में दूरदर्शिता अपेक्षित है। किसी प्राक्कलन में परिहार्य अतिरिक्त प्रावधान उतनी ही बजटीय अनियमितता है जितनी कि स्वीकृत व्यय में अधिकता। बजट प्रक्रिया से तात्पर्य है कि किसी विशिष्ट मद पर व्यय के आकलन में प्रदत्त राशि वह राशि होनी चाहिए जिसे वर्ष में व्यय कर दी जाय। व्यय किये जाने वाले धन की बचत से उतनी ही वित्तीय अनियमितता होती है जितनी व्यय में अधिकता से। प्राप्तियों का बजट प्राक्कलन वर्त्तमान कर, शुल्क, फीस आदि के दर पर आधारित होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाये गये बजट एवं व्यय के प्रबंधन की कमियाँ तथा बजट नियमावली के उल्लंघन की चर्चा उत्तरवर्ती कंडिकाओं में की गयी है।

2.2 विनियोग लेखा का सारांश

वर्ष 2012–13 की अवधि के दौरान 51 अनुदानों/विनियोजनों के विरूद्ध किये गये व्यय की सारभूत स्थिति **तालिका 2.1** में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.1: मूल/पूरक प्रावधान की तुलना में व्यय

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृत्ति	मूल अनुदान/ विनियोजन	पूरक अनुदान/ विनियोजन	योग	व्यय	बचत (–) आधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	55712.70	7660.09	63372.79	50690.64	(-)12682.15
	II पूँजीगत	13412.37	4979.05	18391.42	9630.98	(-)8760.44
	III ऋण एवं अग्रिम	1260.71	1881.34	3142.05	2085.95	(-)1056.10
कुल दत्तमत		**70385.78**	**14520.48**	**84906.26**	**62407.57**	**(-)22498.69**
भारित	IV राजस्व	*5615.34*	*8.84*	*5624.18*	*4991.62*	*(-)632.56*
	V पूँजीगत	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
	VI लोक ऋण पुनर्भुगतान	*3054.48*	*28.60*	*3083.08*	*3069.96*	*(-)13.12*
कुल भारित		***8669.82***	***37.44***	***8707.26***	***8061.58***	***(-)645.68***
आकस्मिकता निधि में विनियोजन (यदि कोई हो)						
महायोग		**79055.60**	**14557.92**	**93613.52**	**70469.15**	**(-)23144.37**

नोटः कुल व्यय में ₹ 1216.12 करोड़ के राजस्व व्यय की वसूली/वापसी तथा व्यय में कमी के रूप में समायोजित ₹ 46.46 करोड़ के पूँजीगत व्यय की प्राप्ति शामिल है।
(स्त्रोतः– विनियोग लेखा, बिहार सरकार, 2012–13)

वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 14557.92 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधान का 18.41 प्रतिशत था। कुल बचत ₹ 23144.37 करोड़ की हुई जो कि ₹ 0.24 करोड़ के आधिक्य व्यय का प्रतिकार कर ₹ 23144.61 करोड़ की कुल बचत का परिणाम था। ₹ 13314.71 करोड़ की बचत राजस्व भाग के अंतर्गत 46 अनुदान तथा सात विनियोजन में तथा पूँजीगत भाग के अंतर्गत 31 अनुदान (₹ 8760.44 करोड़) तथा एक विनियोजन (₹ 13.12 करोड़) में ₹ 8773.56 करोड़ एवं ऋण भाग के अंतर्गत आठ अनुदान में ₹ 1056.10 करोड़ हुई।

₹ 79055.60 करोड़ के मूल प्रावधान के विरूद्ध ₹ 70469.15 करोड़ का व्यय हुआ। ₹ 23144.37 करोड़ की समग्र बचत जो कि ₹ 14557.92 करोड़ के पूरक प्रावधान का 62.90 प्रतिशत था, स्पष्ट रूप से निधि के त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन तथा बजट प्राक्कलन पर नियंत्रण तंत्र की कमी को प्रदर्शित करता है। अनावश्यक अनुपूरक प्रावधानों के मामलों की चर्चा कंडिका 2.3.4 में की गयी है। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार द्वारा नियंत्री अधिकारियों को बचत/आधिक्य की सूचना दी गयी थी (जून 2013) तथा उनसे आधिक्य/बचत का समाधान करने का अनुरोध किया गया परन्तु आधिक्य/बचत संबंधी उनके स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 2013)।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 विनियोजन तथा आवंटन प्राथमिकता

बिहार बजट नियमावली के नियम 65 के अनुसार नियंत्री पदाधिकारी को संवितरण पदाधिकारी से प्राप्त बजट प्राक्कलन की जाँच करनी चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि वे औपचारिक रूप से सही है। सभी विवरण एवं स्पष्टीकरण दिये गये है एवं स्पष्टीकरण पर्याप्त है। यदि वे अपर्याप्त है तो प्रावधान बदलना चाहिए। साथ ही बिहार बजट नियमावली के नियम 78 के अंतर्गत वित्त विभाग एवं प्रशासनिक विभाग द्वारा प्राक्कलन की प्रतियों की जाँच की जानी चाहिए तथा यदि किसी बिन्दु पर जाँच की आवश्यकता हो, तो उसे तुरंत कर लेनी चाहिए। प्रशासनिक विभाग को, जिन बिन्दुओं की जाँच होनी चाहिए, उन्हें पता लगाने के लिए वित्त विभाग की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए बल्कि उनकी प्राप्ति पर तुरंत प्राक्कलन की जाँच शुरू कर देनी चाहिए।

प्रशासनिक विभाग द्वारा किये गये जाँच का उद्देश्य बजट प्राक्कलन तथा इनके पुनरीक्षण में अधिक अथवा अपर्याप्त प्रावधानो का पता लगाना हैं, जिसे वे वित्त विभाग से ज्यादा आसानी से कर सकते हैं क्योंकि उन्हे वास्तविक स्थिति का ज्यादा गहरा ज्ञान है। यह भी आवश्यक है कि वित्त विभाग द्वारा जारी बजट पर्चियों के उत्तर देने में विलंब न हो। इसकी प्राप्ति तभी संभव है जब वित्त विभाग द्वारा संदर्भित बिन्दुओं पर संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा पहले ही विचार कर लिया गया हो एवं उनके द्वारा पूर्व में ही जाँच कर ली गयी हो। यह अत्यंत आवश्यक है कि साधारणतः बजट पर्ची का उत्तर इसकी प्राप्ति से एक सप्ताह में दे दिया जाए और किसी भी स्थिति में पर्ची को एक पखवारा से अधिक अनुत्तरित न रखा जाए।

विनियोजन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष से प्रकट हुआ कि वर्ष 2012–13 के दौरान 31 मामलों में बचत प्रत्येक मामलों मे ₹ 10 करोड़ से अधिक हो गयी तथा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक था (***परिशिष्ट 2.1***)। बचत के 13 मामले थे, 12 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत प्रत्येक मामला ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक का था जो वर्ष 2012–13 के दौरान कुल ₹ 13835.42 करोड़ (24.03 प्रतिशत) था। वृहत् अव्ययित प्रावधान शिक्षा विभाग (₹ 2783.86 करोड़), पेंशन (₹ 1666.56 करोड़), ऊर्जा विभाग (₹ 1596.16 करोड़), योजना एवं विकास विभाग (₹ 1159.00 करोड़) तथा पथ निर्माण विभाग (₹ 1045.20 करोड़) के क्षेत्र में थे जैसा कि **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2 : ₹ 500 करोड़ एवं उससे अधिक बचत वाले अनुदानों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल	अनुपूरक	योग	व्यय	बचत	बचत में से अभ्यर्पण
राजस्व–दत्तमत							
1	1–कृषि विभाग	1530.21	1357.85	2888.06	2070.77	817.28	769.38
2	15–पेंशन	10034.72	0.06	10034.78	8368.22	1666.56	0.14
3	16–पंचायती राज विभाग	2906.41	370.34	3276.75	2591.06	685.69	559.36
4	20–स्वास्थ्य विभाग	2553.09	6.13	2559.22	1989.44	569.78	479.49
5	21–शिक्षा विभाग	14814.12	1948.56	16762.68	13978.82	2783.86	1826.79
6	35–योजना एवं विकास विभाग	817.04	2.34	819.38	151.13	668.25	664.47
7	51–समाज कल्याण विभाग	3353.31	465.56	3818.87	2926.83	892.04	815.19
	योग	**36008.90**	**4150.84**	**40159.74**	**32076.27**	**8083.46**	**5114.82**
पूँजीगत–दत्तमत							
8	3–भवन निर्माण विभाग	669.44	372.03	1041.47	319.40	722.07	688.81
9	10–ऊर्जा विभाग	2056.20	797.94	2854.14	1257.98	1596.16	1595.69
10	35–योजना एवं विकास विभाग	1219.98	325.05	1545.03	386.03	1159.00	1142.20
11	41–पथ निर्माण विभाग	3810.63	525.68	4336.31	3291.11	1045.20	1032.65
12	49–जल संसाधन विभाग	2150.47	298.32	2448.79	1776.06	672.73	672.53
	योग	**9906.72**	**2319.02**	**12225.74**	**7030.58**	**5195.16**	**5131.88**
राजस्व–भारित							
13	13–ब्याज भुगतान	5186.00	3.65	5189.65	4632.85	556.80	1.74
	योग	**5186.00**	**3.65**	**5189.65**	**4632.85**	**556.80**	**1.74**
	महायोग	**51101.62**	**6473.51**	**57575.13**	**43739.70**	**13835.42**	**10248.44**

(स्त्रोतः विनियोग लेखा, बिहार सरकार, 2012–13)

₹ 500 करोड़ से अधिक बचत वाले कुछ मामलों की चर्चा निम्नवत है:–

(i) अनुदान संख्या "21-शिक्षा विभाग" (राजस्व–दत्तमत)

₹ 14814.12 करोड़ के मूल प्रावधान के विरूद्ध व्यय केवल ₹ 13978.82 करोड़ था जिसके कारण ₹835.50 करोड़ की बचत हुई। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान पूरक अनुदान के जरिये निधि का प्रावधान (₹ 1948.56 करोड़) अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा ₹ 1948.56 करोड़ के पूरक प्रावधान मे से ₹ 1826.79 करोड़ अभ्यर्पित कर दिये गये। अंतिम बचत के कारणों की सूचना नहीं दी गयी है (अगस्त 2013)।

(ii) अनुदान संख्या "15–पेंशन" (राजस्व–दत्तमत)

इस अनुदान के अंतर्गत बचत (₹ 1666.56 करोड़) मुख्यतः 2071–पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति लाभ, 01–सिविल, 101–अधिवर्षिता एवं सेवानिवृत्ति भत्ता तथा 0001–15/11/2000 से पूर्व पेंशनधारियों को भुगतान (₹ 3684.03 करोड़) 104–उपादान, 0002–उत्तरवर्ती बिहार राज्य से अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को भुगतान (₹ 430.68 करोड़) 105–पारिवारिक पेंशन, 0001–15/11/2000 से पूर्व पेंशनधारियों को पारिवारिक पेंशन (₹ 60.41 करोड़) तथा 117– परिभाषित योगदान पेंशन योजना हेतु सरकारी योगदान, 0001 परिभाषित योगदान पेंशन योजना हेतु राज्य सरकार का योगदान (₹ 156.87 करोड़) आदि मे हुई। अंतिम बचत के कारणों की सूचना नहीं दी गयी है (अगस्त 2013) ।

(iii) अनुदान संख्या "10–ऊर्जा विभाग" (पूँजीगत–दत्तमत)

₹ 2056.20 करोड़ के मूल प्रावधान के विरूद्ध, व्यय केवल ₹ 1257.98 करोड़ था जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 798.22 करोड़ की बचत हुई। इसके अतिरिक्त पूरक अनुदान के जरिये निधि (₹ 797.94 करोड़) का प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वर्ष के दौरान पूरी राशि अनुपयोगित रही। अंतिम बचत के कारणों की सूचना नहीं दी गयी है (अगस्त 2013) ।

(iv) अनुदान संख्या "35–योजना एवं विकास विभाग" (पूँजीगत–दत्तमत)

₹ 1545.03 करोड़ (₹ 325.05 करोड़ के पूरक अनुदान सहित) के कुल प्रावधान के विरूद्ध ₹ 1159 करोड़ की बचत हुई। 4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, 051–निर्माण, 0107–मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास कार्यक्रम शीर्ष के अंतर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा तथा पूरक अनुदान (₹ 122.95 करोड़) के जरिये निधि का संवर्धन (₹ 195.05 करोड़) अनावश्यक सिद्ध हुआ। अंतिम बचत के कारणों की सूचना नहीं दी गयी है (अगस्त 2013)।

(v) अनुदान संख्या "41– पथ निर्माण विभाग" (पूँजीगत–दत्तमत)

₹ 525.68 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योकि ₹ 3291.11 करोड़ का कुल व्यय मूल प्रावधान (₹ 3810.63 करोड़) से कम था। बचत (₹ 1045.20 करोड़) मुख्यतः 5054–पथ एवं पुल पर पूँजीगत परिव्यय, 02–सामरिक तथा सीमा सड़क, 337–सड़क कार्य, 0101–भारत–नेपाल सीमा सड़क (₹ 23.27 करोड़), 03–राज्य राजमार्ग, 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 0101–मुख्य सड़के (₹ 23.36 करोड़) शीर्ष के अंतर्गत हुई। अंतिम बचत के कारणों की सूचना नहीं दी गयी है (अगस्त 2013)।

2.3.2 सतत बचत

10 अनुदानों/विनियोजनों में प्रत्येक मामले में ₹ 20 करोड़ से अधिक की सतत बचत हुई तथा यह गत पाँच वर्षो के दौरान कुल अनुदान का 11 से 76 प्रतिशत के बीच था जैसा कि ***परिशिष्ट 2.2*** में दर्शाया गया है।

2.3.3 पिछले वर्ष से संबंधित आधिक्य प्रावधान का अपेक्षित नियमितिकरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार किसी राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह अनुदानों/विनियोजनों के आधिक्य को विधान मंडल द्वारा नियमित कराए। तथापि, पूर्व वर्षो (1977 से 2011) में ₹ 1366.94 करोड़ की आधिक्य व्यय राशि का नियमितिकरण होना बाकी था जैसा कि ***परिशिष्ट 2.3*** में दर्शाया गया है। उक्त अवधि के दौरान आधिक्य व्यय का नियमितिकरण नहीं होना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

2.3.4 अनुपूरक प्रावधान का औचित्य

बिहार बजट नियमावली के नियम 117 में अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया वर्णित है। नियम के अनुसार, जब प्रशासनिक विभाग मानता है कि अनुपूरक अनुदान आवश्यक है तो उसे पहले वित्त विभाग से परामर्श करना चाहिए, चाहे व्यय के किसी नये विशिष्ट मद को शामिल करना पड़े अथवा अप्रत्याशित कारणो से दत्तमत अनुदान में संभावित आधिक्य को पूरा करना पड़े।

वर्ष के दौरान 48 मामलों में (39 अनुदान/विनियोजन) प्राप्त कुल ₹ 11912.58 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान जिसके प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या आधिक्य शामिल था, अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं हुआ जैसा कि ***परिशिष्ट 2.4*** में दर्शाया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नियंत्री अधिकारी बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 11 के प्रावधानों को लागू कराने में विफल रहे। वास्तविक आवश्यकताओं का मूल्यांकन किये बगैर अनुपूरक प्रावधानो की मांग नियंत्री पदाधिकारियों के नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

2.3.5 निधियों का अत्याधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

बिहार बजट नियमावली का नियम 37 पुनर्विनियोजन को, किसी विशिष्ट धनराशि का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निधि का हस्तांतरण जो विनियोजन के एक इकाई से दूसरी इकाई के अंतर्गत विशिष्ट व्यय को पूरा करता है, के रूप में परिभाषित करता है।

विस्तृत विनियोजन लेखा तथा अनुदान लेखापरीक्षा पंजी के नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि 67 उपशीर्षों सहित 21 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत जो ₹ 355.37 करोड़ की अतिरिक्त निधि पुनर्विनियोजन के जरिये प्रदान की गयी थी वह अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि अंतिम बचत ₹ 114.46 करोड़ थी जैसा कि ***परिशिष्ट 2.5*** में दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त, पुनर्विनियोजन के जरिये 16 मामलों में ₹ 129.52 करोड़ अविवेकपूर्ण ढंग से आहरित की गयी जबकि ₹ 37.10 करोड़ का आधिक्य व्यय था जैसा कि **तालिका 2.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3: निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अविवेकपूर्ण निकासी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान सं0	लेखाशीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि–योजन	कुल अभ्यर्पण	व्यय	अंतिम आधिक्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1	12	7610-00-204-0001-कम्प्यूटर क्रय हेतु अधिकारियों को अग्रिम	2.00	(-)0.50	0.18	1.36	0.04
2	20	2210-01-001-0001-अधीक्षण	19.87	(-)3.65	5.75	10.46	0.01
3		2210-01-110-0004-नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल	52.72	(-)3.60	12.02	39.70	2.60
4		2210-01-110-0009-भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर	33.13	(-)3.57	5.30	27.03	2.77
5	21	2202-02-109-0107- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	205.50	(-)49.76	36.19	134.19	14.64
6		2202-80-001-0001-मुख्यालय स्थापना	4.61	(-)0.51	1.32	3.40	0.62
7		2202-80-001-0102-राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र	40.00	(-)3.29	31.75	4.98	0.02
8	22	2055-00-109-0001-जिला कार्यकारी बल	1774.64	(-)5.00	113.36	1656.38	0.10

क्रम सं0	अनुदान सं0	लेखाशीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि–योजन	कुल अभ्यर्पण	व्यय	अंतिम आधिक्य
1	2	3	4	5	6	7	8
9	23	2852-80-001-0002-निर्देशन	15.48	(-)0.10	1.60	13.82	0.04
10	26	2230-01-103-0001- शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन	2.07	(-)0.04	0.26	1.78	0.01
11	35	2052-00-090-0010-योजना एवं विकास विभाग	7.80	(-)0.11	3.04	4.87	0.22
12	36	4215-01-102-0120-कुआँ, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना	57.80	(-)14.00	6.68	37.25	0.13
13	38	2030-03-001-0002-जिला प्रभार	40.25	(-)0.27	6.71	36.26	2.99
14	42	2216-03-796-0102-इंदिरा आवास योजना	175.89	(-)43.97	62.75	81.94	12.77
15	43	2203-00-103-0001-प्रमाणक कोर्स	1.03	(-)0.14	0.17	0.73	0.01
16	49	2711-01-001-0003-क्षेत्रीय स्थापना	118.85	(-)1.00	9.61	108.37	0.13
योग			**2551.64**	**(-)129.51**	**296.69**	**2162.52**	**37.10**

(स्त्रोतः अनुदान पंजी एवं विस्तृत विनियोग लेखा, बिहार सरकार, 2012–13)

"अनुदान संख्या–12 के शीर्ष 7610–सरकारी सेवक आदि को ऋण, 204–गृह निर्माण अग्रिम, 0001–कम्प्यूटर क्रय हेतु अधिकारियों को अग्रिम" के अंतर्गत पुनर्विनियोजन के जरिये ₹ 0.50 करोड़ की निकासी हुई जबकि ₹ 0.04 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ।

इसी प्रकार "अनुदान संख्या–20 के शीर्ष 2210–मेडिकल एवं लोक स्वास्थ्य, 110–अस्पताल एवं औषद्यालय, 0004–नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल" के अंतर्गत पुनर्विनियोजन के जरिये ₹ 3.60 करोड़ की निकासी हुई जबकि ₹ 2.60 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ।

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हुआ कि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अतिरिक्त निधि प्रदान करने के बावजूद भी निधि की निकासी द्वारा दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन प्रदर्शित हुआ।

इसके अतिरिक्त, 65 मामलों में अनुपयोगित प्रावधान का समुचित आकलन नहीं हुआ क्योंकि पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 902.68 करोड़ की निकासी के बाद भी यह अपर्याप्त सिद्ध हुआ क्योंकि इन अनुदानों के संगत विस्तृत शीर्षो के अंतर्गत ₹ 4202.53 करोड़ की बचत रह गयी जैसा कि ***परिशिष्ट 2.6*** में दर्शाया गया है।

उपर्युक्त उदाहरण से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि नियंत्री अधिकारी वास्तविक आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाने में विफल रहे तथा उन्हे व्यय एवं पुनर्विनियोजन संबधी अद्यतन सूचना नहीं थी।

2.3.6 वृहत् अभ्यर्पण

बिहार बजट नियमावली, 1963 के नियम 112 के अनुसार व्यय करने वाले विभागों को अनुदानों/विनियोजनों या उनके भाग की बचत की संभावना होने पर वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किये बिना वित्त विभाग को अभ्यर्पित करना है, जब तक कि इस बात का निश्चित पूर्वानुमान न कर लिया जाय कि दूसरी इकाई या इकाईयों के आधिक्य को पूरा करने के लिए वे जरूरी है। कोई भी बचत संभावित आधिक्य के लिए सुरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए।

119 मामलों में ₹ 9633.07 करोड़ के कुल प्रावधान में ₹ 7306.58 करोड़ (75.84 प्रतिशत) अभ्यर्पण किये गये जैसा कि ***परिशिष्ट 2.7*** में दर्शाया गया है। प्रत्येक इकाई के अंतर्गत अभ्यर्पण 50.92 से 99.99 प्रतिशत के बीच रहा (₹ पाँच करोड़ एवं प्रत्येक मामले में कुल प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक)। इसके अतिरिक्त 35 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 259 योजनाओं में शत प्रतिशत निधि (₹ 2851 करोड़) का अभ्यर्पण हुआ (***परिशिष्ट 2.8***) जिससे लाभार्थी इन योजनाओं से होने वाले लाभों एवं सेवाओं से वंचित रहें।

2.3.7 वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण

पाँच मामलों में अविवेकपूर्ण अभ्यर्पित की गयी राशि (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) वास्तविक बचत से अधिक थी जो इन विभागों में बजटीय नियंत्रण में कमी या अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाती है। बचत की राशि ₹ 710.54 करोड़ के विरूद्ध अभ्यर्पित राशि ₹ 736.35 करोड़ थी, फलतः ₹ 25.81 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण किया गया जैसा कि **तालिका 2.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.4: वास्तविक बचत (₹ एक करोड़ या अधिक) से अधिक अभ्यर्पण

(₹ करोड में)

क्रम सं0	अनुदान /विनियोजन का नाम एवं संख्या	कुल अनुदान/ विनियोजन	बचत	अभ्यर्पित राशि	आधिक्य में अभ्यर्पित राशि (5–4=6)
1	2	3	4	5	6
राजस्व –दत्तमत					
1	2–पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	962.46	426.49	428.88	2.39
2	38–निबंधन, उत्पाद एवं मद्य–निषेध विभाग	116.25	27.81	32.64	4.83
3	43–विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	67.36	3.84	7.70	3.86
योग		**1146.07**	**458.14**	**469.22**	**11.08**
पूँजीगत–दत्तमत					
4	20–स्वास्थ्य विभाग	721.90	159.01	163.75	4.74
5	43–विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	173.97	93.39	103.38	9.99
योग		**895.87**	**252.40**	**267.13**	**14.73**
महायोग		**2041.94**	**710.54**	**736.35**	**25.81**

(स्त्रोतः विनियोग लेखा, बिहार सरकार, 2012–13)

अस्तित्वहीन अधिशेष निधि का अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण विभाग के नियंत्री अधिकारी के पर्यवेक्षण की कमी को दर्शाता है।

2.3.8 अनुमानित बचतों का अभ्यर्पण नहीं किया जाना/विलंबित अभ्यर्पण

बिहार बजट नियमावली, 1963 के नियम 112 के अनुसार व्यय करने वाले विभागों को अनुदानों/विनियोजनों या उसके भाग की बचत की संभावना होने पर वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना वित्त विभाग को अभ्यर्पित करना है। वर्ष 2012–13 के अंत में 15 मामलों में ₹ 9956.90 करोड़ में ₹ 6211.74 करोड़ (62.38 प्रतिशत) के बचत को अभ्यर्पित नहीं किये गये जैसा कि ***परिशिष्ट 2.9*** में दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त 73 मामलों में, जहाँ प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक, ₹ 10389.85 करोड़ का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष 2013 के अंतिम कार्य दिवस में किया गया (***परिशिष्ट 2.10***)।

इससे पता चलता है कि नियंत्री पदाधिकारी बजटीय नियंत्रण के लिए जवाबदेह होने की मौलिक जिम्मेदारी के निर्वहन में विफल रहें। इन निधियों का उपयोग न तो उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए जिनके लिए ये आवंटित की गयी थी न ही अन्य जरूरतमंद विभागों के उपयोग के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध कराया गया।

2.3.9 सघन व्यय

बिहार बजट नियमावली, 1963 के नियम 113 के अनुसार धन को जल्दबाजी में अथवा बिना विचार किये सिर्फ इसलिए व्यय नहीं करना चाहिए कि धन उपलब्ध है अथवा अनुदान के व्यपगत होने का खतरा है। विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में सघन व्यय वित्तीय नियमितता भंग के रूप में माना जाता है। 21 मुख्य शीर्षो के अंतर्गत मार्च 2013 के दौरान कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक व्यय हुआ जिसे ***परिशिष्ट 2.11*** में सूचीबद्ध किया गया है। इन मामलों में, ₹ 4421.04 करोड़ (21 मुख्य शीर्षो के अंतर्गत कुल व्यय

₹ 7396.10 करोड़ का 59.77 प्रतिशत) मार्च 2013 में व्यय हुआ। इस प्रकार, वर्ष के अंतिम भाग में विभाग द्वारा वृहत राशि का व्यय, दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन, नियंत्री अधिकारियों द्वारा व्यय पर प्रभावी नियंत्रण का अभाव तथा केवल वित्तीय वर्ष के अंतिम भाग में बजट का उपयोग करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

2.4 विशेष रूप से सहायता अनुदान से व्यय की त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

भारत सरकार लेखा मानक (आई.जी.ए.एस) 2–"लेखाकरण एवं सहायता अनुदान का वर्गीकरण" के अनुसार, अनुदाता द्वारा अनुदानग्राही को संवितरित सहायता अनुदान को उद्देश्य के निरपेक्ष अनुदाता की वित्तीय विवरणी में राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत एवं लेखांकित की जाएगी, जिसके लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत मामलों को छोड़कर निधि सहायता अनुदान के रूप में संवितरित की जाती है उसे सरकार की वित्तीय विवरणी में लेखा के पूँजीगत शीर्ष के नामे लिखना है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में बिहार सरकार के लेखा के नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि ₹ चार करोड़ का सहायता अनुदान जिसे आई. जी. ए. एस.–2 प्रतिमान के अनुसार राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता थी, उसे पूँजीगत व्यय माना गया। इसमें ₹ दो करोड़ बी.आई.टी मेसरा, पटना तथा ₹ दो करोड़ बिहार शहरी विकास प्राधिकरण से संबंधित थे।

2.5 असमाशोधित व्यय

बिहार वित्तीय नियमावली 475 (viii) के अनुसार विभागाध्यक्ष द्वारा संधारित लेखा में दर्शाये गए आँकड़े और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के पुस्त में दर्शाये गए आँकड़ों के समाशोधन के लिए संयुक्त रूप से विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार उत्तरदायी होगें जब तक कि इसके विपरित कोई विशेष आदेश या नियम न हो। पुनः बिहार बजट नियमावली के नियम 134 के अनुसार, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से विभागीय लेखाओं के मिलान हेतु विभागाध्यक्षों को अपने कर्मचारियों कों प्रोत्साहित करना चाहिए।

यद्यपि, विभागीय आँकड़ों का महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आँकड़ों के साथ समाशोधन नहीं किये जाने के संबंध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से इंगित किया जाता रहा है। तथापि वर्ष 2012–13 के दौरान 78 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत विभागाध्यक्षों ने ₹ 53332.91 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक) के व्यय का समाशोधन नहीं किया, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.12*** में दर्शाया गया है। जिसमें में से ₹ 38276.08 करोड़ (71.76 प्रतिशत) आठ मुख्य शीर्षों से संबंधित है जैसा कि **तालिका 2.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: वर्ष 2012–13 के दौरान व्यय का असमाशोधन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि
1	2049–ब्याज भुगतान	4428.31	4428.31
2	2055–पुलिस	3187.86	2023.62
3	2071–पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	8363.53	8102.14
4	2202–सामान्य शिक्षा	13956.71	13529.57
5	2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2004.59	1884.48
6	2515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3034.23	2985.61
7	2801–बिजली	3193.38	2031.25
8	5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	3291.10	3291.10
योग		**41459.71**	**38276.08**

(स्त्रोतः महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्राप्त सूचना)

उपर्युक्त से यह स्पष्ट होता है कि यदि सरकार ने व्यय के समाशोधन का मुद्दा केवल आठ विभागों से ही लिया होता तो व्यय के 71.76 प्रतिशत का समाशोधन हो गया होता।

2.6 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (संशोधित 2012) के द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गयी। आकस्मिकता एवं अप्रत्याशित तरह का व्यय, जिसे विधान मंडल की स्वीकृति तक टाला नहीं जा सकता, के लिए निधि से अग्रिम दिया जा सकता है। यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है। 01 अप्रैल 2012 का आरंभिक शेष ₹ 350 करोड़ था। चालू वित्तीय वर्ष में कैबिनेट द्वारा सहायता और पुनर्वास के लिए आकस्मिकता निधि काय को ₹ 2250 करोड़ अस्थाई तौर पर बढ़ा दिया गया (अगस्त 2012), यद्यपि, वित्तीय वर्ष के अंत में अंत शेष ₹ 350 करोड़ था।

वर्ष 2012–13 के दौरान ₹ 2536.92 करोड़ के 134 आहरण हुए जिसमें ₹ 2470.56 करोड़ के 57 आहरण (आकस्मिकता निधि से कुल निकासी का 97.38 प्रतिशत) (***परिशिष्ट 2.13***) नित्य व्यय हेतु थे जैसे खाद्य भंडारण एवं गोदाम हेतु ऋण, विद्युत परियोजना हेतु ऋण, खरीफ फसल की सिंचाई हेतु डीजल की खरीद, मोटरवाहन की खरीद, कार्यालय व्यय, वेतन भत्ते आदि। चूँकि इन मदों में व्यय का पूर्वानुमान किया जा सकता था, अतः राज्य की आकस्मिकता निधि से निकासी अनियमित और गलत था।

2.7 वित्त विभाग में लागू प्रणाली एवं नियंत्रण

वित्त विभाग राज्य सरकार के नोडल विभाग की भूमिका अदा करता है। विभिन्न क्रियाकलापों में कुछ महत्वपूर्ण कार्य का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः– विभिन्न प्रशासनिक विभागों द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्रियों के आधार पर व्यय की पूरक विवरणी सहित वार्षिक वित्तीय विवरणी तैयार करना, पुनर्विनियोजन, बचत का अभ्यर्पण, आपदा राहत कोष तथा राज्य आकस्मिकता निधि का प्रबंधन। नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी मुख्य अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैः–

2.7.1 प्रावधान का अधिक प्राक्कलन

बिहार बजट नियमावली (नियम 57) के अनुसार अधिक प्राक्कलन की प्रवृत्ति पर काबू पाना चाहिए। साधारणतः जिस योजना हेतु व्याख्या तथा संस्वीकृति नहीं दी गयी हो उसका प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए। अधिक प्राक्कलन दोषपूर्ण है। प्राक्कलन तैयार करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो राशि खर्च की जानी है उससे अधिक राशि का प्रावधान न हो।

वर्ष 2012–13 के दौरान बचत के अभ्यर्पण के प्रतिवेदन की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि छह विभागों[1] के अंतर्गत 25 शीर्षों के संबंध में ₹ 179.58 करोड़ का बजट प्रावधान, योजना की संस्वीकृति के बिना प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त, सामान्य प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत दो शीर्षों के संबंध में ₹ एक करोड़ की राशि वर्ष 2012–13 के दौरान रिक्त पद हेतु आवंटित किये गये जैसा कि ***परिशिष्ट 2.14*** में दर्शाया गया है। इससे प्रकट होता है कि वित्त विभाग में लागू प्रणाली एवं नियंत्रण, निधि के वास्तविक आवश्यकता के अनुश्रवण में कारगर नहीं था। इसके उत्तर में, संयुक्त सचिव सह बजट पदाधिकारी ने कहा (अक्टूबर 2013) कि निधि, योजना एवं विकास विभाग के योजना परिव्यय की आवश्यकता के आधार पर प्रदान की गयी थी। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्ष के दौरान व्यय होने वाले वास्तविक निधि के आवश्यकता के आधार पर निधि का प्रावधान करना था।

2.7.2 संसाधनों का अवास्तविक पूर्वानुमान

बिहार बजट नियमावली का नियम 54 निर्दिष्ट करता है कि अस्थिर राजस्व के मामले में प्राक्कलन गत तीन वर्षो की प्राप्तियों की तुलना के आधार पर होनी चाहिए। दोनों उदाहरण में किसी कारण का संभावित प्रभाव जो व्यवहारिक प्रतीत होता हो, की अनुमति दी जानी चाहिए। ये न तो बढ़े होने चाहिए न ही कम, बल्कि यथासंभव सटीक होना

[1] *पशु एवं मत्स्य संसाधन, गृह, योजना एवं विकास, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, आपदा प्रबंधन तथा सामाजिक कल्याण।*

चाहिए। इस संबंध में गत पाँच वर्ष 2008–09 से 2012–13 का राजस्व प्रक्षेप की प्रवृत्ति नीचे संलग्न हैं:

तालिका 2.6: वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि में राजस्व संसाधन में प्राक्कलन तथा वास्तविक आँकड़ों के बीच विभिन्नता

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	वर्ष	शीर्ष	प्राक्कलन	वास्तविक आँकड़े	अंतर (स्कंध 5–4)	विभिन्नता की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
1	2008-09	कर राजस्व	5259	6173	914	17.38
		करेत्तर राजस्व	422	1153	731	173.22
2	2009-10	कर राजस्व	7336	8090	754	10.28
		करेत्तर राजस्व	541	1670	1129	20.69
3	2010-11	कर राजस्व	10644	9870	(-)774	7.27
		करेत्तर राजस्व	1207	986	(-)221	18.31
4	2011-12	कर राजस्व	12583	12612	29	0.23
		करेत्तर राजस्व	2986	890	(-)2096	70.19
5	2012-13	कर राजस्व	15695	16253	558	3.56
		करेत्तर राजस्व	3142	1135	(-)2007	63.88

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य बजट)

यह पाया गया कि वर्ष 2012–13 की अवधि में करेत्तर राजस्व प्रक्षेप हेतु प्राक्कलन ₹ 3142 करोड़ था जबकि वास्तविक वसूली ₹ 1135 करोड़ हुई जिसके परिणामस्वरूप मूल पूर्वानुमान से ₹ 2007 करोड़ अर्थात लगभग 64 प्रतिशत नीचे का संसाधन में विभिन्नता थी। उसी प्रकार, वर्ष 2012–13 में कर राजस्व का प्रक्षेप ₹ 15695 करोड़ पर हुआ जबकि वास्तविक वसूली ₹ 16253 करोड़ थी फलस्वरूप प्रक्षेप से अधिक विभिन्नता में ₹ 558 करोड़ की वृद्धि हुई।

उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है कि कर तथा करेत्तर राजस्व का राजस्व प्रक्षेप इस प्रकार बनाया गया कि गत पाँच वर्षो के दौरान वास्तविक उपलब्धि का कम/अधिक आकलन हुआ। यह दर्शाता है कि प्रक्षेप अवास्तविक रूप से बनाये गये। यदि यह आकलन वास्तविक रीति से हुई होती तो योजना आकार/सीमांत पर अच्छा प्रभाव पड़ा होता। अन्य शब्दों में, योजना आकार अधिक बड़ा होता तथा इनके संसाधनों का उपयोग विकासात्मक कार्यो में हुआ होता जो कि राज्य के लिए जरूरी था।

संयुक्त सचिव सह बजट पदाधिकारी ने कहा (अक्टूबर 2013) कि संसाधनों का प्राक्कलन विभाग की सूचना के आधार पर किया गया। विभाग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में गत वर्षों के वास्तविक प्राप्ति में बढ़ोतरी के आधार पर बनाया गया ।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संसाधनों के प्राक्कलन हेतु बिहार बजट नियमावली में दर्ज मानकों का अनुपालन नही किया गया।

2.7.3 विभाग में न्यून नियंत्रण

बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 के अनुसार यदि आकस्मिकता निधि की स्थायी काय ₹ 350 करोड़ से बढ़ाने की आवश्यकता हो तो उस वित्तीय वर्ष के 30 मार्च को समाप्त अवधि में उस वर्ष के व्यय बजट के अधिकतम तीन प्रतिशत तक इसे कैबिनेट द्वारा अस्थायी रूप से बढ़ायी जाय।

इस अधिनियम के अनुपालन में कैबिनेट ने 30 मार्च 2013 तक ₹ 2250 करोड़ की राशि के बिहार आकस्मिकता निधि के अस्थायी काय की संस्वीकृति दे दिया जो कि व्यय बजट (₹ 7686.82 करोड़) की विहित सीमा तीन प्रतिशत (₹ 2360.60 करोड़) के भीतर था।

परंतु कैबिनेट के निर्णय के उल्लंघन में वित्त विभाग ने आकस्मिकता निधि काय में ₹ 350 करोड़ के अतिरिक्त ₹ 2250 करोड़ और बढ़ा दिया जिससे कुल ₹ 2600 करोड़ हो गया, जो कि सरकार द्वारा तय सीमा का उल्लंघन था।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए सचिव (व्यय) ने आश्वस्त किया (सितम्बर 2013) कि अस्थायी काय, अधिनियम के अनुसार बढ़ाया जाएगा।

चयनित अनुदानों की समीक्षा

बजटीय प्रक्रिया एव व्यय पर नियत्रण की समीक्षा वर्ष 2012–13 के दौरान बचत, आधिक्य एवं अनुदान तथा पूरक माँग के परिणाम के आधार पर "अनुदान संख्या–12 वित्त विभाग" तथा "अनुदान संख्या–43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग" के संबंध में की गयी (अगस्त 2013)। समीक्षा के परिणाम निम्नवत है:

2.8 "अनुदान संख्या–12 वित्त विभाग" की समीक्षा

वित्त विभाग राज्य सरकार के नोडल विभाग की भूमिका अदा करता है। विभिन्न कार्यकलापों में कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलाप हैं: विभिन्न प्रशासनिक विभागों द्वारा प्रदत्त की गई सूचनाओं के आधार पर व्यय की पूरक विवरणी सहित वार्षिक वित्तीय विवरणी तैयार करना, पुनर्विनियोजन, बचत का अभ्यर्पण, आपदा राहत निधि तथा राज्य आकस्मिकता निधि का प्रबंधन ।

बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा वर्ष 2012–13 के दौरान बचत, आधिक्य एवं अनुदान तथा पूरक माँग के परिणाम के आधार पर "अनुदान संख्या–12 वित्त विभाग" के संबंध में की गयी (अगस्त 2013) ।

तालिका 2.7: विनियोग के सारांश की स्थिति

(₹ करोड़ में)

बजट प्राक्कलन	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	बचत	प्रतिशतता में बचत
राजस्व दत्तमत	375.38	25.18	400.56	220.30	180.26	45
राजस्व भारित	*298.00*	*0.00*	*298.00*	*254.95*	*43.05*	*14*
योग	**673.38**	**25.18**	**698.56**	**475.25**	**223.31**	**32**

(स्त्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा, बिहार सरकार 2012–13)

समीक्षा के परिणाम निम्नवत है:

2.8.1 वृहत् बचत

राजस्व दत्तमत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 400.56 करोड़ के कुल प्रावधान के विरूद्ध ₹ 220.30 करोड़ का व्यय हुआ (55 प्रतिशत) तथा राजस्व भारित शीर्ष के अंतर्गत ₹ 298 करोड़ के कुल प्रावधान के विरूद्ध ₹ 254.95 करोड़ का व्यय (86 प्रतिशत) हुआ। ₹ 475.25 करोड़ का समग्र व्यय वर्ष 2012–13 में कुल प्रावधान ₹ 698.56 करोड़ का केवल 68 प्रतिशत था जिसके कारण ₹ 223.31 करोड़ (32 प्रतिशत) की वृहत् बचत हुई जिसका विवरण **तालिका 2.7** में दिया गया है ।

संयुक्त सचिव सह बजट पदाधिकारी ने कहा (अक्टूबर 2013) कि निधि को विभिन्न कारणों से व्यय नहीं किया गया ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह अवास्तविक बजट प्राक्कलन का सूचक है ।

2.8.2 अनावश्यक पूरक प्रावधान

बिहार बजट नियमावली का नियम 117, पूरक अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। इस नियम के अनुसार, जब प्रशासनिक विभाग किसी पूरक अनुदान को आवश्यक मानता है, चाहे वह व्यय के नये विशिष्ट मद को पूरा करने के लिए हो अथवा अप्रत्याशित कारणों से दत्तमत अनुदान में संभावित आधिक्य को पूरा करने के लिए, इसे पहले वित्त विभाग से सम्पर्क करना चाहिए।

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ₹ 16.32 करोड़ की राशि का प्रावधान प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पूरक प्रावधान के जरिये मुख्य शीर्ष 2052, 2054, 2204, तथा 2070 के अंतर्गत किया गया जबकि ₹ 145.09 करोड़ के कुल मूल प्रावधान के विरूद्ध केवल ₹ 89.73 करोड़ व्यय किये गये जैसा कि **तालिका 2.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.8: अनावश्यक पूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	प्रथम पूरक	द्वितीय पूरक	तृतीय पूरक	कुल पूरक प्रावधान (3+4+5)	कुल प्रावधान (2+6)	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
2052	58.49	0.12	0.38	0.14	0.64	59.13	45.10
2054	83.40	15.17	--	--	15.17	98.57	43.60
2204	0.10	0.15	--	--	0.15	0.25	0.10
2070	3.10	--	0.36	--	0.36	3.46	0.93
कुल	**145.09**	**15.44**	**0.74**	**0.14**	**16.32**	**161.41**	**89.73**

(स्त्रोतः–विस्तृत विनियोग लेखा, 2012–13, एस.पी.अधिनियम तथा विभागीय आँकड़े)

वर्ष के दौरान चार शीर्षो में प्राप्त कुल ₹ 16.32 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि यह व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं आया। अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि निधि, व्यय की प्रत्याशा के आधार पर पूरक प्रावधान के जरिये बढ़ायी गयी।

संयुक्त सचिव सह बजट पदाधिकारी ने कहा कि विभिन्न कारणों अथवा प्रक्रियागत विलंब के कारण निधि खर्च नहीं की गई (अक्टूबर 2013)।

जबाव स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यय को पुरा करने के लिए पूरक प्रावधान की आवश्यकता नहीं था । अधिक अनुपूरक अनुदान के कारण जरूरतमंद दूसरे विभाग, संसाधनों से वंचित रह गए।

2.8.3 अनावश्यक पुनर्विनियोजन

बिहार बजट नियमावली का नियम 37 पुनर्विनियोजन को, एक विशेष धन राशि का सक्षम पदाधिकारी द्वारा विनियोजन की एक इकाई से अन्य के अंतर्गत विशिष्ट व्यय को पूरा करने हेतु निधि के हस्तांतरण के रूप में परिभाषित करता है।

नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि शीर्ष 7610–00–202–0001, के अंतर्गत पुनर्विनियोजन के जरिये प्रदत्त ₹ 1.50 करोड़ की अतिरिक्त निधि अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि अंतिम बचत ₹ 1.35 करोड़ था जैसा कि **तालिका 2.9** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 2.9: निधि का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड में)

लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	पुनर्विनि–योजन (+)	पुनर्विनियोजन का दिनांक	कुल उपलब्ध निधि	कुल व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत (–)/ आधिक्य (+)
7610-सरकारी सेवक आदि को ऋण 00–202–मोटर वाहन क्रय हेतु अग्रिम 0001–मोटर वाहन क्रय हेतु सरकारी सेवकों को अग्रिम	4.00	0.5	11 दिसम्बर 12	5.5	3.67	0.48	(-)1.35
		0.3	11 दिसम्बर 12				
		0.5	14 फरवरी 13				
		0.2	14 फरवरी 13				

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोजन लेखा, वर्ष 2012–13 एवं विभागीय आँकड़े)

इस प्रकार 11 दिसम्बर 2012 एवं 14 फरवरी 2013 को किये गए प्रथम, द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ पुनर्विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुआ। अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि निधि को मोटर वाहन के क्रय हेतु पुनर्विनियोजन के जरिये बढ़ाई गयी।

संयुक्त सचिव सह बजट पदाधिकारी ने कहा (अक्टूबर 2013) कि समय पर प्रस्ताव की अनुपलब्धता के कारण निधि अभ्यर्पित की गयी।

2.8.4 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण

बिहार बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार खर्च करने वाले विभागो को बचत प्रत्याशित होने पर वर्ष के अंत की प्रतीक्षा किये बिना अनुदान/विनियोजन अथवा इसके अंश को वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिए जब तक कुछ इकाई अथवा इकाईयों के

अंतर्गत आधिक्य को पूरा करना आवश्यक न हो जो कि निश्चित रूप से उस समय प्रत्याशित होता है। भविष्य के संभावित आधिक्य व्यय की प्रत्याशा में बचत सुनिश्चित नहीं किया जाना चाहिए ।

जैसा कि ***परिशिष्ट 2.15*** में दर्शाया गया है कि ₹ 212.58 करोड़ के कुल अभ्यर्पण में ₹ 207.06 करोड़ (98 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2012–13 के अंतिम दिन में अभ्यर्पित (17 मामले) किये गये। उत्तर में, संयुक्त सचिव सह बजट पदाधिकारी ने आश्वस्त किया (अक्टूबर 2013) कि भविष्य में 15 मार्च तक निधि अभ्यर्पित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

प्रक्रिया के अंतर्गत, नियंत्री पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्पण राशि का उचित प्राक्कलन 28 फरवरी तथा 15 मार्च के बीच होना था जिसके दौरान अभ्यर्पण करना था जैसा कि बिहार बजट नियमावली के नियम 135 में स्पष्ट था। विलम्बित अभ्यर्पण विभाग में अपर्याप्त बजटीय तथा वित्तीय नियंत्रण का परिचायक था।

2.8.5 विभागीय व्यय आँकड़ों का असमाशोधन

बिहार वित्तीय नियम के नियम 475 (viii) निर्दिष्ट करता है कि विभागाध्यक्ष, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के पुस्त के आँकड़े तथा उनके संबंधित लेखा में दिये गये आँकड़े के समाशोधन हेतु जिम्मेवार होगें, जब तक किसी मामले में इसके विपरीत कोई नियम अथवा आदेश न हो। इसके अतिरिक्त, बिहार बजट नियमावली के नियम 134 के प्रावधानों के अंतर्गत विभागो को यह सुनिश्चित करना है कि प्रावधान, पूरक प्रावधान, पुनर्विनियोजन, व्यय, अभ्यर्पण एवं बचत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद ऑकड़ें महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय द्वारा तैयार की गयी विस्तृत विनियोग लेखा से समाशोधित है। इस प्रक्रिया को समय सीमा में करने हेतु वर्ष 2012–13 संबंधी आँकड़ों के समाशोधन की अंतिम तिथि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार द्वारा 14 जून 2013 तय हुई। तथापि, विभाग द्वारा उचित समाशोधन नहीं किया गया फलस्वरूप नौ मुख्य शीर्ष के अंतर्गत ₹ 23.74 करोड़ के व्यय के आँकड़ों में अंतर आ गया (***परिशिष्ट 2.16***)।

संयुक्त सचिव सह बजट पदाधिकारी ने कहा (अक्टूबर 2013) कि मासिक लेखाओं के समाशोधन के संबंध में लेखा स्कंध को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

2.9 "अनुदान संख्या–43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग" की समीक्षा

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार को स्तरीय तकनीकी शिक्षा प्रदान करना था एवं विज्ञान संबंधित जागरूकताओं को लोगों के बीच बढ़ावा देना था। इस अनुदान के अंतर्गत तीन मुख्य शीर्ष 2203, 3451 तथा 4202 प्रचालित थे।

समीक्षा के परिणाम निम्नवत हैं:–

2.9.1 वृहत बचत

कुल प्रावधान ₹ 241.33 करोड़ (मूलः ₹ 112.28 करोड़, पूरक ₹ 129.05 करोड़) के विरूद्ध ₹ 144.10 करोड़ का व्यय हुआ जिससे वर्ष 2012–13 में ₹ 97.29 करोड़ की बचत (40.29 प्रतिशत) हुई जैसा कि **तालिका 2.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.10: बजट प्रावधान, व्यय, बचत आदि का विवरण

(₹ करोड़ में)

बजट प्राक्कलन	मूल	पूरक	कुल प्रावधान	व्यय	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता के रूप में बचत
राजस्व दत्तमत	63.31	4.05	67.36	63.52	3.84	5.70
पूँजीगत दत्तमत	48.97	125.00	173.97	80.58	93.39	53.68
योग	**112.28**	**129.05**	**241.33**	**144.10**	**97.23**	**40.29**

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा, बिहार सरकार, 2012–13)

मूल तथा पूरक प्रावधान एवं की गयी व्यय की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि राजस्व दत्तमत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 67.36 करोड़ के कुल प्रावधान के विरूद्ध ₹ 63.52 करोड़ का व्यय हुआ जिसके कारण ₹ 3.84 करोड़ (5.70 प्रतिशत) की बचत हुई तथा पूँजीगत दत्तमत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 173.97 करोड़ के कुल प्रावधान के विरूद्ध ₹ 80.58 करोड़ का व्यय हुआ जिसके कारण ₹ 93.39 करोड़ (53.68 प्रतिशत) की बचत हुई।

निदेशक ने कहा (अक्टूबर 2013) कि संस्था/मुख्यालय ने भूमि की अनुपलब्धता के कारण निधि का उपयोग नहीं किया ।

2.9.2 निधि के अनुपयोग के कारण शत प्रतिशत अभ्यर्पण

वर्ष 2012–13 के दौरान मूल अनुदान, पूरक एवं अभ्यर्पण संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि एक मुख्य शीर्ष के अंतर्गत एक उपशीर्ष का ₹ 24.95 करोड़ का संपूर्ण प्रावधान अनुपयोगित रहा तथा इसे पूर्णतः अभ्यर्पित किया गया जैसा कि **तालिका 2.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.11: शत प्रतिशत अनुपयोगित राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	लेखाशीर्ष	मूल	पूरक	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण
1	4202–शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 02–तकनीकी शिक्षा 789–अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना 0101 पॉलिटेकनिक/इंजिनीयरिंग/पॉलिटेकनिक कॉलेज	24.95	0	24.95	24.95
योग		**24.95**	**0**	**24.95**	**24.95**

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा, बिहार सरकार, 2012–13)

इसके अतिरिक्त संवीक्षा से प्रकट हुआ कि अनुसूचित जाति हेतु विशेष अवयव के लिए योजना की अनुपलब्धता के कारण निधि का उपयोग नही हुआ।

निदेशक ने कहा (अक्टूबर 2013) कि संस्था के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु योजना की अनुपलब्धता के कारण निधि का उपयोग नहीं हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग अभीष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा तथा लाभार्थी लाभ प्राप्त करने से वंचित रहें।

2.9.3 विलंबित अभ्यर्पण के कारण निधि का अनुपयोग

बिहार बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार, खर्च करने वाले विभागों को बचत प्रत्याशित होने पर वर्ष के अंत की प्रतीक्षा किये बिना अनुदान/विनियोग अथवा इसके अंश को वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिए, जब तक कुछ इकाई अथवा इकाईयों के अंतर्गत आधिक्य को पूरा करना आवश्यक न हो जो कि निश्चित रूप से उस समय प्रत्याशित होता है। बचत को संभावित भविष्य आधिक्य हेतु सुरक्षित नहीं रखना चाहिए।

वर्ष 2012–13 की अवधि में अभ्यर्पित अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि कुल अभ्यर्पण ₹ 111.07 करोड़ (₹ 241.33 करोड़ के कुल प्रावधान का 46.02 प्रतिशत), 15 मामलों से संबंधित ₹ 87.13 करोड़ (78.45 प्रतिशत) का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष 2012–13 के अंतिम दिन किया गया (31 मार्च 2013) जैसा कि ***परिशिष्ट 2.17*** में दर्शाया गया है।

निदेशक ने आश्वस्त किया (अक्टूबर 2013) कि प्रत्याशित बचत को समय पर अभ्यर्पण करने हेतु कार्रवाई की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपलब्ध निधि का उपयोग अन्य जरूरतमंद विभाग नहीं कर सका।

2.9.4 निधि का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

बिहार बजट नियमावली का नियम 37 पुनर्विनियोजन को एक विशेष धन राशि का सक्षम पदाधिकारी द्वारा विनियोग की एक इकाई से अन्य के अंतर्गत विशिष्ट व्यय को पूरा करने हेतु निधि के हस्तांतरण के रूप में परिभाषित करता है।

संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि पुनर्विनियोजन के जरिये तीन मुख्य लेखा शीर्ष सहित चार उपशीर्ष की प्रदत्त ₹ 1.12 करोड़ की अतिरिक्त निधियाँ अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि ₹ 29.89 करोड़ का मूल प्रावधान ₹ 27.08 करोड़ के व्यय को पूरा करने हेतु पर्याप्त था जैसा कि **तालिका 2.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.12: निधि का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	पुनर्विनि–योजन (+)	पुनर्विनियोजन की तिथि	कुल उपलब्ध निधि	कुल व्यय
2203–तकनीकी शिक्षा–00–001 निदेशन एवं प्रशासन 0001–तकनीकी शिक्षा निदेशालय	2.79	0.04	12 दिसम्बर12	2.83	2.42
2203–तकनीकी शिक्षा 00–112–इंजीनियरिंग/पॉलिटेकनिक कॉलेज एवं संस्था 0001–स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	19.64	0.53	05 मार्च 13	20.18	18.63
		0.01	12 दिसम्बर 12		
3451–सचिवालय–आर्थिक सेवा 00–090–सचिवालय 0003–विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	0.95	0.03	05 मार्च 13	0.99	0.73
		0.01	12 दिसम्बर 12		
4202–शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 02–तकनीकी शिक्षा 104– पॉलिटेकनिक 0102– पॉलिटेकनिक /इंजीनियरिंग/ तकनीकी विश्वविद्यालय	6.51	0.50	21 सितम्बर 12	7.01	5.30
योग	**29.89**	**1.12**		**31.01**	**27.08**

(स्त्रोत: विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार, 2012–13)

निदेशक ने सुनिश्चित किया (अक्टूबर 2013) कि पुनर्विनियोजित निधि का भविष्य में पूर्ण उपयोग होगा।

2.10 निष्कर्ष

वर्ष 2012–13 के दौरान ₹ 93613.52 करोड़ के कुल 51 अनुदान तथा विनियोग के विरूद्ध ₹ 70469.15 करोड़ का व्यय हुआ फलस्वरूप ₹ 23144.37 करोड़ का निवल बचत हुआ। बजट आवश्यकताओं के गलत प्राक्कलन के कारण वर्ष 2008–13 के दौरान 11 मामलों में (10 अनुदान/विनियोग) 11 प्रतिशत से 76 प्रतिशत की सतत् बचत हुई। 30 अनुदानों के अंतर्गत 119 मामलों में ₹ 7306.58 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गयी। पुनः प्रावधान के अनुपयोग तथा वर्ष के दौरान 35 अनुदान/विनियोग के अंतर्गत 259 योजनाओं में शत प्रतिशत अभ्यर्पण के मामले थे ।

₹ 10389.85 करोड़ की बचत वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित की गयी। कुल व्यय ₹ 70469.15 करोड़ में से ₹ 53332.90 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक) (75.68 प्रतिशत) असमाशोधित रहे।

2.11 अनुशंसाएँ

सरकार को चाहिए कि:

- सभी विभागों में बजटीय नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करें। वित्तीय वर्ष के अंत में बृहत् बचत/आधिक्य एवं निधि का पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण से बचने के लिए वास्तविक बजट प्राक्कलन तैयार करें;
- सरकार को प्राथमिकता के आधार पर वर्ष 1977 से 2011 तक से संबंधित प्रावधान से अधिक व्यय को नियमित करें।

अध्याय III

वित्तीय प्रतिवेदन

अध्याय III

वित्तीय प्रतिवेदन

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना के साथ एक अच्छी आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली, राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावशाली शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इस प्रकार, वित्तीय नियम, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन के साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति के प्रतिवेदन की समय परता एवं गुणवत्ता अच्छे शासन के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक है। अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन यदि प्रभावशाली एवं क्रियात्मक हो तो चुस्त योजना बनाने एवं निर्णय लेने में राज्य सरकार को उनके प्रबंधात्मक उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहायता मिलती है। यह अध्याय, राज्य सरकार के चालू वित्तीय वर्ष के साथ पूर्व वर्षों के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों का विहंगावलोकन एवं स्थिति प्रस्तुत करता है।

3.1 लंबित विस्तृत आकस्मिक विपत्र

बिहार कोषागार संहिता 2011 का नियम 177 उपबंधित करता है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र दिया जाएगा कि आकस्मिक विपत्र पर आहरित धन उसी वित्तीय वर्ष में व्ययित कर दिया जाएगा तथा अव्ययित राशि वर्ष के 31 मार्च के पूर्व कोषागार को प्रेषित कर दी जाएगी। पुनः बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 194 के अनुसार जिस महीने में सार विपत्र आहरित की गयी थी, उसके छह माह के भीतर प्रतिहस्ताक्षरित विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत कर दी जाएगी तथा छह माह की अवधि की समाप्ति के बाद कोई सार विपत्र आहरित नहीं की जाएगी यदि विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत नहीं की जाती है।

तालिका 3.1: लंबित विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की स्थिति

(₹ करोड में)

वर्ष	आहरित सार आकस्मिक विपत्र		प्राप्त विस्तृत आकस्मिक विपत्र		लंबित विस्तृत आकस्मिक विपत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2010-11 तक	83528	25279.19	78180	22520.61	5348	2758.58
2011-12	8626	4974.42	4088	4080.01	4538	894.41
2012-13	1863	1692.49	463	738.86	1400	953.63
योग	**94017**	**31946.10**	**82731**	**27339.48**	**11286**	**4606.62**

(*स्त्रोतः वर्ष 2012–13 का वित्त लेखा*)

तालिका 3.1 के अनुसार 94017 सार आकस्मिक विपत्र पर आहरित ₹ 31946.10 करोड़ में से सिर्फ ₹ 27339.48 करोड़ के 82731 विस्तृत आकस्मिक विपत्र महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार को प्रस्तुत किया गया। लंबित विस्तृत आकस्मिक विपत्र के समाशोधन की स्थिति पूर्व वर्ष की तुलना में बेहतर थी। ₹ 4606.62 करोड़ के 11286 सार आकस्मिक विपत्र के संबंध में विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की प्रस्तुति होना बाकी था।

संवीक्षा से प्रकट हुआ कि सार आकस्मिक विपत्र पर वर्ष 2012–13 में आहरित ₹ 1692.49 करोड़ में से ₹ 372.58 करोड़ (22 प्रतिशत) की राशि मार्च 2013 में आहरित हुई। इसमें ₹ 38.40 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन आहरित हुई। वित्तीय वर्ष के अंतिम माह के दौरान वृहत् आहरण अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन का सूचक है तथा दुर्विनियोजन के जोखिम से भी भरा है।

3.2 उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्रस्तुति में विलंब

सहायता अनुदान मद में स्थानीय निकाय, धार्मिक, धर्मार्थ, या शैक्षणिक संस्थान को अनुदान, वृत्तिका, छात्रवृत्ति, सार्वजनिक प्रदर्शनियों को अंशदान इत्यादि सम्मिलित है। बिहार वित्तीय नियमावली का नियम 341 (2) कहता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान उतने ही अनुदान का भुगतान करना चाहिए जितनी कि वर्ष के दौरान व्यय का अनुमान है, बिहार कोषागार संहिता 1937 के नियम 431 के अंतर्गत सहायता अनुदान के लिए विपत्र हस्ताक्षरित या प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी को देखना चाहिए कि आवश्यकता से पहले धन का आहरण न हो। मार्च महीने में इन अनुदानों के सघन भुगतान का कोई अवसर नहीं होना

चाहिए। पुनः वित्त विभाग का कार्यपालक आदेश संख्या 573 दिनांक 16 जनवरी 1975 ने उपयोगिता प्रमाण–पत्र देने के लिए संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष की समय सीमा निर्धारित की। हालांकि, कार्यपालक आदेश संख्या 9736 दिनांक 19 अक्टूबर 2011 के द्वारा इस समय सीमा को संशोधित कर 18 माह कर दिया गया।

तालिका 3.2 : उपयोगिता प्रमाण–पत्र का समयवार बकाया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	वर्ष की श्रेणी	बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र	
		संख्या	राशि
1	0-1(*)	518	17453.74
2	1-2(*)	144	6392.21
3	2 और उससे आगे	860	10840.62
	योग	**1522**	**34686.57**

(स्त्रोतः वर्ष 2012–13 का वित्त लेखा)

() जहाँ संस्वीकृति आदेश निर्दिष्ट हो, को छोड़कर, अन्यथा वर्ष 2011–12 (सितम्बर 2011 के बाद संस्वीकृति) तथा वर्ष 2012–13 के दौरान आहरित अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र केवल वर्ष 2013–14 में देय होगा।*

हालांकि वर्ष 2012–13 तक भुगतान किये गए सहायता अनुदान के संबंध में ₹ 34686.57 करोड़ के 1522 उपयोगिता प्रमाण–पत्र बकाया था। उपयोगिता प्रमाण–पत्र का समयवार बकाया **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्रस्तुति नहीं करने से विभिन्न योजना/कार्यक्रमों के लिए विमुक्त निधि, अप्राधिकृत उद्देश्यों के लिए दुरूपयोग अथवा विचलन का जोखिम था।

चूँकि वृहत् धनराशि अनुपयोगित था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधि का विचलन/दुरूपयोग नहीं हो, विमुक्ति/उपयोग में चूक तथा जवाबदेही की प्राथमिकता होनी चाहिए।

3.3 प्रमाणीकरण हेतु कुछ प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्ते) अधिनियम 1971 के अनुच्छेद 20 (1) में वर्णित प्रावधान के अनुसार किसी भी निकाय या प्राधिकरण के लेखों की लेखापरीक्षा यदि नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को किसी कानून के द्वारा सौंपी जाती है या यदि किसी विधान सभा वाले राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है तो लेखापरीक्षा की जिम्मेदारी उनके और संबंधित सरकार के बीच सहमति प्राप्त शर्त्तो–प्रतिबंधों पर ली जा सकती है तथा ऐसे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों हेतु निकायों एवं प्राधिकरणों के बही एवं लेखाओं तक पहुँच का अधिकार होगा।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा स्थायी रूप से नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (बी.एस.के.भी.आई.बी.), बिहार राज्य आवास बोर्ड (बी.एस.एच.बी.) तथा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (आर.ए.यू.) पूसा, समस्तीपुर के क्रमशः वर्ष 2009–10, 2004–05 के आगे की अवधि तथा वर्ष 2011–12 के लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी। इन निकायों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण, नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का निर्गमन तथा राज्य विधान मंडल में इनकी प्रस्तुति ***परिशिष्ट 3.1*** में दर्शाया गया है।

3.4 मुख्य उचंत शीर्ष के अंतर्गत लंबित शेष

वित्त लेखा उचंत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत निवल शेष को प्रदर्शित करता है । इन शीर्षो के अंतर्गत लंबित शेष, विभिन्न शीर्षो के अंतर्गत लंबित ऋण तथा जमा शेष को अलग से जोड़कर तैयार किया गया। विगत तीन वर्षो के अंत तक कुछ मुख्य उचंत शीर्ष के अंतर्गत (मुख्य शीर्ष 8658 के अंतर्गत) सकल आँकड़ों की स्थिति **तालिका 3.3** में दर्शायी गयी है।

तालिका 3.3: विगत तीन वर्षों में मुख्य उचंत शीर्ष के अंतर्गत उचंत शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2010-11		2011-12		2012-13	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101–वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	218.71	शून्य	208.11	शून्य	214.35	शून्य
निवल	(नामे)	218.71	(नामे)	208.11	(नामे)	214.35
102–उचंत लेखा (सिविल)	876.50	236.22	1433.50	247.08	1707.43	253.37
निवल	(नामे)	640.28	(नामे)	1186.42	(नामे)	1454.06
110–आर.बी. उचंत केन्द्रीय लेखा कार्यालय	1231.11	970.02	1223.35	894.70	1237.71	894.60
निवल	(नामे) 261.09		(नामे) 328.65		(नामे) 343.11	

(स्त्रोतः वर्ष 2012–13 का वित्त लेखा)

वर्ष 2011–12 की तुलना में 101–वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत के अंतर्गत ₹ 6.24 करोड़(नामे), 102–उचंत लेखा (सिविल) के अंतर्गत ₹ 267.64 करोड़ (नामे) तथा 110–आर.बी.उचंत केन्द्रीय लेखा कार्यालय के अंतर्गत ₹ 14.46 करोड़ (नामे) की निवल वृद्धि हुई।

यदि ये राशि असमाशोधित रह जाते है तो उचंत शीर्ष के अंतर्गत शेष संचित हो जाएगी तथा सरकार के व्यय का सही चित्र प्रस्तुत नहीं करेगी। इस प्रकार, उचंत शीर्ष के अंतर्गत लंबित शेष के समाशोधन के लिए प्रबल रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है।

3.5 अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का असमायोजन

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 176 के अनुसार, जब तक तुरंत भुगतान की आवश्यकता नहीं हो, कोषागार से धन आहरित नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, नियम 177 के अनुसार कोषागार से व्यय की प्रत्याशा में कार्य के क्रियान्वयन हेतु जिसे पूर्ण करने में बहुत समय लग सकता है अथवा विनियोजन की व्यपगत होने से बचने के लिए अग्रिम का आहरण करना स्वीकार्य नहीं है। यदि विशेष परिस्थिति में धन का अग्रिम आहरण होता है तो ऐसी आहरित राशि का अव्ययित शेष अगले विपत्र अथवा चालान, जो पहले संभावित अवसर हो, में न्यून आहरण द्वारा कोषागार में वापस जमा करना चाहिए तथा किसी तरह आहरित राशि उसी वित्तीय वर्ष के अंत तक जमा होनी चाहिए जिससे यह आहरित हुई है।

यह पाया गया कि अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का ₹ 159.91 करोड़, आठ संबंधित विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा 31 मार्च 2013 तक आहरित किया गया । 31 मार्च 2013 तक लंबित अग्रिम एवं अग्रदाय का विभागवार विश्लेषण **तालिका 3.4** में दिया गया है।

तालिका 3.4: लंबित अग्रिम एवं अग्रदाय का विभागवार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	असमायोजित अग्रिम एवं अग्रदाय की कुल राशि
भवन निर्माण	14.12
सिंचाई	32.70
राष्ट्रीय राजमार्ग	1.04
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	9.78
पथ निर्माण	68.62
ग्रामीण कार्य	22.62
योजना एवं विकास	5.90
नलकूप तथा लघु सिंचाई	5.13
योग	**159.91**

(स्त्रोतः वर्ष 2012–13 का वित्त लेखा)

अग्रिम एवं अग्रदाय के लंबित मामले, वृहत् राशि के अग्रिम के समायोजन संबंधी विधिक प्रावधान के अनुपालन में विभागीय अधिकारियों की शिथिलता प्रदर्शित करती है।

3.6 प्राप्तियों एवं व्यय का असमाशोधन

बिहार वित्तीय नियमावली का नियम 475 (viii) के अनुसार विभागाध्यक्ष द्वारा संधारित लेखा में दिये गए आँकड़ों तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के पुस्त में दर्शायी गई आँकड़ों के समाशोधन हेतु विभागाध्यक्ष तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार संयुक्त रूप से जिम्मेवार होगें। समाशोधन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभागीय लेखा, व्यय का कुशल विभागीय नियंत्रण प्रदान करने हेतु उपयुक्त रूप से सही है।

तथापि, संवीक्षा से प्रकट हुआ कि पूर्व प्रतिवेदनों में विभागीय लेखा के असमाशोधन के मामलों के इंगित किए जाने तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा अनुसरणों के बावजूद नियंत्री पदाधिकारी द्वारा ऐसी चूक 2012–13 के दौरान जारी रही। ₹ 64050.67 करोड़ (ऋण एवं अग्रिम के अतिरिक्त) के कुल व्यय के विरूद्ध वर्ष 2012–13 के दौरान कुल व्यय का सिर्फ ₹ 10763.07 करोड़ (16.80 प्रतिशत) का **समाशोधन** हुआ। ₹ 59566.66 करोड़ की कुल प्राप्ति में से वर्ष 2012–13 के दौरान नियंत्री पदाधिकारी द्वारा सिर्फ ₹ 42719.20 करोड़ (71.72 पतिशत) का समाशोधन किया गया।

3.7 बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष – 800 की कार्य प्रक्रिया

लघु शीर्ष '800–अन्य प्राप्तियाँ' तथा '800–अन्य व्यय' के अंतर्गत प्राप्तियों अथवा व्यय को दर्ज करने को प्राप्तियाँ तथा व्यय का अपारदर्शी वर्गीकरण माना जाता है, क्योंकि ये शीर्ष राशि से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों को प्रकट नहीं करते हैं। यह शीर्ष उपलब्ध कार्यक्रम लघु शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं होने वाले व्यय को समायोजित करता है।

वर्ष 2012–13 के दौरान, व्यय भाग के 20 राजस्व तथा पूँजीगत मुख्य शीर्ष के खातों (सरकार का कार्य प्रस्तुत करते हुए) के अंतर्गत कुल ₹ 612.29 करोड़ का व्यय लघु शीर्ष '800 – अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया जो कि संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय का 1.83 प्रतिशत था। तीन मुख्य शीर्षों[1] में ₹ 107.69 करोड़ के व्यय को अन्य व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 3.2*** में प्रदर्शित किया गया है। यद्यपि पूर्व वर्ष की तुलना में सुधार हुआ तथापि सुधार की गुंजाइश बाकी है।

इसी तरह, राजस्व प्राप्तियाँ (सहायता अनुदान को छोड़कर) के 43 राजस्व मुख्य शीर्ष के अंतर्गत ₹ 578.77 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियाँ लघु शीर्ष–'800–अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत वर्गीकृत की गयी जो कि संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्ति का 8.77 प्रतिशत था। 17 मुख्य शीर्षो के ₹ 421.08 करोड़ की वृहत् प्राप्ति हुई जिसे 'अन्य प्राप्तियों' के रूप में वर्गीकृत की गयी जिसका विवरण ***परिशिष्ट 3.3*** में दिया गया है।

बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष '800–अन्य व्यय/प्राप्तियाँ' के अंतर्गत वृहत् राशि के वर्गीकरण से वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता प्रभावित हुई ।

3.8 गबन के मामलों का प्रतिवेदन

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 31 और 32 में प्रावधान है कि सरकारी धन की कोई हानि या उसका संदेह होने पर या सरकारी धन के गबन होने पर संबंधित पदाधिकारी को अपने से उच्च पदाधिकारी को और वित्त विभाग को तथा साथ ही महालेखाकार को तुरंत इसकी सूचना देनी चाहिए, चाहे ऐसी हानि की क्षतिपूर्ति जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा क्यों न कर दी गयी हो। जाँचोपरांत ऐसी हानि की प्रकृति, सीमा तथा कारणों एवं इसकी वसूली को प्रभावित करने वाली संभावनाओं से संबंधित पूर्ण प्रतिवेदन समर्पित कर देनी चाहिए। इन प्रतिवेदनों को प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों को दुर्विनियोजन, हानि अथवा गबन के कारणों या परिस्थितियों पर आवश्यक अथवा उचित विभागीय जाँच करने के पश्चात तथा जिम्मेदार व्यक्ति के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की चर्चा करते हुए विस्तृत प्रतिवेदन सरकार को भेजना चाहिए। ऐसा कोई भी प्रतिवेदन कार्यालयाध्यक्षों द्वारा महालेखाकार को उपलब्ध नहीं कराया गया है। तथापि, वर्ष 2012–13 में लेखापरीक्षा के दौरान ₹ 0.29 करोड़ के गबन के तीन मामले विभाग में लंबित थे। लंबित मामलों का समयवार/श्रेणीवार विवरण ***परिशिष्ट 3.4*** में दर्शाया गया है।

[1] *2075–विविध सामान्य सेवाएँ, 3452–पर्यटन तथा 5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय ।*

3.9 निष्कर्ष

यद्यपि, वर्ष के दौरान सार आकस्मिक विपत्र के विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की प्रस्तुति अच्छी रही तथापि इसे और भी सुधारने की आवश्यकता है। उपयोगिता प्रामण –पत्र की प्रस्तुति में विलंब से बचना चाहिए। विधान मंडल के पटल पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को रखना भी, राज्य सरकार के लिए चिन्ता का विषय है। वर्ष 2012–13 के दौरान बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष '800–अन्य प्राप्तियाँ/व्यय' के अंतर्गत प्राप्तियों एवं व्यय की वृहत् राशि वर्गीकृत की गयी थी।

3.10 अनुशंसाएँ

सरकार को चाहिए कि:

- विद्यमान नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि में सार आकस्मिक विपत्रों पर आहरित अग्रिम को समायोजित करने हेतु विभाग में सख्त अनुश्रवण तंत्र की स्थापना करें;
- अनुदानग्राही संस्थानों को विशेष उद्देश्य हेतु प्रदत्त अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की ससमय प्रस्तुति सुनिश्चित करें;
- विधान मंडल के पटल पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को ससमय रखना सुनिश्चित करें;
- प्राप्ति एवं व्यय के विभागीय आँकड़ों का ससमय समाशोधन सुनिश्चित करें;
- विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त अथवा व्ययित राशि को लघु शीर्ष '800–अन्य व्यय' तथा '800–अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत सम्मिलित करने के बजाय इसे स्पष्ट रूप से लेखा में वर्गीकृत करते हुए वित्तीय प्रतिवेदन में सुधार सुनिश्चित करें।

पटना
दिनांक:

(प्रवीण कुमार सिंह)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक:

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

राज्य का परिचय

(संदर्भः कंडिका 1, पृष्ठ 1)

अ.	सामान्य आंकड़ें			
क्रम सं0	विवरण			आँकड़े
1	क्षेत्रफल			**94163** वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या			
	अ	2001 के जनगणना के अनुसार		**8.3** करोड़
	ब	2011 के जनगणना के अनुसार		**10.38** करोड़
3	अ	जनसंख्या का घनत्व (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय घनत्व = 325 प्रति व्यक्ति वर्ग कि.मी.)		**881** व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी
	ब	जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय धनत्व = 382 (प्रति व्यक्ति वर्ग कि.मी.)		**1102** व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी
4	गरीबी रेखा के नीचे का जनसख्या (बी.पी.एल.) (राष्ट्रीय औसत = 21.92 प्रतिशत)*			**41.4** प्रतिशत
5	अ	साक्षरता (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 64.8 प्रतिशत)		**47** प्रतिशत
	ब	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 74.04 प्रतिशत)		**63.82** प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जन्म पर) (राष्ट्रीय औसत = 50 प्रति 1000 जन्म पर)			**42**
7	जीवन का संभावित जन्म दर (राष्ट्रीय औसत = 63.5 वर्ष)			**61.1** वर्ष
8	गिन्नी गुणांक[1]			
	अ	ग्रामीण (संपूर्ण भारत = 0.30)		**0.29**
	ब	शहरी (संपूर्ण भारत = 0.37)		**0.38**
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 2012–13 वर्तमान दर पर (₹ करोड़ में)			**294388**
10	प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी.[2] सी.ए.जी.आर.[3] (2003–04 से 2012–13)		बिहार	**16.32**
			सामान्य कोटि के राज्य	**14.94**
11	जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर. (2003–04 से 2012–13)		बिहार	**18.04**
			सामान्य कोटि के राज्य	**16.37**
12	जनसंख्या वृद्धि (2001 से 2011)		बिहार	**14.11**
			सामान्य कोटि के राज्य	**13.22**

ब	वित्तीय आंकड़ें				
क्रम सं0		विवरण	आंकड़े (प्रतिशत में)		
1	सी.ए.जी.आर.		2003–04 से 2011–12		2003–04 से 2012–13
			सामान्य कोटि के राज्य	बिहार	बिहार
	क	राजस्व प्राप्तियों का	**17.48**	**19.36**	**18.97**
	ख	अपने कर राजस्व का	**17.44**	**20.22**	**21.13**
	ग	गैर कर राजस्व का	**12.64**	**13.62**	**15.08**
	घ	कुल व्यय का	**14.15**	**16.54**	**16.41**
	ड.	पूँजीगत व्यय का	**16.83**	**24.34**	**22.42**
	च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	**16.85**	**17.36**	**19.53**
	छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	**15.35**	**13.79**	**14.69**
	ज	वेतन एवं मजदूरी का#	**14.18**	**11.73**	**11.66**
	झ	पेंशन का	**18.36**	**16.71**	**15.58**

स्त्रोतः वित्तीय आँकड़ा वित्त लेखा पर आधारित आँकड़े है।

*बी.पी.एल. (योजना आयोग एवं एन एस एस ओ आँकड़े 61वें राउण्ड एचटीटीपीः//योजना आयोग निक.ईन/डाटा/डाटावेस/डाटा 0910/टेब%2021.पीडीएफ), गिन्नी गुणांक (योजना आयोग का गैर सरकारी प्राक्कलन एवं एनएसएसओ डाटा, 61वें राउण्ड 2004–05 एम आर पी), जीवन का संभावित जन्म दर (भारत के महानिबंधक का कार्यालय; गृह मंत्रालय) आर्थिक सर्वेक्षण 2012–13, शिशु मृत्यु दर (एसआरएस बुलेटिन जनवरी 2013), जनसंख्या घनत्व (भारत के महानिबंधक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय; गृह मंत्रालय) एवं शिक्षा (भारत के महानिबंधक का कार्यालय, गृह मंत्रालय)

#अवधि 2003–04 से 2011–12 या 2012–13 के मामले में ।

[1] *यह आय के असामान्य वितरण का माप है जहाँ शून्य पूर्ण समानता को दर्शाता है एवं एक पूर्ण असमानता को दर्शाता है ।*

[2] *जी.एस.डी.पी. = सकल राज्य घरेलू उत्पाद।*

[3] *सी.ए.जी.आर = मिश्रित वार्षिक विकास दर।*

परिशिष्ट 1.2

संरचना एवं रूपरेखा

(संदर्भः कंडिका 1.1, पृष्ठ 2)

सरकारी लेखा की संरचना : सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा जाता है (i) संचित निधि (ii) आकस्मिकता निधि एवं (iii) लोक लेखा

भाग I संचित निधि : सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को निर्गत कर इकट्ठा किए गए सभी ऋण, वाह्य एवं आंतरिक ऋण एवं ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक संचित निधि का निर्माण करेंगे जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य की संचित निधि" कहा जाता है ।

भाग II आकस्मिकता निधि : संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के व्ययन हेतु एक कोष है जो विधानमंडल के लंबित प्राधिकार तक आवश्यक अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हेतु अग्रिम मुहैय्या करता है । तत्पश्चात विधान मंडल से ऐसे व्यय एवं संचित निधि से समतुल्य राशि की निकासी हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिससे आकस्मिकता निधि से अग्रिम निधि की प्रतिपूर्ति हो जाती है ।

भाग III लोक लेखा : कुछ विषेश लेन–देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा उचंत, प्रेषण इत्यादि जो संचित निधि का अंश नहीं है, से संबंधित प्राप्तियाँ एवं भुगतान संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं एवं विधान मंडल द्वारा मत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं ।

परिशिष्ट 1.2 भाग ख : वित्त लेखा की रूपरेखा

विवरणी	रूपरेखा
वित्त लेखा दो भागों में वितरित है । भाग एक सरकार के वित्तीय विवरण के सारांशीकृत रूप में और भाग दो में विस्तृत विवरण प्रस्तुत है । भाग एक में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रमाण–पत्र चार सारांश विवरण और लेखाओं की योजना पर टिप्पणी को सम्मिलित करते हुए नीचे दिया गया है ।	
विवरण संख्या 1	**वित्तीय स्थिति का विवरण :** सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संचयी आंकड़े, जो वर्ष के अंत में रहता है, विवरणी में दिखाये गए हैं । ये परिसंपत्तियाँ सरकार की भौतिक परिसंपत्तियाँ को दर्शाने वाली उत्तरोत्तर पूँजीगत व्यय के आँकड़ों के लिए मुख्यतः वित्तीय परिसंपत्तियॉ हैं । लेखा नीति के तहत परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक मूल्य पर दिखाया गया है।
विवरण संख्या 2	**प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण :** यह सरकार द्वारा चालू वर्ष में सरकारी लेखे के तीनों भागों–संचित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में प्राप्तियों एवं संवितरणों का संक्षिप्त विवरणी है । इसके अतिरिक्त राजस्व एवं पूँजीगत लेखा से संबंधित प्राप्तियों एवं व्ययों को संचित निधि के तहत पृथक रूप से दर्शाया गया है ।
विवरण संख्या 3	**प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि):** इसके अंतर्गत राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं सरकार द्वारा प्राप्त की गई उधार राशि जिसमें भारत सरकार से प्राप्त कर्ज तथा सरकार द्वारा दिए गए कर्ज एवं पेशगियों की वसूलियाँ सम्मिलित हैं ।
विवरण संख्या 4	**व्यय की विवरण (समेकित निधि) प्रयोजनवार एवं प्रकृतिवार:** यह विवरण न केवल प्रयोजनवार व्यय को दर्शाती है बल्कि व्यय की गतिविधि की प्रकृति (विषय शीर्षवार व्यय) को भी सारांशीकृत करती है ।
इसके अतिरिक्त इस खण्ड में एक परिशिष्ट, परिशिष्ट–1 भी सम्मिलित है जो सरकार के रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश का विवरणी है । **खण्ड II** तीन भागों में विभक्त है । भाग I में छः विवरणी शामिल है जो निम्नलिखित हैं–	
विवरण संख्या 5	**प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण :** यह विवरण प्रगामी पूँजीगत व्यय को कार्यकारी शीर्षवार बतलाता है जिसकी समिष्टि विवरण–1 में दर्शाया गया है ।
विवरण संख्या 6	**उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण :** सरकार द्वारा ली गई उधार स्वरूप बाजार ऋण (आंतरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं पेशगियाँ सम्मिलित हैं । इन दोनों को मिला कर राज्य सरकार का लोक ऋण निर्मित होता है । इसके अतिरिक्त यह संक्षिप्त विवरणी अन्य दायित्वों जो लेखा अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के शेषों को भी दर्शाता है । लोक लेखा के संबंध में सरकार निधि के संरक्षक या न्यासी के रूप में कार्य करती है । अतएव यह लेखा सरकार के दायित्वों को संस्थापित करती है । इस विवरणी में ऋणशोधन कार्य संबंधी टिप्पणी अर्थात् निवल ब्याज प्रभार जिन्हें राजस्व प्राप्तियों से वहन किया जाता है का भी उल्लेख है ।

परिशिष्ट 1.2

परिशिष्ट 1.2 भाग ख : वित्त लेखा की रूपरेखा	
विवरण	**रूपरेखा**
विवरण संख्या 7	**सरकार द्वारा दिये गए कर्ज तथा पेषगियों का विवरण :** सरकार द्वारा दिये गए कर्ज एवं पेशगियों को विवरण संख्या 1 में दर्शाया गया है तथा तत्संबंधी वसूलियाँ एवं संवितरणों को विवरण संख्या 2, 3 तथा 4 में दर्शाया गया है । यहाँ कर्ज एवं पेशगियों को प्रभागवार–ऋणवार समूह में सारांशीकृत किया गया है । इसके अंतर्गत बकाये कर्ज की वसूलियाँ संबंधी टिप्पणी सम्मिलित है जिसके विस्तृत आँकड़ों का संधारण महालेखाकार कार्यालय एवं संबंधित विभागों द्वारा किया जाता है ।
विवरण संख्या 8	**सहायता सरकार द्वारा दिये गये सहायक अनुदान का विवरण** : यह अनुदानग्राही संस्थाओं द्वारा समूहवार संघटित किया गया है । इसमें वस्तु के रूप में दिये गए अनुदान पर टिप्पणी भी अंकित है ।
विवरण संख्या 9	**सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विवरण :** सरकार द्वारा वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों की ऋण वापसी हेतु दी गयी गारंटियों एवं वर्ष के अंत तक लंबित प्रत्याभूत राशियों का उल्लेख इस विवरणी में प्रदर्षित किया गया है ।
विवरण संख्या 10	**दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण :** इस विवरण के अंतर्गत सरकार के दत्तमत एवं प्रभारित व्ययों को विस्तृत उल्लेख है ।
खण्ड II भाग II: इस भाग में नौ विवरण सम्मिलित हैं जो लघुशीर्षवार हुए संव्यवहारों को दर्शाता है जो खण्ड I एवं खण्ड II के भाग I के विवरणों में सदृश अनुकूल है ।	
विवरण संख्या 11	**लघुशीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का ब्योरेवार विवरण :** यह विवरण सरकार के राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत रूप में दर्शाता है ।
विवरण संख्या 12	**लघुशीर्षवार राजस्व व्यय का ब्योरेवार विवरण :** यह विवरण सरकार के राजस्व व्यय को विस्तृत रूप में दर्शाता है । गैर योजना एवं योजनागत आँकड़ों को अलग–अलग एवं विगत वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनात्मक रूप में दर्शाया गया है ।
विवरण संख्या 13	**पूँजीगत व्यय का ब्योरेवार विवरण :** इसके अंतर्गत सरकार के पूँजीगत व्यय का विस्तृत उल्लेख है । गैर योजना एवं योजनागत आँकड़ों को अलग–अलग एवं विगत वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें वर्ष के अंत तक संचयी पूँजीगत व्यय का वर्णन भी सम्मिलित है ।
विवरण संख्या 14	**सरकारी निवेशों का ब्योरेवार विवरण :** विभिन्न संस्थाओं के शेयर पूँजी और डिबेंचर के रूप में सरकारी निवेशों की विगत एवं चालू वर्ष की स्थिति को इस विवरणी में दर्शाया गया है । इसके अंतर्गत शेयरों का प्रकार, अंकित मूल्य, प्राप्त लाभांश का भी उल्लेख किया गया है ।
विवरण संख्या 15	**उधार एवं अन्य दायित्वों का ब्योरेवार विवरण :** सरकार द्वारा प्राप्त उधार एवं अन्य दायित्वों (बाजार ऋण तथा भारत सरकार से प्राप्त कर्ज) को लघुशीर्षवार, उसकी परिपक्वता एवं ऋण की वापसी संबंधी रूपरेखा इस विवरण में प्रस्तुत किया गया है । यह विवरण खंड 2 के भाग 1 में विवरण संख्या 6 का विस्तृत रूप है ।
विवरण संख्या 16	**सरकार द्वारा दिये गए कर्ज एवं पेशगियों का ब्योरेवार विवरण :** सरकार द्वारा दिये गए कर्ज एवं पेशगियों का ब्योरा, ऋण शेषों में बदलाव, ऋण का अपलेखन, ऋणों पर प्राप्त ब्याज आदि को इस विवरण में दर्शाया गया है । इसमें योजनागत कर्ज को अलग से दर्शाया गया है । यह विवरणी खण्ड 2 के भाग 1 के विवरणी 7 का विस्तृत रूप है ।
विवरण संख्या 17	**व्यय हेतु निधियों के स्त्रोत तथा उनके अनुप्रयोग (राजस्व लेखे को छोड़कर) का ब्योरेवार विवरण :** पूँजीगत एवं अन्य व्यय (व्यय शीर्ष राजस्व लेखा को छोड़कर) व्यय के लिए निधियों के स्त्रोतों का उल्लेख इस विवरणी में किया गया है।
विवरण संख्या 18	**आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के संव्यवहारों को ब्योरेवार विवरण :** इस विवरण के अंतर्गत वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि में हुए बदलाव, निधि को विनियोजन, व्यय एवं वापस प्राप्त किये गये राशि को दर्शाया गया है । इसमें लोक लेखा के संव्यवहारों को भी विस्तृत रूप में दर्शाया गया है ।
विवरण संख्या 19	**उदि्दष्ट निधियों के निवेशों को ब्योरेवार विवरण :** उदि्दष्ट निधियों से लोक लेखा में निवेशों की विस्तृत ब्योरा इस विवरण में दर्शाया गया है ।

(स्त्रोत : वित्त लेखा)

परिशिष्ट 1.3

बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम)

(संदर्भः कंडिका 1.1, पृष्ठ 2)

(2010 का बिहार अधिनियम संख्या 25)
बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010

प्रस्तावनाः—राजकोषीय समेकन के लिये तेरहवे वित्त आयोग द्वारा यथा अनुशसित पुनरीक्षित रूपरेखा को लागू करने एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन प्रक्रिया को और पारदर्शी तथा व्यापक बनाने के लिऐ राजकोषीय लक्ष्यों में संशोधन का उपबंध करने हेतु बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट अधिनियम 2006 का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधियमित थेः—

1. (अ) यह अधिनियम बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा ।

 (ब) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

 (स) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र में इस निमित को नियमित करें ।

2. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा—2 में संशोधन 1—बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा 2 की उप—धारा (ठ) के बाद निम्नलिखित नयी उप—धारा (ड) जोड़ी जायेगीः

 (ड) "ऋण" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा ब्याज पर ली गई उधार की राशि ।

3. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा—3 में संशोधन 1—बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा—3 की उप धारा (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :

 (अ) "राजकोषीय सुधार के मार्ग पर आने के लिए वर्ष 2007-08 में शून्य राजस्व घाटा अथवा राजस्व अधिशेष प्राप्त करने पर वर्ष 2011—12 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत राजकोषीय घाटा प्राप्त करेगी और उसे उसके बाद बनाये रखना होगा " ।

4. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा—9 में संशोधन 1—बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा 9 (2) (अ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:

 (ब)"वित्तीय वर्ष 2010—11 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत करेगी एवं वर्ष 2011—12 में यह तीन प्रतिशत होगी और इसे वर्ष 2014—15 तक बनाये रखना होगा" ।

5. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा 9 में संशोधन ।—बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा—9 की उप—धारा 2 के खंड (अ) के बाद निम्नलिखित नया खण्ड (ग) जोड़ा जायेगा :

 (स)"ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वित्तीय वर्ष 2010—11, 2011—12, 2012—13, 2013—14 एवं 2014—15 के लिये क्रमशः 48.2, 46.4, 44.6, 43.0 एवं 41.6 तक लायेगी" ।

परिशिष्ट 1.3

हेतु अपनायी गयी पद्धति

(संदर्भः कंडिका 1.1, पृष्ठ 2)

चुनिंदा राजकोषीय परिवर्तनशीलता के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिमान/उच्चतम सीमा एवं राजकोषीय समूहों के लिए इनके प्रक्षेपण के साथ राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय अधिनियम एवं अन्य विवरणियों में अपनी प्रतिबद्धता/प्रेक्षण अधिनियम (***परिशिष्ट 1.2 का भाग ख***) के अंतर्गत विधानमंडल के समक्ष मुख्य राजकोषीय योग की प्रवृत्ति एवं प्रतिरूप के गुणात्मक निर्धारण हेतु रखे जाने की आवश्यकता है । सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) को राज्य के आर्थिक निष्पादन का अच्छा सूचक मानते हुए मुख्य राजकोषीय समुच्चय जैसे कर एवं करेत्तर राजस्व, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आंतरिक ऋण तथा मुख्य राजकोषीय घाटा को चालू बाजार दर पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किया गया ।

विगत पाँच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति नीचे दर्शायी गई है :

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) चालू मूल्य पर

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	142279	164547	198135(पी)	246487(क्यू)	294388(ए)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विकास दर	19.64	15.65	20.41	24.40	19.43

पी–अनंतिम, क्यू–त्वरित, ए–अग्रिम

(स्त्रोत : निदेशालय सांख्यिकी एवं आर्थिक विभाग, बिहार सरकार)

कुछ चुने हुए शब्दों जिनका प्रयोग राजकोषीय समुच्चय के प्रवृति एवं प्रकृति के निर्धारण में किया गया है, परिभाषा के साथ नीचे दिए गए हैः–

शब्द	गणना का आधार
प्राचल की उत्पलावकता	प्राचल की वृद्धि दर/जी.एस.डी.पी. वृद्धि दर
अन्य प्राचल (Y) के संदर्भ में प्राचल (X) की उत्पलावकता	प्राचल (X) की वृद्धि दर/ प्राचल (Y) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	[(चालू वर्ष की राशि/पूर्व वर्ष की राशि)-1]*100
विकास व्यय	समाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
समुच्चित व्यय	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	ब्याज भुगतान /[(पिछले वर्ष की राजकोषीय दायित्व की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय दायित्व)2]*100
ब्याज विस्तार	जी.एस.डी.पी. वृद्धि – औसत ब्याज दर
प्रमात्रा विस्तार	संचित ऋण * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(प्रारंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंत शेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति – राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम – राजस्व प्राप्तियाँ – विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियाँ घटावे मुख्य शीर्ष 2048 ऋण की परिहार्यता की कमी के लिए विनियोजन में अंकित व्यय को छोड़कर सभी योजना अनुदान एवं गैर योजना राजस्व व्यय

परिशिष्ट 1.4

वर्ष 2012–13 की प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(संदर्भः कंडिका 1.1.1, 1.6.1, पृष्ठ 2 एवं 16)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2011-12			2012-13		2011-12		2012-13			
								गैर योजना	योजना	योग
		खण्डः अ राजस्व								
51320.17	**I**	**राजस्व प्राप्तियाँ**		**59566.66**	**46499.49**	**I**	**राजस्व व्यय**	**37573.69**	**16892.46**	**54466.15**
12612.10		कर राजस्व	16253.08		17729.72		सामान्य सेवाएँ	18570.99	74.12	18645.11
889.86		करेत्तर राजस्व	1135.27		18728.78		सामाजिक सेवाएँ	11078.22	12029.15	23107.37
27935.23		संघीय करों का राज्यांश	31900.39		10157.28		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	8309.52	5770.65	14080.17
2562.62		गैर योजना अनुदान	2412.58		1803.53		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1557.75	278.14	1835.89
5065.39		राज्य योजना हेतु अनुदान	5051.97		1713.32		जलापूर्ति स्वच्छता,आवास एवं नगर विकास	671.99	1632.16	2304.15
2254.97		केन्द्रीय एवं केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	2813.37		56.39		सूचना एवं प्रसारण	66.31	7.66	73.97
					1059.63		अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	92.14	1658.42	1750.56
					87.76		श्रम एवं श्रम कल्याण	73.97	19.38	93.35
					3588.99		समाज कल्याण एवं पोषाहार	264.72	2750.81	3015.53
					261.88		अन्य	41.82	-88.07	-46.25
					10037.82		आर्थिक सेवाएँ	7920.77	4789.19	12709.96
					1914.47		कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	612.55	2557.67	3170.22
					2914.60		ग्रामीण विकास	2204.63	1227.62	3432.25
							विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	-	-	-
					1311.35		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	850.85	63.33	914.18
					2168.02		उर्जा	3198.87	1.07	3199.94
					363.19		उद्योग एवं खनिज	59.48	474.41	533.89
					788.53		परिवहन	824.95	0.56	825.51

परिशिष्ट 1.4

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2011-12			2012-13		2011-12		2012-13			
								गैर योजना	योजना	योग
					-		विज्ञान, प्रावैधिकी एवं पर्यावरण	-	-	
					577.66		सामान्य आर्थिक सेवाएँ	169.44	464.53	633.97
					3.17		सहायता अनुदान एवं अंशदान	3.71	शून्य	3.71
				59566.66	46499.49		कुल			54466.15
	II	**खण्ड ब में ले जाए गए राजस्व घाटे**			**4820.68**	**II**	**खण्ड ब में से ले जाए गए राजस्व अधिशेष**			**5100.51**
51320.17		**कुल**		**59566.66**	**51320.17**		**कुल**			**59566.66**
		खंड ब अन्य								
2735.44	**III**	**स्थायी अग्रिम तथा रोकड़ शेष निवेश को शामिल करते हुए आरंभिक रोकड़ शेष**		**1509.45**		**III**	**भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक ओभर ड्राफ्ट**			
	IV	**विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ**			**8852.01**	**IV**	**पूँजीगत परिव्यय**	**93.15**	**9491.37**	**9584.52**
					608.06		सामान्य सेवाएँ	84.41	632.93	717.34
					807.14		सामाजिक सेवाएँ	9.45	1321.34	1330.79
					56.40		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	-0.10	364.54	364.44
					321.05		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	शून्य	562.50	562.50
					331.96		जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	9.55	272.89	282.44
							सूचना एवं प्रसारण	शून्य	शून्य	शून्य
					3.50		अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	शून्य	3.79	3.79
					82.43		समाज कल्याण एवं पोषाहार	शून्य	24.24	24.24
					11.80		अन्य सामाजिक सेवाएँ	शून्य	93.38	93.38
					7436.81		आर्थिक सेवाएँ	-0.71	7537.10	7536.39

परिशिष्ट 1.4

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2011-12			2012-13		2011-12		2012-13			
								गैर योजना	योजना	योग
					117.29		कृषि एवं संबंद्ध कार्यकलाप	शून्य	91.66	91.66
					1088.78		ग्रामीण विकास	-0.06	1874.46	1874.40
							विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	-	-	-
					1963.98		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	-1.18	1941.22	1940.04
					102.37		उर्जा	शून्य	173.63	173.63
					66.26		उद्योग एवं खनिज	शून्य	48.81	48.81
					4063.51		परिवहन	0.53	3312.28	3312.81
					34.62		सामान्य आर्थिक सेवाएँ	शून्य	95.04	95.04
22.51	**V**	**ऋण एवं अग्रिमों की वसूली**		**24.70**	**1906.08**	**V**	**ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण**	**104.07**	**1981.88**	**2085.95**
		विद्युत परियोजनाओं से			935.54		विद्युत परियोजनाओं हेतु	63.21	1017.67	1080.88
10.62		सरकारी सेवकों से	12.91		17.39		सरकारी सेवकों को	16.46	-	16.46
11.89		अन्य से	11.79		953.15		अन्य से	24.40	964.21	988.61
4820.68	**VI**	**राजस्व आधिक्य नीचे ले जाए गए**		**5100.51**		**VI**	**राजस्व घाटा नीचे ले जाए गए**			
6627.96	**VII**	**लोक ऋण प्राप्तियाँ**		**9553.96**	**2922.46**	**VII**	**लोक ऋण का पुनर्भुगतान**			**3069.96**
		बाहरी ऋण					बाहरी ऋण			
5801.40		अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओभरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण	9045.94		2456.98		अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओभरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण			2585.23
		अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन–देन					अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन–देन			
		ओभर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन–देन								
826.56		भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	508.02		465.48		भारत सरकार को ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान			484.73
75.41		**अंतर्राज्यीय समाशोधन**	शून्य		**1.39**		**अंतर्राज्यीय समाशोधन**			शून्य
800.00	**VIII**	**आकस्मिकता निधि को विनियोजन**		**2250.00**	**800.00**	**VIII**	**आकस्मिकता निधि को विनियोजन**			**2250.00**

परिशिष्ट 1.4

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2011-12			2012-13		2011-12		2012-13			
								गैर योजना	योजना	योग
	IX	आकस्मिकता निधि के राशि का स्थानांतरण				IX	आकस्मिकता निधि से व्यय			
22302.61	**X**	**लोक लेखा प्राप्तियाँ**		**27066.21**	**21393.22**	**X**	**लोक लेखा संवितरण**			**24798.82**
1031.81		लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ		1296.09	1033.94		लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ			1511.64
1114.53		आरक्षित निधि		799.33	542.17		आरक्षित निधि			268.44
419.14		उचंत एवं विविध		528.82	976.07		उचन्त एवं विविध			795.34
9859.15		प्रेषण		8927.17	9895.97		प्रेषण			8907.65
9877.98		जमा एवं अग्रिम		15514.80	8945.07		जमा एवं अग्रिम			13315.75
	XI	**भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओभरड्राफ्ट**			**1509.45**	**XI**	**अंतिम रोकड़ शेष**			**3715.58**
							कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण			
					-93.15		रिजर्व बैंक के पास जमा			188.21
					491.62		विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित			521.52
					1110.98		रोकड़ शेष निवेश			3005.85
37384.61		**योग**		**45504.83**	**37384.61**		**योग**			**45504.83**

(स्त्रोतः वित्त लेखा)

परिशिष्ट 1.5

वर्ष 2012-13 के लिए बजट प्राक्कलनों यथा वास्तविकी

(संदर्भः कंडिका 1.1.2, पृष्ठ 4)

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविकता	आधिक्य (+)/ घाटा (–)	प्रतिशतता आधिक्य(+)/घाटा (–)
राजस्व प्राप्तियाँ	**68047.86**	**59566.66**	8481.2	12.46
निजी कर राजस्व	**15695.30**	**16253.08**	-557.78	-3.55
करेत्तर राजस्व	3142.46	1135.27	2007.19	63.87
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	33126.33	31900.39	1225.94	3.70
केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान	16083.77	10277.92	5805.85	36.10
राजस्व व्यय	60959.27	54466.15	6493.12	10.65
सामान्य सेवाएँ	22192.64	18645.11	3547.53	15.99
राज्य का अंग	946.79	710.68	236.11	24.94
राजकोषीय सेवाएँ	666.93	590.26	76.67	11.50
ब्याज भुगतान और कर्ज परिशोधन	5484.00	4683.26	800.74	14.60
प्रशासनिक सेवाएँ	5051.90	4288.51	763.39	15.11
पेंशन और विविध सामान्य सेवाएँ	10043.02	8372.40	1670.62	16.63
सामाजिक सेवाएँ	25632.67	23107.37	2525.30	9.85
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	15087.80	14080.17	1007.63	6.68
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2534.88	1835.89	698.99	27.57
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	2679.80	2304.15	375.65	14.02
सूचना और प्रसारण	71.35	73.97	-2.62	-3.67
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1125.21	1750.56	-625.35	-55.58
श्रम एवं श्रम कल्याण	108.21	93.35	14.86	13.73
सामाजिक कल्याण और पोषाहार	3978.18	3015.53	962.65	24.20
अन्य	47.24	-46.25	93.49	197.90
आर्थिक सेवाएँ	13129.83	12709.96	419.87	3.20
कृषि और संबद्ध सेवाएँ	2625.45	3170.22	-544.77	-20.75
ग्रामीण विकास	4115.84	3432.25	683.59	16.61
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1146.00	914.18	231.82	20.23
ऊर्जा	2181.77	3199.94	-1018.17	-46.67
उद्योग और खनिज	688.47	533.89	154.58	22.45
परिवहन	1017.40	825.51	191.89	18.86
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	1354.90	633.97	720.93	53.21
सहायता अनुदान और अंशदान	4.12	3.71	0.41	9.95
पूँजीगत व्यय	17727.56	9584.52	8143.04	45.93
सामान्य सेवाएँ	1994.84	717.34	1277.50	64.04
सामाजिक सेवाएँ	1986.01	1330.79	655.21	32.99
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	288.97	364.44	-75.47	-26.12
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	532.90	562.50	-29.60	-5.55
जलापूर्ति, स्वच्छता', आवास और शहरी विकास	397.12	282.44	114.66	28.87
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	29.72	3.79	25.93	87.25
सामाजिक कल्याण और पोषाहार	737.30	24.24	713.06	96.71
अन्य सामाजिक सेवाएँ	0.00	93.38	-93.38	0.00
आर्थिक सेवाएँ	9431.53	7536.39	1895.14	20.09
कृषि और संबद्ध सेवाएँ	144.84	91.66	53.18	36.72
ग्रामीण विकास	2058.69	1874.40	184.29	8.95
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2429.03	1940.04	488.99	20.13
ऊर्जा	858.88	173.63	685.25	79.78
उद्योग और खनिज	79.50	48.81	30.69	38.60
परिवहन	3833.02	3312.81	520.12	13.57
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	27.57	95.04	-67.47	-244.72
राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (–)	7088.59	5100.51	1988.08	28.05
राजकोषीय घाटा (–)	7569.43	6545.00	1024.43	13.53
प्राथमिक आधिक्य (+)/घाटा (–)	-2383.43	-1862.00	-521.43	21.88

स्त्रोतः वित्त लेखा

परिशिष्ट 1.6

राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को निधि का सीधा हस्तांतरण

(संदर्भः कंडिका 1.2.1, पृष्ठ 8)

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम/योजना	राज्य में क्रियान्वयन करने वाले एजेन्सियाँ	2011-12	2012-13
		केन्द्रांश	केन्द्रांश
सर्व शिक्षा अभियान	बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद	**1851.09**	**2754.62**
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	1300.73	1227.81
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना		67.88	138.25
इंदिरा आवास योजना		2170.82	1684.74
समेकित जलाच्छादन प्रबंधन कार्यक्रम		5.46	17.03
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन)		29.99	14.70
योग डी.आर.डी.ए.		**3574.88**	**3082.53**
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	राज्य स्वास्थ्य समिति	6.45	757.95
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	पंजीकृत समितियाँ	3195.74	959.75
सांसदों द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	जिला मजिस्ट्रेट	100.97	224.00
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान एवं तकनीकी कार्यक्रम	पंजीकृत समितियाँ (स्वंयसेवी संस्थाएँ)	0.31	0.31
ऑफ ग्रिड डी.आर.पी.एस.	बिहार पुर्ननवीनीकरण उर्जा विकास अभिकरण	5.90	5.90
कला और संस्कृति का प्रोन्नति और संवर्द्धन	पंजीकृत समितियाँ (स्वयंसेवी संस्थाएँ)	1.16	1.16
स्मारिका तथा अन्य	नव नालंदा महाविहार	3.00	0.00
महिला समाख्या	बिहार महिला समाख्या समिति	5.99	6.94
व्यस्क शिक्षा एवं दक्षता विकास के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं, एस.आर.सी. को सहयोग	जन शिक्षण संस्थान	5.90	4.83
स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायक अनुदान सहित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना	बाल श्रम परियोजना समिति	12.39	0.00
असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना)	बिहार राज्य श्रम कल्याण समितियाँ	119.27	0.00
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान	राज्य कृषि प्रबंधन तथा विस्तार प्रशिक्षण	74.87	65.73
गहन डेयरी विकास कार्यक्रम (आई.डी.डी.पी.)	बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ, पटना (कम्फेड)		20.52
खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन	बिहार सरकार (उद्योग मित्र)		8.56
निर्यात के बुनियादी ढ़ाचा विकास के लिए राज्यों को सहायता (खाद्य विकास केन्द्र)	बिहार राज्य फल एवं सब्जी निगम		3.92
रेशम उद्योग के विकास के लिए उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम	हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना		2.83
कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.भी.)	बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्		57.17
मॉडल स्कूल	बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्		203.53
प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.ई.जी.ई.एल.)	बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्		16.47
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)	बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद्		137.66
राज्य बजट से बाहर भारत सरकार की कुल निधि		**8957.92**	**8314.38**

(स्त्रोतः वित्त लेखा)

राज्य सरकार के वित्त के कालश्रृंखला आंकड़ें

(संदर्भः कंडिका 1.3, 1.3.1.1 पृष्ठ 8 एवं 10)

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
खण्ड अ प्राप्तियाँ					
1.राजस्व प्राप्तियाँ	**32981**	**35527**	**44532**	**51320**	**59567**
(i) कर राजस्व	**6173 (19)**	**8090 (23)**	**9870 (22)**	**12612 (25)**	**16253(27)**
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	3016 (49)	3839 (48)	4557 (46)	7476 (59)	8671(53)
राज्य उत्पाद	679 (11)	1082 (13)	1523 (16)	1981 (16)	2430(15)
वाहन पर कर	298 (5)	345 (4)	456 (5)	569 (4)	673(4)
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	716 (12)	998 (12)	1099 (11)	1480 (12)	2173(14)
भू–राजस्व	102 (1)	124 (2)	139 (1)	168 (1)	205(1)
माल एवं यात्री कर	1279 (21)	1613 (20)	2006 (20)	828 (7)	1932(12)
अन्य कर	83 (1)	89 (1)	90 (1)	110 (1)	169(1)
(ii) करेत्तर राजस्व	**1153 (3)**	**1670 (5)**	**985 (2)**	**890 (2)**	**1135(2)**
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	**17693 (54)**	**18203(51)**	**23978(54)**	**27935 (54)**	**31901(54)**
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	**7962 (24)**	**7564 (21)**	**9699 (22)**	**9883 (19)**	**10278(17)**
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	**0**	**0**
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	**11**	**13**	**12**	**23**	**25**
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	**32992**	**35540**	**44544**	**51343**	**59592**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**5928**	**6134**	**6032**	**6628**	**9554**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	5778	5370	5251	5801	9046
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन–देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	150	764	781	827	508
6. अंतर्राज्यीय समाशोधन				**75**	**-**
7. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5+6)	**38920**	**41674**	**50576**	**58046**	**69146**
8. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**16941**	**15303**	**17321**	**22303**	**27066**
10. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (7+8+9)	**55861**	**56978**	**67897**	**80349**	**96212**
खण्ड ब व्यय/संवितरण					
11. राजस्व व्यय	**28512**	**32584**	**38216**	**46499**	**54466**
योजना	**7280 (26)**	**8439 (26)**	**10900 (29)**	**12487 (27)**	**16892(31)**
गैर–योजना	**21232 (74)**	**24145 (74)**	**27316 (71)**	**34012 (73)**	**37574(69)**
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	10530(37)	12202(37)	15287(40)	17729(38)	18645(34)
सामाजिक सेवाएँ	12252 (43)	13186 (40)	15090 (39)	18729 (40)	23107(43)
आर्थिक सेवाएँ	5726 (20)	7088 (22)	7836 (21)	10038 (22)	12710(23)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	4	108(1)	3	3	4
12. पूँजीगत व्यय	**6436**	**7332**	**9196**	**8852**	**9585**
योजना	**6336 (98)**	**7268 (99)**	**9150 (99)**	**8812 (99)**	**9492(99)**
गैर–योजना	**100 (2)**	**64 (1)**	**46 (1)**	**40 (1)**	**93(1)**
सामान्य सेवाएँ	206 (3)	274 (4)	396 (4)	608 (7)	717(7)
सामाजिक सेवाएँ	640 (10)	1123 (15)	1072 (12)	807 (9)	1331(14)
आर्थिक सेवाएँ	5590 (87)	5935 (81)	7728 (84)	7437 (84)	7537(79)
13. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	**551**	**897**	**1103**	**1906**	**2086**
14. कुल (11+12+13)	**35499**	**40813**	**48515**	**57257**	**66137**
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**1682**	**1983**	**2190**	**2922**	**3070**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	1254	1169	1725	2457	2585
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन–देन	-	-	-	-	-

परिशिष्ट 1.7

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	428	814	465	465	485
16. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-	-
17. अंतर्राज्यीय समाशोधन	-	-	-	2	-
18. संचित निधि से कुल संवितरण (14+15+16+17)	37181	42796	50705	60181	69207
19. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
20. लोक लेखा संवितरण	17311	15448	16749	21393	24799
21. राज्य सरकार द्वारा कुल संवितरण (18+19+20)	54492	58428	67454	81574	94006
खण्ड स घाटा					
22. राजस्व घाटा (–)/राजस्व आधिक्य (+) (1–11)	4469	2943	6316	4821	5101
23. राजकोषीय घाटा (–)/राजकोषीय आधिक्य (+) (4-14)	(-)2507	(-)5273	(-)3971	(-)5914	(-)6545
24. प्रारंभिक घाटा/ प्रारंभिक आधिक्य (23+25)	1246	(-)1588	348	(-)1610	(-)2117
खण्ड द अन्य आंकड़ें					
25. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	3753	3685	4319	4304	4428
26. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता	4423	4456	4622	14444	17454
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)@	142279	164547	198135	246487	294388
28. लंबित राजकोषीय देयता (वर्षान्त)	54977	58690	62858	67812	76503
29. लंबित प्रत्याभूति (वर्षान्त)	704	859	588	1092	1089
30. अधिकतम दी गई गारंटी (वर्षान्त)	1538	1548	1549	2049	2046
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	78	288	350	380	298
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूँजी	1016	941	1005	1579	1488
खण्ड ई राजकोषीय स्थिति का सूचक					
I संसाधन संग्रहण					
निजी राजस्व कर/जी.एस.डी.पी.	0.043	0.049	0.050	0.051	0.055
निजी करेत्तर राजस्व/जी.एस.डी.पी.	0.008	0.010	0.005	0.004	0.004
केन्द्रीय स्थानांतरण/जी.एस.डी.पी.	0.124	0.111	0.121	0.113	0.108
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/जी.एस.डी.पी.	0.250	0.248	0.245	0.232	0.225
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	1.076	1.148	1.089	1.116	1.110
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.803	0.798	0.787	0.812	0.824
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.363	0.350	0.333	0.341	0.370
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.318	0.319	0.343	0.338	0.306
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.181	0.179	0.189	0.155	0.145
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	0.173	0.173	0.181	0.144	0.134
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/जी.एस.डी.पी.	0.031	0.018	0.032	0.020	0.017
राजकोषीय घाटा/जी.एस.डी.पी.	(-)0.018	(-)0.032	(-)0.020	(-)0.024	(-)0.022
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/जी.एस.डी.पी.	0.009	(-)0.010	0.002	(-)0.007	(-)0.007
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	(-)1.782	(-)0.558	(-)1.590	(-)0.815	(-)0.779
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/जी.एस.डी.पी.	0.386	0.357	0.317	0.275	0.260
राजकोषीय दायित्व/आर.आर.	1.667	1.652	1.411	1.321	1.284
राजकोषिय दायित्व/राज्य का अपना ससांधन	7.504	6.013	5.791	5.022	4.400

कोष्ठक में दिए गए आँकड़े प्रत्येक उप–शीर्ष के कुल प्रतिशतता दिखलाते हैं।

@ सरकार द्वारा अपनाई गई सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आँकड़े

(स्त्रोतः वित्त लेखा)

परिशिष्ट 1.8

31 मार्च 2013 को बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति का सार

(संदर्भः कंडिका 1.9.1, पृष्ठ 24)

(₹ करोड़ में)

31/03/2012 को	देयता		31/03/2013 को
42364.79	**आंतरिक ऋण**		**48825.50**
20173.22	ब्याज वाले बाजार ऋण	25937.56	
0.68	बिना ब्याज वाले बाजार ऋण	0.22	
21.55	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	21.55	
22169.34	अन्य संस्थाओं से ऋण	22866.17	
8625.56	**केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम**		**8648.85**
3.91	1984–85 से पूर्व ऋण	3.91	
64.12	गैर–योजना ऋण	61.58	
8492.61	राज्य योजना के लिए ऋण	8540.01	
5.54	केन्द्रीय योजना के लिए ऋण	0.76	
16.42	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु ऋण	(-)0.37	
42.96	योजनागत योजनाओं के लिए मद	42.96	
350.00	**आकस्मिकता निधि**		**350.00**
9561.30	**लघु बचत, भविष्य निधि आदि**		**9345.75**
5717.43	**जमा**		**7864.28**
2219.29	**आरक्षित निधि**		**2750.17**
74.01	**अंतर्राज्यीय समाशोधन**		**74.01**
16245.42	सरकारी लेखा में आधिक्य		**21345.93**
4820.68	(i) घटावें चालू वर्ष का राजस्व अधिशेष	5100.51	
11424.74	(ii) वर्ष के प्रारंभ में संचित अधिशेष	16245.42	
85157.80			**99204.49**
	परिसम्पत्तियाँ		
62299.88	**स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय**		**71884.39**
920.82	कंपनियाँ, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	941.17	
61379.06	**अन्य पूँजीगत परिव्यय**	70943.22	
18525.76	**ऋण एवं अग्रिम**		**20587.01**
14730.25	उर्जा परियोजना हेतु ऋण	15811.14	
3723.18	अन्य विकास ऋण	4699.99	
72.33	सरकारी सेवकों को ऋण तथा विविध ऋण	75.88	
1181.18	**प्रेषण**		**1161.67**
167.10	**अग्रिम**		**114.89**
1474.43	**उचंत और विविध शेष**		**1740.95**
1509.45	**रोकड़**		**3715.58**
0.00	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	0.00	
(-)93.15	रिजर्व बैंक में जमा	188.21	
206.07	विभागीय रोकड़ शेष	183.25	
285.55	स्थायी अग्रिम	338.27	
1110.98	उद्दिष्ट निधियों के साथ रोकड़ शेष निवेश	3005.85	
85157.80			**99204.49**

(स्त्रोतः वित्त लेखा)

परिशिष्ट 2.1

से ज्यादा की बचत वाले अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी

(संदर्भः कंडिका 2.3.1, पृष्ठ 42)

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	व्यय	बचत	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1	कृषि विभाग	2958.06	2095.58	862.48	29.16
2	2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	969.81	535.97	433.84	44.73
3	3	भवन निर्माण विभाग	1364.44	571.97	792.47	58.08
4	4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	150.89	112.75	38.14	25.28
5	6	निर्वाचन विभाग	72.15	51.27	20.88	28.94
6	8	कला,संस्कृति एवं युवा विभाग	83.56	60.16	23.40	28.13
7	9	सहकारिता विभाग	779.34	492.04	287.30	36.86
8	10	ऊर्जा विभाग	6170.07	4483.79	1686.28	27.33
9	12	वित्त विभाग	2971.56	492.68	2478.88	83.42
10	16	पंचायती राज विभाग	3526.75	2591.06	935.69	26.53
11	17	वाणिज्य कर विभाग	137.77	78.01	59.76	43.38
12	20	स्वास्थ्य विभाग	3281.12	2552.33	728.79	22.21
13	25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	250.98	99.80	151.18	60.24
14	27	विधि विभाग	579.44	428.13	151.31	26.11
15	28	बिहार का उच्च न्यायालय	101.79	77.40	24.39	23.96
16	30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	601.05	172.23	428.82	71.35
17	33	सामान्य प्रशासन विभाग	391.25	280.62	110.63	28.28
18	35	योजना एवं विकास विभाग	2364.40	537.15	1827.25	77.28
19	36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	913.34	587.61	325.73	35.66
20	38	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	116.25	88.44	27.81	23.92
21	39	आपदा प्रबंधन विभाग	834.01	346.77	487.24	58.42
22	41	पथ निर्माण विभाग	5000.81	3846.30	1154.51	23.09
23	42	ग्रामीण विकास विभाग	1880.80	1456.39	424.41	22.57
24	43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	241.33	144.11	97.23	40.29
25	44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1173.13	921.56	251.57	21.44
26	45	गन्ना उद्योग विभाग	141.13	90.61	50.52	35.80
27	47	परिवहन विभाग	46.93	31.61	15.32	32.64
28	48	नगर विकास एवं आवास विभाग	1670.44	1265.72	404.72	24.23
29	49	जल संसाधन विभाग	3258.02	2440.76	817.26	25.08
30	50	लघु जल संसाधन विभाग	651.31	431.26	220.05	33.79
31	51	समाज कल्याण विभाग	4053.32	2926.83	1126.49	27.79
योग			**46734.85**	**30290.90**	**16444.36**	

(स्त्रोतः विनियोग लेखा, बिहार सरकार, वर्ष 2012–13)

परिशिष्ट 2.2

अनुदानों की सूची जहां पर 2008-13 के दौरान सतत् बचत हुए

(संदर्भः कंडिका 2.3.2, पृष्ठ 44)

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	राशि एवं बचत की प्रतिशतता									
		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
राजस्व–दत्तमत											
		राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता
1	2-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	64.55	18.10	62.53	18.99	165.72	40.67	210.59	43.22	426.49	44.31
2	12-वित्त विभाग	35.16	12.83	39.09	10.91	55.64	13.46	122.72	43.27	223.31	31.97
3	20-स्वास्थ्य विभाग	395.61	24.92	278.83	16.79	479.42	23.92	528.85	21.52	569.78	22.26
4	27-विधि विभाग	70.45	26.76	31.32	**10.72**	130.41	26.37	148.50	26.19	151.31	26.11
5	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	73.16	19.07	120.13	17.17	128.43	23.06	148.70	24.05	72.52	14.96
6	41-पथ निर्माण विभाग	114.75	27.17	274.30	38.78	198.29	33.58	120.06	18.44	109.32	16.45
7	50-लघु जल संसाधन विभाग	70.75	21.92	93.81	28.18	108.29	15.78	291.77	50.39	92.81	25.99
योग		**824.43**		**900.01**		**1266.20**		**1571.19**		**1645.54**	
पूँजीगत दत्तमत											
8	3-भवन निर्माण विभाग	53.82	58.81	26.79	29.86	66.52	36.16	292.26	57.49	722.07	69.33
9	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	495.89	73.13	462.89	50.68	268.62	29.99	137.81	31.09	265.47	50.66
10	49-जल संसाधन विभाग	1359.51	55.29	1415.28	52.57	1722.91	56.81	625.86	25.65	672.73	27.47
11	50-लघु जल संसाधन विभाग	60.63	59.44	95.11	57.02	181.26	**75.96**	110.50	42.42	127.24	43.26
योग		**1969.85**		**2000.07**		**2239.31**		**1166.43**		**1787.51**	
महायोग		**2794.28**		**2900.08**		**3505.51**		**2737.62**		**3433.05**	

(स्त्रोतः राज्य के विनियोग लेखा)

परिशिष्ट 2.3

विगत वर्षों से प्रावधानों से अधिक व्यय जिन्हें विनियमित किया जाना आवश्यक है

(संदर्भः कंडिका 2.3.3, पृष्ठ 44)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/विनियोजन की संख्या	अनुदान/विनियोजन संख्या	आधिक्य की राशि
1977-78	1	24	0.06
1978-79	1	27	0.32
1981-82	2	3, 13	5.12
1982-83	1	22	0.98
1983-84	1	12	9.45
1984-85	2	3,14	2.63
1986-87	1	13	65.63
1987-88	3	9, 19, 38	15.53
1988-89	2	9, 38	6.59
1989-90	3	25, 27, 38	99.40
1990-91	2	37, 38	47.55
1991-92	2	6, 38	71.24
1992-93	1	38	87.77
1993-94	2	25, 37	157.68
1994-95	1	37	170.61
1995-96	2	25, 37	213.22
1996-97	2	23, 37	21.16
1997-98	1	7	0.01
1998-99	1	30	0.33
1999-00	1	40	0.01
2003-04	3	11, 30, 50	81.23
2004-05	3	19, 20, 21	5.62
2005-06	2	39, 40	294.50
2007-08	1	17	1.04
2008-09	2	17, 28	8.91
2010-11	1	5	0.35
कुल			**1366.94**

परिशिष्ट 2.4

अनुपूरक प्रावधान के मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) जो अनावश्यक साबित हुए

(संदर्भः कंडिका 2.3.4, पृष्ठ 45)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
अ. राजस्व (भारित)					
1	13–ब्याज भुगतान	5186.00	4632.85	553.15	3.65
2	28–बिहार का उच्च न्यायालय	98.02	77.40	20.62	3.77
3	32–विधान मंडल	0.55	0.52	0.03	0.12
4	33–सामान्य प्रशासन विभाग	3.80	3.41	0.39	0.14
योग– भारित		**5288.37**	**4714.18**	**574.19**	**7.68**
अ. राजस्व (दत्तमत)					
1	3–भवन निर्माण विभाग	317.26	252.56	64.70	5.71
2	4–मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग	116.08	86.00	30.08	1.10
3	6–निर्वाचन विभाग	71.77	51.27	20.50	0.38
4	7–निगरानी विभाग	24.31	22.38	1.93	0.30
5	8–कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	73.38	60.16	13.22	10.18
6	12–वित्त विभाग	375.38	220.30	155.08	25.18
7	16–पंचायती राज विभाग	2906.41	2591.06	315.35	370.34
8	17–वाणिज्य कर विभाग	87.77	78.01	9.76	50.01
9	19–वन एवं पर्यावरण विभाग	189.48	168.83	20.65	5.07
10	20–स्वास्थ्य विभाग	2553.09	1989.44	563.65	6.13
11	21–शिक्षा विभाग	14814.12	13978.82	835.30	1948.56
12	22–गृह विभाग	3996.75	3569.83	426.92	19.49
13	23–उद्योग विभाग	488.32	457.27	31.05	38.28
14	26–श्रम संसाधन विभाग	192.39	178.48	13.91	2.89
15	27–विधि विभाग	574.42	428.13	146.29	5.01
16	29– खनन एवं भूगर्भ विभाग	15.99	12.68	3.31	1.00
17	30– अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	148.91	57.79	91.12	1.54
18	31– संसदीय कार्य विभाग	1.49	1.34	0.15	0.11
19	32– विधान मंडल	105.72	99.56	6.16	5.65
20	33– सामान्य प्रशासन विभाग	374.17	277.21	96.96	13.14
21	35–योजना एवं विकास विभाग	817.04	151.13	665.91	2.34
22	36–लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	334.51	329.10	5.41	54.85
23	38–निबंधन, उत्पाद एवं मद्य–निषेध विभाग	114.67	88.44	26.23	1.59
24	39–आपदा प्रबंधन विभाग	818.83	346.46	472.37	12.18
25	40– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	446.82	412.26	34.56	37.96
26	42– ग्रामीण विकास विभाग	1741.33	1453.36	287.97	134.48
27	44– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1001.88	920.56	81.32	170.25
28	45– गन्ना उद्योग विभाग	114.93	81.66	33.27	3.62
29	47– परिवहन विभाग	32.07	26.61	5.46	1.17
30	48– नगर विकास एवं आवास विभाग	1551.86	1263.72	288.14	116.57
31	49– जल संसाधन विभाग	806.79	664.70	142.09	2.44
32	50– लघु जल संसाधन विभाग	356.51	264.36	92.15	0.66
33	51– सामाज कल्याण विभाग	3353.31	2926.83	426.48	465.56
योग राजस्व (दत्तमत)		**38917.76**	**33510.31**	**5407.45**	**3513.74**
योग राजस्व (दत्तमत+ भारित)		**44206.13**	**38224.49**	**5981.64**	**3521.42**

परिशिष्ट 2.4

क्रम सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
ब. पूँजीगत (दत्तमत)					
1	3– भवन निर्माण विभाग	669.44	319.40	350.04	372.03
2	10– उर्जा विभाग	2056.21	1257.98	798.23	797.94
3	12– वित्त विभाग	22.00	17.43	4.57	2250.99
4	22– गृह विभाग	513.09	327.02	186.07	102.37
5	30– अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	435.60	114.44	321.16	15.00
6	35– योजना एवं विकास विभाग	1219.98	386.03	833.95	325.05
7	36– लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	365.78	258.51	107.27	158.20
8	40– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	44.22	17.48	26.74	4.00
9	41– पथ निर्माण विभाग	3810.63	3291.11	519.52	525.68
10	49– जल संसाधन विभाग	2150.47	1776.06	374.41	298.32
11	50– लघु जल संसाधन विभाग	278.56	166.91	111.65	15.59
योग पूँजीगत (दत्तमत)		**11543.98**	**7932.37**	**3633.61**	**4865.17**
महायोग		**55750.11**	**46156.86**	**9615.25**	**11912.58**

(स्त्रोतः विनियोग लेखा, बिहार सरकार, 2012–13)

परिशिष्ट 2.5

निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(संदर्भः कंडिका 2.3.5, पृष्ठ 45)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि–योजन	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	2401–00–001–0001–निदेशन	8.43	0.22	7.96	0.36	0.33
2		2402–00–102–0004–क्षेत्रीय स्थापना	2.40	0.42	2.41	0.36	0.05
3		2415–01–277–0006–सेवा अवधि में प्रशिक्षण प्रसार एवं शिक्षा परिषद की योजना	1.97	0.08	1.93	0.11	0.01
4	3	2059–80–052–0001–नई आपूर्ति एवं मरम्मत	0.50	0.95	0.62	0.78	0.05
5	6	2015–00–102–0001–मुख्यालय प्रभार तथा सामान्य स्थापना	13.98	2.40	14.11	2.15	0.12
6	10	2059–80–001–0010–विद्युत निष्पादन	21.67	1.44	21.01	1.84	0.26
7	12	7610–00–201–0001–सरकारी सेवको को गृह निर्माण अग्रिम	7.00	0.50	7.33	0.05	0.12
8		7610–00–202–0001–सरकारी सेवकों को मोटर गाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम	4.00	1.50	4.53	0.48	0.49
9	16	2015–00–101–0001–राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज)	1.68	0.27	1.78	0.14	0.03
10		2515–00–003–0001–पंचायत कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत	2.56	0.10	2.09	0.40	0.17
11	19	2406–01–003–0001–प्रशिक्षण, जन–सम्पर्क एवं शोध हेतु	0.99	0.47	1.20	0.05	0.21
12		2406–01–101–0002–कार्य योजना प्रमण्डल	1.26	0.20	1.13	0.23	0.10
13	20	2210–01–001–0002–जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी	25.10	3.34	24.10	1.72	2.62
14		2210–05–105–0007–मगध चिकित्सा महाविद्यालय,	18.57	2.60	12.45	6.12	2.60
15		2210–05–105–0023–सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया	8.73	4.60	8.41	4.50	0.42
16		2210–06–001–0001–अधीक्षक	5.98	0.14	4.87	0.67	0.58
17		2210–06–003–0002–लोक स्वास्थ्य संस्थान	10.32	1.05	10.07	1.15	0.15
18		2210–06–101–0002–राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	16.21	2.93	17.67	1.00	0.47
19		2210–06–102–0001–लोक स्वास्थ्य एवं स्वचछता कार्यक्रम–खाद्य मिलावट रोकथाम	1.78	0.77	1.94	0.43	0.18
20		2210–06–104–0001–औषधि नियंत्रण स्थापना	10.91	0.01	8.24	1.47	1.21

परिशिष्ट 2.5

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि–योजन	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
21	21	2202–01–001–0105–शैक्षणिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक योजना एवं महोत्सव	5.00	3.29	8.28	0.00	0.01
22		2202–01–109–0004–प्रोत्साहन के लिए विद्यालय में सामाजिक उत्सव	0.00	27.89	27.88	0.00	0.01
23		2202–02–001–0002–जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी	24.78	2.00	24.67	0.46	1.65
24		2202–02–001–0003–क्षेत्रीय उप–निदेशक एवं अन्य पदाधिकारी	4.50	0.30	4.18	0.38	0.24
25		2202–02–001–0101–माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	13.25	0.94	2.27	10.00	1.92
26		2202–02–107–0105–मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना	152.08	15.96	130.78	26.81	10.44
27		2202–02–789–0101–मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना	28.00	2.15	22.95	6.03	1.17
28		2202–02–789–0102–मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना	24.00	3.77	19.72	6.96	1.09
29		2202–03–103–0001–इंटरमीडिएट शिक्षा (+2 शिक्षा)	30.86	3.48	32.33	0.28	1.72
30		2202–03–103–0004–शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय	1.58	1.50	2.57	0.39	0.12
31		2202–03–107–0104–मुख्यमंत्री बालिका पोषाक योजना	0.00	55.00	27.48	8.81	18.71
32		2202–04–200–0001–जिला जन शिक्षा कार्यालय	5.19	0.37	4.89	0.00	0.67
33		2202–80–001–0002–राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान	0.53	0.05	0.45	0.00	0.13
34		2202–80–004–0003–जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनैतिक शोध संस्थान, पटना	0.77	0.27	0.66	0.03	0.35
35		2202–80–004–0007–के.पी. जायसवाल शोध संस्थान, पटना	1.17	0.34	1.39	0.09	0.03
36		2202–80–004–0009–हिन्दी ग्रंथ अकादमी (सहायक अनुदान)	0.80	0.38	0.80	0.00	0.38
37		2251–00–090–0002–माध्यमिक, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग	4.47	0.12	4.18	0.25	0.16
38	22	2055–00–001–0001–अधीक्षक	28.25	1.85	23.62	6.11	0.37
39		2055–00–101–0001–अपराधिक जाँच विभाग	92.72	23.49	102.96	8.55	4.70
40		2055–00–101–0003–भारत–नेपाल सीमा पर जाँच चौकी	5.71	0.50	5.70	0.06	0.45
41		2056–00–102–0001–केन्द्रीय कारा गृह	10.50	2.19	12.58	0.06	0.05
42	23	2851–00–103–0103–हस्त–करघा विकास योजना	19.21	1.07	18.80	1.28	0.20

परिशिष्ट 2.5

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि–योजन	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
43	26	2230–01–101–0106–बिहार बाल श्रम आयोग की स्थापना	1.02	0.08	0.99	0.08	0.03
44		2230–01–114–0102–अन्तर्रा–ज्यीय प्रवासी मजदूरों की पूनर्वापसी पर व्यय	1.25	0.38	1.54	0.01	0.08
45		2230–03–003–0107–औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विकास	0.50	0.30	0.61	0.12	0.07
46		2230–03–003–0118–नया औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	5.00	1.01	5.57	0.28	0.16
47	30	2053–00–094–0010–अल्पसंख्–यक कल्याण जिला कार्यालय	0.00	0.22	0.15	0.00	0.07
48	32	2011–02–101–0006–विरोधी दल का नेता	0.50	0.04	0.45	0.06	0.03
49		2011–02–103–0001–विधान सभा सचिवालय	23.14	0.07	20.84	2.33	0.04
50		2011–02–103–0002–विधान परिषद् सचिवालय	30.03	0.47	29.37	0.36	0.77
51	33	2053–00–101–0001–मुख्य कार्यालय	18.54	0.44	15.32	2.47	1.19
52	35	3454–02–204–0002–राज्य सांख्यिकी संगठन	14.30	1.52	13.52	2.21	0.09
53		4070–00–051–0107–मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास कार्यक्रम	520.05	122.95	89.01	552.78	1.21
54	36	2215–01–101–0004–नगर निगम जलापूर्ति योजना	50.13	5.21	47.45	7.89	0.00
55	39	2245–02–101–0005–आग लगने से राहत कार्य के लिए नगद भुगतान	5.00	1.50	3.33	2.40	0.77
56	42	2216–03–789–0102–इंन्दिरा आवास योजना	361.04	22.64	293.85	37.69	52.14
57		2505–60–105–0102–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	254.10	10.00	264.04	0.00	0.06
58	43	2203–00–001–0001–तकनीकी शिक्षा निदेशालय	2.79	0.04	2.35	0.41	0.07
59		2203–00–001–0002–राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड	0.93	0.13	1.02	0.01	0.03
60		2203–00–112–0001–स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	19.64	0.54	18.51	1.55	0.12
61	49	2700–01–001–0001–स्थापना	55.23	0.03	46.23	8.89	0.14
62		2700–03–101–0002–अन्य रख–रखाव पर व्यय	25.00	5.57	27.46	3.03	0.08
63		2711–03–001–0001–क्षेत्रीय स्थापना	24.78	0.25	22.17	2.37	0.50
64		3451–00–090–0009–जल संसाधन विभाग	12.54	1.05	12.18	1.27	0.14
65		4700–80–005–0101–सर्वेक्षण एवं अनुसंधान (स्थापना)	0.25	0.78	0.48	0.02	0.53

परिशिष्ट 2.5

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि–योजन	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
66	49	4701–03–789–0101–सोन बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ	35.67	2.50	33.46	4.03	0.68
67		4711–01–789–0101–उत्तर बिहार बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएँ	201.00	6.75	200.95	6.09	0.71
योग			**2279.85**	**355.37**	**1783.83**	**736.91**	**114.46**

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा, अनुदान पंजी, बिहार सरकार, 2012–13)

परिशिष्ट 2.6

अपर्याप्त निकासी

(संदर्भः कंडिका 2.3.5, पृष्ठ 45)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनि–योजन	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
1	1	2401–00–109–0001–प्रमंडलीय जिला एवं अनुमंडलीय स्थापना	124.11	105.33	7.11	10.88	0.79
2		3475–00–106–0001–माप एवं तौल के मानकीकरण की योजना	9.87	7.08	0.58	2.12	0.09
3	3	2059–80–001–0004–निष्पादन	98.67	77.80	0.70	17.59	2.58
4		2059–80–053–0001–रख–रखाव तथा मरम्मत	115.00	95.41	2.05	17.08	0.46
5		4059–80–051–0105–न्यायिक भवन हेतु (11वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में विधि विभाग के लिए)	67.79	35.71	19.54	12.47	0.07
6	6	2015–00–108–0001–मतदाताओं को पहचान पत्र निर्गत करने पर व्यय	12.10	3.15	2.40	6.40	0.15
7	12	7610–00–202–0004–विधान मंडल के सदस्यों को मोटर गाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम	7.00	2.44	1.50	2.66	0.40
8	15	2071–01–101–0001–15 नवम्बर 2000 के पूर्व के पेंशन पानेवालों को भुगतान	4928.44	744.43	500.00	0.00	3684.03
9	16	2515–00–198–0001–पंचायती राज संस्थाओं को सहायता	926.98	741.38	3.86	117.16	64.58
10		2515–00–198–0009–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान	514.66	502.84	1.14	0.00	10.68
11		2515–00–198–0010–ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु	45.59	37.62	1.00	2.31	4.66
12	19	2406–01–070–0001–सड़क एवं पुल	1.10	1.03	0.02	0.00	0.05
13		2406–01–070–0002–भवन	1.30	0.98	0.11	0.01	0.20
14		2406–01–800–0101–नहर तट फार्म	18.63	12.99	2.55	3.00	0.09
15		2406–02–110–0003–अभ्यारण्य	4.22	3.78	0.22	0.07	0.15
16	20	2210–01–200–0001–अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ (यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम)	37.34	33.79	0.08	1.06	2.41
17		2210–01–200–0002–अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ (कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम)	54.71	38.21	2.94	8.07	5.49
18		2210–01–200–0005–अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ (स्थानीय औषधालय)	17.53	10.93	0.97	5.38	0.25
19	21	2202–01–101–0001–सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	4307.48	3925.21	27.89	52.86	301.52

परिशिष्ट 2.6

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनि–योजन	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
20	21	2202–01–191–0001–नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	14.29	12.05	1.03	0.51	0.70
21		2202–01–192–0001–नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	68.40	11.24	14.33	26.78	16.05
22		2202–01–193–0001–नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	27.00	10.07	0.62	8.88	7.43
23		2202–01–198–0002–पंचायत शिक्षको के समेकित भुगतान हेतु	104.82	76.61	1.00	17.10	10.11
24		2202–02–107–0106–मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना	181.98	133.39	19.45	26.15	2.99
25		2202–02–107–0107–मुख्यमंत्री बालिका पोषाक योजना	220.00	103.46	55.00	43.74	17.80
26		2202–02–191–0001–नगर माध्यमिक शिक्षको के समेकित भुगतान हेतु	7.00	3.64	1.00	0.20	2.16
27		2202–02–192–0001– नगर माध्यमिक शिक्षको के समेकित भुगतान हेतु	7.00	4.43	1.00	0.20	1.37
28		2202–02–193–0001– नगर माध्यमिक शिक्षको के समेकित भुगतान हेतु	8.50	5.80	1.50	0.36	0.74
29		2202–02–193–0002–नगर उच्च माध्यमिक शिक्षको के समेकित भुगतान हेतु	4.10	2.97	0.36	0.05	0.72
30		2202–02–196–0001–जिला परिषद् माध्यमिक शिक्षकों को समेकित भुगतान हेतु	144.00	93.91	24.00	5.25	20.84
31		2202-02-196-0002-जिला परिषद् उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षकों को समेकित भुगतान हेतु	35.00	23.83	6.00	1.02	4.15
32		2202-05-103-0002-राजकीय संस्कृत विद्यालय	3.38	1.96	0.77	0.59	0.06
33	22	2055-00-109-0005-विशेष सहायता पुलिस	163.40	113.01	27.03	23.12	0.24
34		2055-00-114-0001-संकेत	58.11	48.83	4.67	3.30	1.31
35		2056-00-101-0003-उप–कारा	20.16	14.05	2.20	3.70	0.21
36		4070-00-052-0101-जेलों के संयंत्रों हेतु	20.00	6.30	5.00	8.67	0.03
37	23	2851-00-107-0101-पिछड़ें वर्गो के लिए विषेश अंगीभूत योजना–रेशमपालन हेतु	14.52	10.98	1.07	2.15	0.32
38	26	2230-01-101-0108-श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु परिवर्तनतंत्र का सुदृढ़ीकरण	1.00	0.37	0.24	0.34	0.05
39		2230-01-102-0002-कारखानों के निरीक्षक	4.17	3.02	0.35	0.79	0.01
40		2230-01-103-0103-बाल श्रमिक यंत्र पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण	1.75	0.75	0.43	0.53	0.04

परिशिष्ट 2.6

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनि–योजन	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
41	26	2230-03-003-0109-मशीनों का आधुनिकीकरण	4.00	2.84	1.00	0.07	0.09
42	27	2014-00-105-0001-सिविल एवं सत्र न्यायालय	420.62	355.63	3.00	52.98	9.01
43	30	2251-00-090-0011-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2.14	1.53	0.22	0.36	0.03
44	32	2011-02-101-0005-सदस्यगण	38.30	34.22	0.11	3.96	0.01
45		2011-02-102-0006-सदस्यगण	11.13	8.50	0.60	1.61	0.42
46	33	2053-00-094-0001-अनुमण्डलीय स्थापना	84.10	58.47	0.44	16.06	9.13
47	35	3454-02-204-0001-प्रखण्ड स्तर पर सांख्यिकी यंत्र	7.61	4.85	1.52	1.21	0.03
48		4070-00-051-0111-मूल्यांकन कार्यालय के कार्य	491.84	0.00	122.95	367.73	1.16
49	36	2215-01-102-0002-हाथ वाले नलकूप टैंक तथा उच्च धारा वाले नलकूप	124.45	102.38	5.97	15.61	0.49
50	38	2039-00-001-0002-जिला प्रभार	61.31	38.97	0.03	21.54	0.77
51	39	2070-00-106-0004-प्रशिक्षण	0.63	0.44	0.03	0.09	0.07
52		2245-02-101-0006-आग लगने से क्षतिग्रस्त भवनों के लिए अनुदान	15.00	1.99	1.50	10.67	0.84
53	40	2029-00-104-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय	359.23	321.66	0.11	32.94	4.52
54	41	3054-80-001-0002-पर्यवेक्षण	219.40	170.30	0.11	46.36	2.63
55	43	2203-00-105-0001-प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम	24.53	22.58	0.76	0.84	0.35
56		4202-02-105-0102-पोलिटैंकनिक/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय	17.51	13.28	0.50	2.72	1.01
57	49	2700-02-101-0002-अन्य रख–रखाव पर व्यय	21.60	17.38	1.15	2.48	0.59
58		2700-03-001-0001-स्थापना	161.49	149.02	0.39	11.97	0.11
59		2701-04-101-0002-अन्य रख–रखाव पर व्यय	12.00	6.59	1.30	3.61	0.50
60		4700-01-789-0101- कोशी बेसिन की सिंचाई परियोजनाएं	12.00	0.01	3.00	8.77	0.13
61		4700-02-789-0101-गंडक बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ	15.00	3.52	3.75	7.48	0.25

परिशिष्ट 2.6

कम	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनि–योजन	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
62	49	4701-04-051-0101-क्यूल–बदुआ–चान्दन–बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ (कार्य)	2.00	0.02	0.50	0.64	0.84
63		4701-04-789-0101-क्यूल–बदुआ–चान्दन–बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ	35.30	15.65	8.75	8.01	2.89
64		4711-01-051-0106-जमींदारी बांध	16.30	14.53	0.78	0.01	0.98
65		4711-01-789-0102- जल निस्सरण परियोजना (कार्य)	10.00	4.61	2.50	2.73	0.16
योग			**14568.59**	**8409.75**	**902.68**	**1053.00**	**4202.53**

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा, (अनुदान पंजी को मिलाकर) बिहार सरकार, 2012–13)

परिशिष्ट 2.7

वर्ष के दौरान प्रमुख अन्वेषण (5 करोड़ या कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक)

(संदर्भः कंडिका 2.3.6, पृष्ठ 34)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशतता
1	01-कृषि विभाग	2401-00-105-0105-राष्ट्रीय उर्वरता प्रबंधन परियोजना	8.30	2.33	5.97	0.00	71.93
2		2401-00-108-0615-तेलहन, दलहन, पाम तेल एवं मक्का (आई.एस.ओ.पी.ओ.एम.75:25) नई सेवाओं के लिए एकीकृत योजना	23.13	9.56	13.29	0.28	57.46
3		2401-00-109-0103-बाढ़ एवं सूखा के लिए आपातकालिन परियोजना	619.75	135.25	447.17	37.33	72.15
4		4401-00-051-0101-कृषि कार्यालय के भवन की स्थापना	70.00	24.81	45.19	0.00	64.56
5	02-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	2403-00-101-0101-अस्पताल, औषधालय एवं गैर स्थापना	105.08	8.03	96.96	0.09	92.27
6		2403-00-103-0106-मुर्गी पालन के लिए रेंज योजना, केन्द्रीय मुर्गी पालन विकास एवं मुर्गी खादान्न का उत्पादन एवं वितरण	61.50	0.42	60.72	0.36	98.73
7		2403-00-104-0102-अवी एवं आजा का पोषाहार एवं विकास	83.40	0.11	83.29	0.00	99.87
8		2403-00-106-0607-पशुओं की बीमारी के नियंत्रण एवं रोकथाम की योजना	20.81	7.00	13.81	0.00	66.36
9		2405-00-001-0102-मत्स्य प्रसार	10.10	1.43	8.65	0.01	95.54
10		3454-01-001-0602-पशु जनगणना	22.71	7.16	13.55	2.00	59.67
11	03-भवन निर्माण विभाग	4047-00-051-0105-कोषागार कार्यालयों में अतिरिक्त संसाधन अधिष्ठापन	19.00	3.83	12.46	2.71	65.58
12		4059-01-051-0115-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का भवन	86.79	1.38	85.41	0.00	98.41
13		4059-01-051-0117-प्रखंडों के लिए भवन	75.00	2.80	68.19	4.01	90.92
14		4059-60-051-0113-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण (वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में)	20.00	4.15	15.85	0.00	79.25
15		4408-02-101-0101-खाद्य संग्रहण एवं भंडारण	297.16	34.72	254.37	8.07	85.60

परिशिष्ट 2.7

कम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशतता
	04-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	2070-00-114-0001-सरकारी विमानों का रख रखाव	24.00	9.12	14.87	0.01	61.96
17	06-निर्वाचन विभाग	2015-00-108-0001-मतदाताओं को पहचान–पत्र निर्गत करने पर व्यय	12.10	3.14	8.80	0.16	72.73
18	08-कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	2204-00-104-0102-खेलकूद	11.25	4.88	6.34	0.03	56.36
19	10-उर्जा विभाग	2801-80-190-0002-राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना एवं राष्ट्रीय सम विकास योजना	87.89	11.17	76.72	0.00	87.29
20		2810-60-600-0101-गैर परंपरागत उर्जा स्त्रोतों को सहायता अनुदान	13.68	3.59	10.09	0.00	73.76
21		4801-05-190-0101-पिछड़ा क्षेत्र विकास कोष योजना	858.88	173.63	685.25	0.00	79.78
22		6801-00-190-0003-बिहार विद्युत बोर्ड को ऋण	20.69	2.22	18.47	0.0	89.27
23		6801-00-190-0101-बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का सरंचना एवं वितरण	60.00	14.42	45.58	0.00	75.97
24		6801-00-190-0104-बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण	788.71	281.12	507.59	0.00	64.36
25		6801-00-190-0110-बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कम्पनी लिमिटेड को ऋण	53.82	26.41	27.41	0.00	**50.92**
26		6801-00-201-0101-बिहार राज्य जल विद्युत निगम	58.00	12.00	46.00	0.00	79.31
27	12-वित्त विभाग	2054-00-095-0103-बिहार राजस्व प्रशासन इंट्रानेट (ब्रेन प्रोजेक्ट सम्पोषित)	25.40	4.78	20.59	0.03	81.06
28		2515-00-102-0114-बिहार ग्रामीण जीवीकोपार्जन परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित)	129.83	58.64	71.19	0.00	54.83
29		2515-00-789-0101- राज्य ग्रामीण जीविकोपार्जन योजना (विश्व बैंक)	69.08	32.61	36.47	0.00	52.79
30	14-ऋणों का पुर्नभुगतान	6003-00-108-0001-सहकारिता विभाग	14.75	5.75	9.00	0.00	61.02
31	17-वाणिज्य कर विभाग	2040-00-001-0005-मिशन मोड प्रोजेक्ट	10.45	1.30	9.14	0.01	87.46
32	18-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	3456-00-001-0002-जिला प्रभार	46.91	4.34	42.59	0.03	90.79
33		3456-00-193-0101-निगरानी एवं अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक एवं यात्रा भत्ता	7.25	0.00	7.13	0.12	98.34

परिशिष्ट 2.7

कम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशतता
34	20-स्वास्थ्य विभाग	2210-01-110-0016-मानसिक अस्पताल	13.00	2.00	11.00	0.00	84.62
35		2210-05-105-0010-भागलपुर मेडिकल कॉलेज	19.99	6.94	13.05	0.00	65.28
36		2210-05-105-0024-राजकीय मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा	7.32	0.63	6.69	0.00	91.39
37	20-स्वास्थ्य विभाग	4210-03-105-0108-स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम ई.ए.पी.	140.00	46.20	93.80	0.00	67.00
38	21-शिक्षा विभाग	2202-01-107-0601-प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय	174.31	1.55	172.59	0.17	99.01
39		2202-01-192-0001-नगर शिक्षकों को समेकित भुगतान	68.40	11.25	41.10	16.05	60.09
40		2202-02-001-0101-माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	13.25	2.27	9.06	1.92	68.38
41		2202-02-109-0607-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	735.77	15.65	536.18	183.94	72.87
42		2202-03-102-0118- राष्ट्रीय स्तर के प्रबंधन संस्थान हेतु	15.00	4.00	11.00	0.00	73.33
43		2202-80-004-0121-बिहार राजभाषा अकादमी	10.00	0.45	9.55	0.00	95.50
44	22-गृह विभाग	2055-00-109-0006-एस.आर. ई योजना के अंतर्गत उग्रवाद प्रभावित थानों/ओ.पी. का सुदृढ़ीकरण	21.00	5.77	15.23	0.00	72.52
45		2055-00-109-0009-एस.आर. ई. योजना के अंतर्गत प्रभावित जिलों में आपातकाल के दौरान भाड़े पर लिए गए मोटरकार/हॉलीकॉप्टर /संचार साधन	13.00	0.08	12.92	0.00	99.38
46		2055-00-115-0001-पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार के समतुल्य राशि	36.00	14.53	21.47	0.00	59.64
47		2070-00-003-0005-होम गार्डों का त्वरित प्रशिक्षण	12.00	4.05	7.95	0.00	66.25
48		4055-00-789-0101-पुलिस भवन का निर्माण एवं रख–रखाव	80.00	0.00	79.28	0.72	99.10
49		4070-00-051-0101-बिहार अग्निशामन सेवा के लिए भवन निर्माण	15.39	7.03	8.36	0.00	54.32
50		4070-00-052-0101- काराओं के संयंत्रों हेतु	20.00	6.30	13.67	0.03	68.35
51	25-सूचना प्रावैधिकी विभाग	2852-07-202-0106-ज्ञान सिटी परियोजना	40.00	6.49	33.51	0.00	83.77
52		2852-07-202-0108-स्टेट डाटा सेन्टर	17.72	7.71	10.01	0.00	56.49
53		2852-07-202-0109-ई–शासन, राज्य योजना	65.00	30.91	34.09	0.00	52.45

परिशिष्ट 2.7

कम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशतता
54	25-सूचना प्रावैधिकी विभाग	3451-00-090-0118-सचिवालय का स्थानीय नेटवर्क	20.00	6.72	11.86	1.42	59.30
55		4859-02-004-0101-बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान)	45.00	18.81	26.19	0.00	58.20
56	27-विधि विभाग	2014-00-105-0701-जिला एवं सत्र न्यायालय	30.83	8.12	22.70	0.00	73.63
57		2014-00-106-0001-वित्त आयोग की अनुशंसा पर सुबह–शाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं शिफ्ट न्यायालयों का गठन	42.86	1.79	41.06	0.01	95.80
58		2014-00-114-0002-गरीबों को न्यायिक सहायता	16.52	7.28	9.24	0.00	55.93
59	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2202-02-107-0103-अल्पसंख्यक माध्यमिक छात्रों को छात्रवृत्ति	15.00	3.50	11.50	0.00	76.67
60		4225-80-051-0101-आवासीय विद्यालय, छात्रावास एवं अन्य भवनों का उन्नयन एवं निर्माण	26.75	7.20	19.55	0.00	73.08
61	33-सामान्य प्रशासन विभाग	2051-00-103-0001-बिहार कर्मचारी चयन आयोग	23.40	3.61	19.64	0.15	83.93
62	35-योजना एवं विकास विभाग	2053-00-093-0105-वित्त आयोग राजकीय नवाचर निधि	19.00	6.13	12.00	0.87	63.16
63		3451-00-101-0101-बिहार राज्य योजना बोर्ड	411.39	0.02	411.37	0.00	**99.99**
64		3454-02-204-0401-आर्थिक जनगणना	10.00	0.02	9.98	0.00	99.80
65		3454-02-205-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना	77.40	4.12	71.63	1.65	92.55
66		4070-00-051-0107-मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	520.05	89.01	429.83	1.21	82.65
67		4070-00-051-0109-जिला स्तरीय योजना के तहत् स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में योजनातंत्र का सुदृढीकरण	9.00	1.13	7.87	0.0	87.44
68		4070-00-051-0111-मूल्यांकन कार्यालय के लिए कार्य	491.84	0.00	490.67	1.17	99.76
69	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	4215-01-102-0101-ग्रामीण जलापूर्ति योजना	21.25	5.71	15.54	0.00	73.13
70		4215-01-102-0116-ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की जलापूर्ति के लिए संरचनाओं के विकास के लिए नाबार्ड से ऋण	67.00	3.10	63.87	0.03	95.33

परिशिष्ट 2.7

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशतता
71	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	4215-01-102-0117-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना मूलभूत आवश्यकता कार्यक्रम	11.70	5.48	6.22	0.00	53.16
72		4215-01-102-0119-निदेशन, प्रशासन और स्थापना	10.00	2.91	7.09	0.00	70.90
73		4215-01-789-0101-आंच्छादित, आंशिक आच्छादित, जल गुणवत्ता प्रभावितों को अच्छादन हेतु जलापूर्ति का निर्माण	16.00	3.02	12.98	0.00	81.13
74		4215-01-789-0111-ग्रामीण जलापूर्ति योजना	35.23	9.20	26.03	0.00	73.89
75		4215-02-106-0104-शहरी क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति हेतु स्वच्छता सुविधा का सुदृढ़ीकरण	21.57	9.44	12.10	0.03	56.10
76	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2245-02-101-0001-निःसहायो एवं विकलांग व्यक्तियों को नकद भुगतान	30.00	1.96	27.64	0.40	92.13
77		2245-02-101-0002-खाद्यानों की आपूर्ति	100.00	1.06	96.40	2.54	96.40
78		2245-02-101-0004-प्रभावित व्यक्तियों को वर्तनों एवं कपड़ों का निःशुल्क वितरण	10.00	0.81	9.19	0.00	91.90
79		2245-02-101-0006-आग से क्षतिग्रस्त भवनों के लिए अनुदान	15.00	1.99	12.17	0.84	81.13
80		2245-02-101-0007-आग से क्षतिग्रस्त कपड़ों के लिए अनुदान	10.00	3.00	5.77	1.23	57.70
81		2245-02-106-0001-क्षतिग्रस्त सड़क एवं पुलों की मरम्मति एवं संवर्धन	20.00	2.25	17.75	0.00	88.75
82		2245-02-112-0002-जनसंख्या का निष्क्रमण	50.00	10.25	35.35	4.40	70.70
83		2245-02-112-0104-संवाद यंत्रों का क्रय	9.10	1.00	8.01	0.09	88.02
84		2245-80-102-0104-राज्य आपदा रिस्पोन्स कोर्स	16.00	2.91	13.09	0.00	81.81
85		2245-80-102-0105-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	5.65	0.58	5.07	0.00	89.73
86	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2029-00-001-0102-होल्डिंग का एकीकृतकरण	20.18	9.35	10.59	0.24	52.48
87		4047-00-050-0104-सड़क निर्माण के लिए भूमि का क्रय (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)	13.06	3.94	8.40	0.72	64.32
88		4047-00-789-0101-भूमि अधिग्रहण	32.86	12.33	20.50	0.03	62.39

परिशिष्ट 2.7

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशतता
89	41-पथ निर्माण विभाग	3054-80-001-0006-राष्ट्रीय हाईवे परियोजना–निर्देशन	50.00	0.00	29.28	20.72	58.56
90		5054-03-101-0104-मुख्यमंत्री पुल निर्माण योजना	400.00	153.14	239.16	7.70	59.79
91		5054-03-337-0109-बाजार एवं पार्श्ववर्त्ती क्षेत्रो से जोड़े जाने हेतु सड़को एवं पुलो का निर्माण (बिहार व्यापार विकास निधि से)	100.00	44.66	50.00	5.34	50.00
92		5054-03-789-0101-मुख्य सड़क	225.00	56.64	145.00	23.36	64.44
93	42-ग्रामीण विकास विभाग	2216-03-105-0101-बी.पी. एल. कार्य	120.00	39.60	80.40	0.00	67.00
94		2501-01-001-0104-निगरानी प्रोसेसिंग पुनः अभियांत्रिकी	10.00	1.13	8.87	0.00	88.70
95		2501-06-789-0101-स्वर्ण जयंति ग्राम स्वरोजगार योजना	69.60	15.47	53.40	0.73	76.72
96	44-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	2225-01-277-0613-पोस्ट प्रवेश छात्रवृत्ति	30.00	9.82	19.99	0.19	66.63
97	45-गन्ना उद्योग विभाग	2401-00-789-0108-गन्ना विकास	11.40	4.08	7.31	0.01	64.12
98		6860-04-190-0001-चीनी मिलों को ऋण	22.58	8.95	13.63	0.00	60.36
99	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	2015-00-109-0001-नगर निगम, नगर परिषद एवं पंचायतों का चुनाव	40.00	15.26	24.71	0.03	61.77
100		2217-01-191-0107-शहरी समेकित विकास हेतु शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	22.37	0.00	21.25	1.12	94.99
101		2217-03-191-0107-शहरी समेकित विकास हेतु शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	22.37	0.00	16.36	6.01	73.17
102		3475-00-108-0101-स्वर्ण जयंति शहरी रोजगार योजना को सहायता अनुदान	92.83	35.81	51.02	6.00	54.96
103	49-जल संसाधन विभाग	4700-01-789-0101-कोशी बेसिन की सिंचाई परियोजनाएं	12.00	0.10	11.77	0.13	98.08
104		4700-02-789-0101-गंडक बेसिन के लिए सिंचाई परियोजना	15.00	3.52	11.23	0.25	74.87

परिशिष्ट 2.7

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशतता
105	49-जल संसाधन विभाग	4700-04-051-0103-क्यूल–बदुआ–चांदन बेसीन की सिंचाई परियोजनाएँ (कार्य) (नाबार्ड सम्पोषित योजना)	19.75	6.91	11.38	1.46	57.62
106		4700-80-051-0101-पिछड़ा क्षेत्र अनुदान	283.29	120.44	153.43	9.42	54.16
107		4701-03-051-0103-सोन बेसिन (कार्य) नाबार्ड के लिए सिंचाई परियोजना	27.62	5.81	21.64	0.17	78.35
108		4701-04-051-0103-किउल–बदुआ–चांदन–बेसिन (कार्य) नाबार्ड के लिए सिंचाई परियोजना	23.87	7.73	16.11	0.03	67.49
109		4711-01-051-0104-बाढ़ नियंत्रण बांध सड़क परियोजना (कार्य) (नाबार्ड)	73.09	11.58	58.38	3.13	79.87
110		4711-01-789-0102-निकासी परियोजना (कार्य)	10.00	4.62	5.22	0.16	52.2
111	50-लघु जल संसाधन विभाग	2702-02-005-0002-लिफ्ट सिंचाई योजना का रख–रखाव	7.00	0.76	5.07	1.17	72.43
112		2702-03-101-0002-अन्य रख–रखाव व्यय	7.00	1.63	5.10	0.27	72.86
113		2702-03-102-0005- अन्य रख–रखाव व्यय	13.45	0.72	11.89	0.84	88.40
114		2702-03-103-0104-निजी नलकूपों	23.52	10.35	13.11	0.06	55.74
115		4702-00-101-0101-लघु सिंचाई	88.24	34.12	53.24	0.88	60.34
116		4702-00-789-0101-लघु सिंचाई परियोजना	16.15	3.38	9.66	3.11	59.81
117	51-समाज कल्याण विभाग	2235-02-102-0615-एकीकृत बाल सुरक्षा योजना	34.15	8.72	25.43	0.00	74.46
118		2235-02-102-0618-आर. जी.एस.ई.ए.जी. "सबला"	104.58	30.33	74.07	0.18	70.83
119		2235-02-103-0111-कन्या सुरक्षा योजना	52.00	6.56	42.00	3.44	80.77
योग			**9633.07**	**1955.50**	**7306.58**	**371.02**	

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा, बिहार सरकार, 2012–13)

परिशिष्ट 2.8

निधियों का शत् प्रतिशत अभ्यर्पण

(संदर्भः कंडिका 2.3.6, पृष्ठ 46)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
1	01-कृषि विभाग	2401-00-103-0614-समेकित अन्न विकास कार्यक्रम (मैक्रोमोड 90:10)	12.00
2		2401-00-103-0104- समेकित अन्न विकास कार्यक्रम (मैक्रोमोड 10:90)	2.00
3		2401-00-107-0408-भारत में कीट प्रबंधन का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	0.23
4		2401-00-107-0602-समेकित कीट प्रबंधन कार्यक्रम (मैक्रोमोड 90:10)	3.60
5		2401-00-107-0104-समेकित कीट प्रबंधन कार्यक्रम (मौक्रोमोड)	0.40
6		2401-00-109-0114-एग्री बिजनेस के आधारभूत संरचना के विकास परियोजना (ई.ए.पी.)	10.00
7		2401-00-109-0115-कॉपर कृषि रोड मैप	70.00
8		2401-00-113-0115-कृषि में नवीनीकरण उर्जा के उपयोग	10.00
9		2402-00-102-0601-पुनपुन एवं कोशी (एफ.आर.आर) (मैक्रोमोड 90:10)	0.90
10		2402-00-102-0602-एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. (मैक्रोमोड़ 90:10)	4.50
11		2402-00-102-0102- पुनपुन एवं कोशी (एफ.आर.आर) (मैक्रोमोड 10:90)	0.10
12		2402-00-102-0103-एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. (मैक्रोमोड 10:90)	0.50
13		2402-00-102-0109-कृषि हेतु जल छाजन विकास कार्यक्रम	13.29
14		2415-01-277-0111-कृषि महाविद्यालय, किशनगंज	20.50
15		2415-07-277-0101-उद्यान महाविद्यालय, नालन्दा	8.40
16		2415-80-789-0101-उद्यान महाविद्यालय, नालन्दा	1.60
17		2435-01-101-0102-बीज प्रमाणक एजेन्सी	1.20
18	02-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	2403-00-103-0610-ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट	7.00
19		2403-00-103-0109-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1.50
20		2403-00-104-0105-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1.30
21		2403-00-107-0606-चारा बीज उत्पादन के लिए क्रय एवं वितरण की योजना	1.00
22		2403-00-107-0106- चारा बीज उत्पादन के लिए क्रय एवं वितरण की योजना	0.25
23		2403-00-109-0106-राज्य पशुपालन प्रशिक्षण स्थल	2.68
24		2403-00-113-0104-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	3.89
25		2403-00-789-0101-बैकयार्ड बकरी पालन योजना	5.00
26		2405-00-101-0603-मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना	0.60
27		2405-00-101-0605-अन्तर्देशीय मत्स्य सांख्यिकी का विकास	0.19
28		2405-00-101-0612-मत्स्य विपणन योजना	5.85
29		2405-00-101-0106-मछुआरों के लिए आवास, शौचालय, पेयजल एवं अन्य नागरिक सुविधाएं	5.00
30		2405-00-101-0107-मत्स्य अनुसंधान योजना	0.60
31		2405-00-101-0110-मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना	0.15
32		2405-00-101-0112-मत्स्य विपणन योजना	0.65
33		2405-00-120-0601-मछुआरों के लिए आवास एवं अन्य सुविधाएं	5.00
34		2405-00-789-0101-मछुआरों की सहायता	5.11
35		2415-03-277-0101-बिहार पशु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विश्वविद्यालय	20.00
36		4403-00-109-0101-राज्य पशुपालन प्रशिक्षण स्थल	7.32

परिशिष्ट 2.8

कम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
37	02-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	6405-00-190-0002-बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम को ऋण	0.03
38	03-भवन निर्माण विभाग	2059-01-053-0118-वित्त विभाग का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण	0.61
39		4059-01-051-0605-पशु चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण योजना	0.75
40		4059-01-051-0105-पशु एवं मत्स्य विभाग के लिए भवनों का निर्माण	29.25
41		4059-01-051-0106-मंत्रिमंडल सचिवालय के लिए अभिलेख प्रकोष्ठ सह कार्यालय भवन के जीर्णोद्धार/निर्माण	0.65
42		4059-01-051-0112-पशु चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण योजना	0.25
43		4059-01-051-0116-संयुक्त श्रम भवन का निर्माण	4.75
44		4059-60-051-0611-बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	27.00
45		4059-60-051-0108-विरासत संरक्षण–वित्त आयोग	21.00
46		4059-60-051-0110-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग)	23.60
47		4059-60-051-0111-बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	15.00
48		4059-60-789-0103-विरासत संरक्षण–वित्त आयोग	4.00
49		4059-80-004-0001-निर्माण के पूर्व प्रारंभिक कार्य	0.15
50		4059-80-051-0002-लघु कार्य	3.75
51		4059-80-051-0604-न्यायिक भवन	2.18
52		4059-80-051-0118-पिछड़े वर्गों के लिए आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	1.00
53		4216-01-700-0001-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0.05
54		4216-01-700-0602-न्यायिक आवासीय भवन	1.00
55		4216-80-101-0001-निर्माण के पूर्व प्रारंभिक कार्य	0.10
56	04-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	2070-00-001-0103-जन शिकायत निवारण व्यवस्था	3.00
57	05-राज्यपाल सचिवालय	2012-03-106-0004-राजभवन का सौन्दर्यीकरण पर व्यय	0.05
58	06-निर्वाचन विभाग	2015-00-103-0002-विधान परिषद् निर्वाचन क्षेत्रों की सूची	0.15
59	09-सहकारिता विभाग	2401-00-110-0101-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत राज्य फसल बीमा निधि को प्रीमियम एवं अन्य व्यय अनुदान	0.50
60		2401-00-110-0104-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत किसानों को विमित्त फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु राज्य फसल बीमा निधि में अनुदान	150.00
61		2425-00-003-0103-सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों की मरम्मति एवं निर्माण	0.01
62		3451-00-090-0101-सहकारिता विभाग	7.50
63		6408-02-190-0101-बिहार राज्य भंडार निगम को गोदान निर्माण हेतु अनुदान	16.00
64		6425-00-108-0115-गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को ऋण	0.01
65	10- ऊर्जा विभाग	2810-60-789-0101-गैर परंपरागत उर्जा स्त्रोत	2.61
66		6801-00-190-0105-बिहार राज्य विद्युत पर्षद को ऋण ए.पी.डी.पी.आर.पी.	53.82
67		6801-00-789-0102-बिहार राज्य विद्युत पर्षद को ऋण	150.23
68		6801-00-789-0103- बिहार राज्य विद्युत पर्षद को ऋण ए.पी.डी.पी.आर.पी.	10.25
69		6801-00-789-0105-बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड को ऋण ए.पी.डी.पी.आर.पी.	10.25

परिशिष्ट 2.8

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
70	11-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	2225-03-277-0606-छात्रों के लिए छात्रावास–मुख्य निर्माण कार्य	1.00
71		2225-03-277-0607-छात्राओं के लिए छात्रावास–मुख्य निर्माण कार्य	1.00
72		2225-03-277-0107-छात्रों के लिए छात्रावास–मुख्य निर्माण कार्य (50:50)	1.00
73		2225-03-277-0108छात्राओं के लिए छात्रावास–मुख्य निर्माण कार्य (राज्य अंश 50:50)	1.00
74	12-वित्त विभाग	7610-00-201-0002-भारतीय सेवा पदाधिकारियों को गृह निर्माण अग्रिम	0.50
75	13-ब्याज भुगतान	2049-60-701-0004-बिकी कर वापसी के मामले में देय ब्याज	0.14
76	16-पंचायती राज विभाग	2515-00-101-0110-पंचायती राज प्रशासन एवं लोक विकास	52.18
77		2515-00-101-0112-सिवान जिला हेतु पिछड़ा प्रक्षेत्र विकास कोष योजना	13.22
78		2515-00-789-0107-पंचायती राज व्यवस्था और मानव संसाधन विकास	7.82
79		2515-00-789-0109-सिवान जिला हेतु पिछड़ा प्रक्षेत्र विकास कोष योजना	1.71
80		2515-00-796-0116- सिवान जिला हेतु पिछड़ा प्रक्षेत्र विकास कोष योजना	0.08
81		4515-00-101-0104-पंचायत सरकार भवन–वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में	208.43
82		4515-00-789-0102- वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायत सरकार भवन	41.57
83	18-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	3456-00-191-0101-निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक एवं यात्रा भत्ता	0.48
84		3456-00-192-0101- निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक एवं यात्रा भत्ता	7.00
85		3456-00-198-0101-यू गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों	10.00
86	19-पर्यावरण एवं वन विभाग	2406-01-101-0126-राष्ट्रीय सम विकास योजना	4.83
87		2406-02-110-0603-अन्य उद्यान–संजय गॉधी जैविक उद्यान (शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना)	0.50
88		2406-02-110-0615-बाल्मिकि नगर ब्याघ्र योजना पारिस्थिकी विकास (शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना)	0.25
89		2406-02-110-0619-बंजर भूमि का विकास	0.50
90		2406-02-110-0620-जीव–जन्तु उद्यान का विकास	0.20
91		2406-02-110-0109-संजय गॉधी जैविक उद्यान (50:50) केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित योजना	0.50
92		2406-02-110-0120- जीव–जन्तु उद्यान का विकास	0.20
93		2406-02-111-0601-अन्य उद्यान	0.50
94	20-स्वास्थ्य विभाग	2210-01-102-0101-कर्मचारी राज्य बीमा योजना	0.25
95		2210-05-105-0015-शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति	0.10
96		2210-05-105-0016-नामांकन पर्यवेक्षण समिति	0.10
97		2210-05-200-0101-इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना को सहायता अनुदान	93.91
98		2011-00-001-0601-निदेशन	0.09
99		2235-60-200-0012-मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष	25.00
100		4210-01-110-0104-भागलपुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर	0.85
101		4210-01-110-0105-पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना	0.85
102		4210-01-110-0107-दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, दरभंगा	1.05

परिशिष्ट 2.8

कम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
103	20-स्वास्थ्य विभाग	4210-01-110-0108-मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया	0.85
104		4210-01-110-0110-इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना	5.35
105		4210-03-050-0102-अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के लिए भूमि अर्जन (एलोपैथी)	5.00
106		4210-03-105-0102-डी.एम.सी.एच. के लड़कियों के लिए छात्रावास में पुलिया का मरम्मत	1.36
107		4210-03-105-0104-पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना	0.95
108		4210-03-105-0106-श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर	2.40
109		4210-03-105-0107-भागलपुर मेडिकल कॉलेज, भागलपुर	2.80
110		4210-03-789-0101-मेडिकल कॉलेजों	5.73
111		4210-05-050-0102-होमियोपैथिक कॉलेज मुजफ्फरपुर के लिए भूमि–अर्जन	0.71
112		4210-05-050-0103-आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना के लिए भूमि अर्जन	0.11
113	21-शिक्षा विभाग	2202-01-109-0003-मध्य विद्यालयों के छात्रों का परिभ्रमण	28.72
114		2202-01-789-0101-उपकरण (संयत्र)	1.08
115		2202-02-001-0106-समन्वित विकलांग शिक्षा परियोजना	0.50
116		2202-02-109-0105-आई.टी.सी. परियोजना	53.00
117		2202-02-110-0007-गैर–सरकारी विद्यालयों को अनुदान	285.00
118		2202-03-103-0101-राजकीय महिला महाविद्यालय	2.00
119		2202-80-004-0112-जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनैतिक शोध संस्थान, पटना	1.00
120		2205-00-105-0011-राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता एवं राज्य सरकार की संयुक्त निधि को अनुदान	0.40
121	22-गृह विभाग	2055-00-001-0006-हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधित व्यय (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से होगी)	0.43
122		2070-00-108-0604-अग्नि एवं आकस्मिक सेवाओं के सुदृढ़ीकरण	6.00
123	23-उद्योग विभाग	2851-00-105-0101-बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता अनुदान	4.89
124		2851-00-789-0102-हस्तशिल्प के विकास	0.01
125		2851-00-789-0103-जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना	0.12
126		2851-00-789-0106-बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायक अनुदान	0.11
127		2852-80-102-0150-सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनियरिंग एवं टेकनोलॉजी हेतु स्थापना	0.70
128		2852-80-789-0103- सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनियरिंग एवं टेकनोलॉजी की स्थापना	0.05
129		4851-00-102-0102-औजार कक्ष प्रशिक्षण केन्द्र	2.50
130		6885-01-190-0101-बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम को ऋण	0.05
131		6885-01-190-0109-बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम को ऋण	0.20
132		6885-01-190-0110-बिहार राज्य वित्तीय निगम को ब्याज रहित ऋण	0.20
133		6885-01-190-0113-बिहार राज्य फिल्म विकास निगम	0.05
134	25-सूचना प्रावैधिकी विभाग	2852-07-202-0101-राष्ट्रीय ई–शासन योजना कॉमन सर्विस सेंटर	12.00
135		2852-07-202-0102-मुख्यमंत्री सचिवालय में जन शिकायत कोषांग	0.65
136		2852-07-202-0104-ई–क्रय योजना	1.00
137		2852-07-789-0101- राष्ट्रीय ई–शासन योजना (कॉमन सर्विस सेन्टर)	1.92
138		2852-07-789-0102-राज्य डाटा केन्द्र	1.20

परिशिष्ट 2.8

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
139	25-सूचना प्रावैधिकी विभाग	2852-07-789-0103-ई–शासन राज्य योजना	5.00
140		2852-07-789-0104-सूचना प्रावैधिकी विभाग का प्रचार एवं प्रसार योजना	1.20
141		3451-00-090-0131-सूचना प्रावैधिकी विभाग का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण	3.70
142		4859-02-789-0101-बिहार स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान)	2.00
143	26-श्रम संसाधन विभाग	2230-01-101-0109-कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण	0.50
144		2230-02-004-0103-ई.एम.आई. कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वेक्षण, शोध एवं मूल्यांकन	0.05
145		2230-03-003-0128-भविष्य में कुशल श्रम शक्ति की आकलन के लिए अध्ययन	0.05
146		4250-00-051-0101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों का निर्माण	4.00
147	29-खनन एवं भूतत्व विभाग	2853-02-004-0101-जियोलोजिकल एवं जी.पी.एस. लैब	1.00
148	30-अल्प–संख्यक कल्याण विभाग	2202-03-107-0105-कॉलेज में पढ़ रहे अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति	0.30
149		2202-03-107-0106-अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं को लोक सेवा आयोग की तैयारी हेतु कोचिंग की व्यवस्था	0.20
150		2250-00-003-0101-अल्पसंख्यक वर्ग के कामगारों को प्रशिक्षण	0.10
151		2250-00-800-0101-वक्फ संपत्ति के सर्वे का कम्प्यूटरीकरण कार्य	0.10
152		2250-00-800-0107-वक्फ संपत्ति के रख–रखाव, सुरक्षा तथा संरक्षण	0.20
153		2250-00-800-0108-वक्फ संपत्ति के विकास हेतु रिभोलभिंग निधि के रूप में सहायता अनुदान	0.30
154		4225-80-051-0102-अल्पसंख्यक समुदायों के महानुभावों के नाम से भवन निर्माण	0.10
155		7465-00-190-0102-मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना	15.00
156	35-योजना एवं विकास विभाग	3454-02-204-0620-भारतीय सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना	35.18
157		3454-02-204-0120- भारतीय सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना	2.60
158		3454-02-205-0003-राज्य सांख्यिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण–वित्त विभाग	7.60
159		3454-02-206-0101-वित्त आयोग–यू.आई.डी. कार्यक्रम	73.84
160		4070-00-051-0104-आपकी सरकार आपके द्वार	60.00
161	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	2215-01-198-0001-ग्राम पंचायतों को नलकूपों की मरम्मति हेतु सहायता अनुदान	7.20
162		2215-02-003-0102-बिहार राज्य जल स्वच्छता मिशन को प्रशिक्षण सह शोधकार्य के संचालन एवं अन्य कार्यों हेतु अनुदान	0.50
163		4215-01-102-0602-केन्द्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	10.00
164		4215-01-102-0112-केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का राज्यांश भू–गर्भीय जल रिचार्ज एवं रैनवाटर हारभेस्टिंग	0.50
165		4215-01-102-0115-जल संरक्षण, भू–गर्भीय जल रिर्चाज एवं रेन–वाटर हारभेस्टिंग	0.20
166		4215-01-102-0128-शोध कार्य	0.05
167		4215-01-789-0102-ग्रामीण जलापूर्ति योजना	2.50
168		4215-01-789-0104-ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति के लिए संरचना का विकास हेतु (नाबार्ड) से ऋण	8.33
169		4215-01-789-0105-अनाच्छादित, आंशिक अनाच्छादित, जल गुणवत्ता प्रभावित जिलों के आच्छादन हेतु नलकूपों का निर्माण	3.00

परिशिष्ट 2.8

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
170	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	4215-01-796-0107-ग्रामीण जलापूर्ति योजना	2.00
171		4215-01-796-0109-ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति के लिए संरचना का विकास हेतु (नाबार्ड) से ऋण	0.31
172		4215-01-796-0110-अनाच्छादित, आंशिक अनाच्छादित, जल गुणवत्ता प्रभावित जिलों के आच्छादन हेतु नलकूपों का निर्माण	0.30
173		4215-01-796-0115-ग्रामीण जलापूर्ति योजना	0.25
174	38-निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेद्य विभाग	2039-00-001-0007-उत्पाद दुकानों की बंदी के लिए मुआवजा	0.20
175	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2245-01-101-0001-निःसहायों एवं विकलागों को नगद भुगतान	25.00
176		2245-01-101-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति	10.00
177		2245-01-101-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान	0.10
178		2245-01-101-0004-सूखा प्रभावित व्यक्तियों को कपड़ों एवं बर्तनों का मुफ्त वितरण	0.01
179		2245-01-101-0006- अन्य कार्य (कृषि विभाग हेतु कृषि इनपुट अनुदान)	13.00
180		2245-01-101-0007-स्वरोजगार	0.01
181		2245-01-102-0001-ट्रकों एवं टैकरों से पेयजल की ढुलाई	5.00
182		2245-01-104-0001-चारे की पूर्ति	1.00
183		2245-01-105-0001-पशुओं के लिए दवा	0.50
184		2245-01-282-0001-दवाओं की आपूर्त्ति	0.10
185		2245-01-282-0002-जलापूर्ति हेतु कुओं आदि की मरम्मति	5.00
186		2245-02-101-0008-आग लगने से प्रभावित परिवारों को औषधियों की आपूर्ति हेतु अनुदान	0.50
187		2245-02-101-0011-नदियों के मार्ग में परिवर्त्तन के कारण भूमि के पर्याप्त भाग का क्षरण	2.00
188		2245-02-101-0012-विभिन्न पंचायतों में भूखमरी से प्रभावित परिवारों के लिए एक क्वींटल खाद्यान्न की सुरक्षित भंडार	5.34
189		2245-02-101-0013-स्वरोजगार योजना हेतु ग्रामीण विकास विभाग को नगद राशि आपूर्ति	0.10
190		2245-02-104-0001-चारे की पूर्ति	2.50
191		2245-02-105-0001-पशुओं के लिए दवा	2.00
192		2245-02-107-0001-सरकारी स्वास्थ्य एवं शिक्षा भवनों की मरम्मत एवं प्रत्यास्थापन	0.10
193		2245-02-108-0001-सरकारी आवासीय भवनों की मरम्मत एवं प्रत्यास्थापन	0.10
194		2245-02-112-0004-संचार उपकरणों का क्रय	1.00
195		2245-02-113-0002-आग से जले मकानों की मरम्मति/प्रत्यास्थापन	0.01
196		2245-02-114-0002-वार्षिक फसलों के लिए सहायता	0.50
197		2245-02-114-0004-बागवानी की फसलों के लिए सहायता	0.10
198		2245-02-114-0005-पेरिनियल (शाश्वत) फसलों के लिए सहायता	0.10
199		2245-02-115-0001-भूमि से रेत/गाद/लवणता साफ करने के लिए किसानों को सहायता	0.50
200		2245-02-115-0002-मत्स्य प्रक्षेत्र से गाद/बालू आदि का निकासन	0.10
201		2245-02-116-0001-खराब टयूबवेलों/पम्पसेटों आदि की मरम्मति के लिए किसानों को सहायता	0.10

परिशिष्ट 2.8

कम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
202	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2245-02-119-0001-पारम्परिक हस्तशिल्प बुनकरों को करघा उपकरणों की मरम्मति/पुर्नस्थापन हेतु सहायता	0.05
203		2245-02-119-0002-सूत एवं अन्य सामग्रियों के क्रय हेतु सहायता	0.05
204		2245-02-119-0003-हस्तकरघा बुनकरों को सहायता	0.13
205		2245-02-196-0001-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	0.05
206		2245-02-197-0001-प्रखंड स्तरीय पंचायतों/मध्य स्तरीय पंचायतों को सहायता अनुदान	0.05
207		2245-02-282-0001-मानव दवाओ 'की आपूर्ति	2.00
208		2245-02-282-0003-चलन्त स्वास्थ्य केन्द्र हेतु पी.ओ.एल. की आपूर्ति	1.00
209		2245-02-800-0007-गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त सहायक सामग्री के परिवहन पर होने वाले व्यय	0.10
210		2245-06-101-0001-मृत व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह अनुदान	0.10
211		2245-06-113-0001-भूकम्प से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति	0.05
212		2245-80-003-0001-आपदा प्रशिक्षण पर व्यय	0.05
213		2245-80-102-0007-शताब्दी अन्न कलश योजना	10.00
214		2245-80-102-0103-एन.डी.एम.ए.	0.04
215		2245-80-789-0101-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	0.50
216	41-पथ निर्माण विभाग	5054-02-337-0601-भारत नेपाल सीमा सड़क	200.00
217	42-ग्रामीण विकास विभाग	2216-03-105-0105-मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोधार योजना	10.00
218		2216-03-105-0106-मुख्यमंत्री इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना	10.00
219		2515-00-003-0101-बिहार ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान	4.10
220	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	4202-02-789-0101-पोलटेकनिक/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय	24.95
221	44-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	2225-01-102-0116-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	2.00
222		2225-01-277-0008-बुक बैंक की स्थापना	0.16
223		2225-01-277-0606-अस्वच्छ कार्यो में लगे व्यक्तियों के बच्चों के मैट्रिक स्तर पर छात्रवृत्ति	1.00
224		2225-01-277-0609-मेघा उन्नयन योजना	0.50
225		2225-01-793-0401-अनुसूचित जाति के बहुमुखी विकास	40.00
226		2225-01-800-0004-वैधिक सहायता	0.01
227		2225-02-102-0101-अनुसूचित जन जातियों का बहुमुखी विकास–संविधान की धारा 275 (1) के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्ति	11.03
228		2225-02-277-0601-वृतिका एवं छात्रवृत्ति	0.02
229		2225-02-277-0603-प्राक–परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	0.03
230		2225-02-800-0101-अन्य कल्याण कार्यकम	0.02
231	45-गन्ना उद्योग विभाग	2401-00-108-0108-गन्ना क्षय का राष्ट्रीय विकास (मैक्रोमोड राज्यांश 10:90)	0.17
232		2401-00-789-0107-कोपिंग प्रणाली पर आधारित गन्ना का राष्ट्रीय विकास	0.03
233		2852-08-789-0101-आर्थिक सहायक	4.56
234		2852-08-796-0101- आर्थिक सहायक	0.29
235	47-परिवहन विभाग	3055-00-003-0101-चालक प्रशिक्षण केन्द्र का उद्घाटन	1.55
236	48-शहरी विकास एवं आवास विभाग	2215-02-789-0102-गंगा जल प्रदूषण निवारण	4.80
237		2215-02-796-0104-गंगा जल प्रदूषण का निवारण	0.30
238		2217-05-191-0101-बी0 पी0 एल0 सूची तैयार करने के लिए पारिवारिक सर्वेक्षण	10.00

परिशिष्ट 2.8

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
239	48-शहरी विकास एवं आवास विभाग	2217-80-001-0101-बिहार नगरीय विकास परियोजना	58.00
240		2217-80-800-0133-अल्प लागत जलवाही शौचालय	0.50
241		3475-00-789-0101-स्वर्ण जयंति शहरी रोजगार योजना के लिए सहायक अनुदान	4.00
242	49-जल संसाधन विभाग	4711-01-051-0107-वित्त आयोग के अधीन बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें	83.25
243	51-समाज कल्याण विभाग	2235-02-101-0106-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	7.00
244		2235-02-102-0001-परिवार एवं बाल कल्याण	0.45
245		2235-02-102-0119-स्वास्थ्य पोषण से संबंधित निगरानी एवं अनुश्रवण (बाह्य संपोषित)	37.00
246		2235-02-103-0110-नारी शक्ति परियोजना	24.00
247		2235-02-103-0113-स्वस्थ्य पोषण से संबंधित निगरानी एवं अनुश्रवण (बाह्य संपोषित)	20.00
248		2235-02-104-0103-मदर टेरेसा पेंशन योजना	1.00
249		2235-02-106-0101-प्रतिप्रेक्षण गृह	5.70
250		2235-02-106-0108-बाल कल्याण समिति एंव किशोर न्याय परिषद	2.56
251		2235-02-200-0104-बिहार परिवार लाभ योजना	5.00
252		2235-02-789-0108-मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	6.00
253		2235-02-789-0109-मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	20.00
254		2235-02-800-0002-अंतर जातीय विवाह के लिए सहायक अनुदान	0.50
255		2235-02-800-0101-प्रदर्शनी, सेमिनार, सम्मेलन इत्यादि	0.50
256		4235-02-051-0101-समाज कल्याण प्रक्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न भवनों का निर्माण	8.60
257		4235-02-102-0103-बाह्य संपोषित योजना–समेकित बाल विकास योजना	218.35
258		4235-02-102-0105-स्वास्थ्य ऑगनवाड़ी केन्द्र (बाह्य संपोषित)	7.00
259		4235-02-102-0106-पर्यवेक्षण गृह, बाल गृह के लिए भवन	0.50
योग			**2851.00**

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा, बिहार सरकार)

परिशिष्ट 2.9

एवं 10 प्रतिशत से ज्यादा अभ्यर्पित न किए गए बचत की विवरणी

(संदर्भः कंडिका 2.3.8, पृष्ठ 47)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान/विनियोजन का संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना शेष रहा	प्रतिशत
1	04-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	38.14	30.32	7.82	20.50
2	11-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	36.97	14.08	22.89	61.92
3	12-वित्त विभाग	2478.87	212.60	2266.27	91.42
4	13-ब्याज संदाय	556.80	1.74	555.06	99.69
5	14-ऋण की वापसी अदायगी	13.12	9.00	4.12	31.40
6	15-पेंशन	1674.08	0.15	1673.93	99.99
7	18-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	168.46	141.22	27.24	16.17
8	21-शिक्षा विभाग	2837.23	1862.99	974.24	34.34
9	22-गृह विभाग	734.85	570.03	164.82	22.43
10	28-बिहार का उच्च न्यायालय	24.39	18.62	5.77	23.66
11	30-अल्प संख्यक कल्याण विभाग	428.82	63.93	364.89	85.09
12	32-विधान मंडल	11.96	10.66	1.30	10.87
13	33-सामान्य प्रशासन विभाग	110.63	74.00	36.63	33.11
14	37-ग्रामीण कार्य विभाग	427.17	370.09	57.08	13.36
15	42-ग्रामीण विकास विभाग	424.41	374.73	49.68	11.71
योग		**9956.90**	**3754.16**	**6211.74**	

(स्त्रोतः विनियोग लेखा, 2012-13, बिहार सरकार)

परिशिष्ट 2.10

31 मार्च 2013 को ₹ 10 करोड़ तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक निधियों का अभ्यर्पण के मामलें

(संदर्भः कंडिका 2.3.8, पृष्ठ 47)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	1	2401-फसल कृषि कर्म	800.88	403.24	50.35
2		2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	20.50	20.50	100.00
3		4401-फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	70.00	22.19	31.70
4	2	2403-पशुपालन	376.80	285.78	75.84
5		2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	20.00	20.00	100.00
6		3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	22.71	10.37	45.66
7	3	2059-लोक निर्माण कार्य	213.67	34.65	16.22
8		4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	19.00	12.46	65.58
9		4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	522.03	288.48	55.26
10		4408-खाद्यय भंडारण एवं भंडागार पर पूँजीगत परिव्यय	297.16	254.37	85.60
11	4	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	23.99	14.87	61.98
12	10	2801-उर्जा	87.89	75.19	85.55
13		2810-गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत	13.68	10.09	73.76
14		4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	858.88	685.25	79.78
15	12	2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	298.00	43.05	14.45
16		2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन	25.40	20.59	81.06
17		2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	198.91	107.66	54.12
18	16	2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	2182.38	453.22	20.77
19	17	2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर	114.87	46.90	40.83
20	18	3456-सिविल पूर्ति	56.90	53.82	94.59
21	20	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	323.67	49.29	15.23
22		2211-परिवार कल्याण	401.55	102.20	25.45
23		2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	25.00	25.00	100.00
24		4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	179.15	61.11	34.11
25	21	2202-सामान्य शिक्षा	3736.23	1601.50	42.86
26		4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	200.00	36.19	18.10
27	22	2055-पुलिस	310.39	92.95	29.95
28		2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	163.75	27.52	16.81
29		4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	109.09	76.80	70.40
30	25	2852-उद्योग	214.22	89.61	41.83
31		3451-सचिवालय–आर्थिक सेवाएं	20.00	11.86	59.30
32		4859-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	45.00	26.19	58.20
33	27	2014-न्याय प्रशासन	494.30	94.04	19.02
34	28	2014- न्याय प्रशासन	101.79	18.62	18.29
35	30	2202-सामान्य शिक्षा	15.00	11.50	76.67

परिशिष्ट 2.10

क्रम सं0	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशतता
36	30	4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	26.75	19.55	73.08
37		4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	37.25	14.88	39.95
38	33	2051-लोक सेवा आयोग	23.40	19.64	83.93
39		2053-जिला प्रशासन	276.03	43.58	15.79
40	35	2053- जिला प्रशासन	89.11	31.15	34.96
41		3451-सचिवालय–आर्थिक सेवाएं	411.39	411.37	99.99
42		3454-जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	186.42	106.81	57.30
43		4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1071.88	920.50	85.88
44		4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	400.00	150.00	37.50
45	36	2215-जलापूर्ति तथा सफाई	248.85	35.34	14.20
46		4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	323.39	170.55	52.74
47	37	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	206.91	40.31	19.48
48		3054-सड़क तथा सेतु	350.00	71.42	20.41
49	38	2039-राज्य उत्पाद	61.31	21.54	35.13
50	39	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	273.00	245.81	90.04
51	40	2029-भू–राजस्व	32.67	12.83	39.27
52	41	3054-सड़क तथा सेतु	269.40	75.65	28.08
53		5054-सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय	1725.00	792.16	45.92
54	42	2216-आवास	676.93	140.70	20.79
55		2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	240.00	40.59	16.91
56	43	4202-शिक्षा, खेल–कूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	147.95	74.00	50.02
57	44	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	461.52	94.93	20.57
58	45	2401-फसल कृषि कर्म	59.16	22.38	37.83
59		6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	22.58	13.63	60.36
60	48	2015-निर्वाचन	40.00	24.71	61.78
61		2217-शहरी विकास	441.12	223.34	50.63
62		3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	92.83	51.02	54.96
63	49	2700-मुख्य सिंचाई	90.69	12.60	13.89
64		2705-कमान क्षेत्र विकास	89.20	37.70	42.26
65		2711-बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	100.00	30.73	30.73
66		4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	848.80	365.11	43.01
67		4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	51.50	35.48	68.89
68		4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	184.75	33.83	18.31
69	50	2702-लघु सिंचाई	298.40	64.01	21.45
70		4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	268.00	105.78	39.47
71	51	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1477.30	313.10	21.19
72		2236-पोषाहार	585.99	117.71	20.09
73		4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	218.35	218.35	100.00
योग			**24970.62**	**10389.85**	

स्त्रोतःकार्यालय महालेखाकार लेखा एवं हकदारी से प्राप्त सूचना

परिशिष्ट 2.11

मार्च 2013 में संघटन व्यय

(संदर्भः कंडिका 2.3.9, पृष्ठ 47)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	वर्ष 2012–13 का कुल व्यय	माह मार्च 2013 में कुल व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता
1	2048	254.95	254.95	100.00
2	2217	1137.20	579.01	50.92
3	2404	162.52	107.93	66.41
4	2501	123.15	74.90	60.82
5	2515	3034.23	1713.56	56.47
6	2705	52.05	51.65	99.23
7	2810	6.55	5.59	85.29
8	2851	62.99	39.38	62.52
9	3452	25.16	15.45	61.41
10	3604	3.71	1.97	52.94
11	4047	12.65	9.24	73.01
12	4070	185.85	111.41	59.95
13	4202	364.44	340.88	93.54
14	4216	22.07	13.85	62.77
15	4217	2.00	2.00	100.00
16	4225	3.79	3.42	90.42
17	4406	5.20	2.65	50.97
18	4408	34.72	24.30	69.98
19	5053	26.75	24.69	92.31
20	6860	8.95	7.93	88.60
21	7465	5.00	5.00	100.00
योग		**7396.10**	**4421.04**	

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा, 2012-13, बिहार सरकार)

परिशिष्ट
2.12

(प्रत्येक मामले में) की असमाशोधित राशि की विवरणी

(संदर्भः कंडिका 2.5, पृष्ठ 48)

(₹ करोड़ में)

कम सं0	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि
1	2011-संसद/राज्य/संघ शासित क्षेत्र विधानमंडल	100.04	23.21
2	2013-मंत्रिपरिषद	15.68	11.85
3	2014-न्याय प्रशासन	526.56	192.43
4	2015-निर्वाचन	60.37	39.29
5	2029-भू–राजस्व	394.56	389.60
6	2039-राज्य उत्पाद	42.67	33.25
7	2041-वाहन पर कर	25.28	21.74
8	2048-ऋण घटाने या उसका परिहार के लिए विनियोजन	254.95	254.95
9	2049-ब्याज भुगतान	4428.31	4428.31
10	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ	140.81	61.72
11	2053-जिला प्रशासन	243.19	214.50
12	2054-कोषागार एवं लेखा प्रशासन	54.37	52.73
13	2055-पुलिस	3187.86	2023.62
14	2059-लोक निर्माण कार्य	267.78	251.84
15	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	232.50	72.69
16	2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	8363.53	8102.14
17	2202-सामान्य शिक्षा	13956.71	13529.57
18	2203-तकनीकि शिक्षा	62.80	35.44
19	2204-खेल–कूद तथा युवा सेवाएं	29.09	26.70
20	2205-कला एवं संस्कृति	31.57	22.56
21	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	1511.72	774.54
22	2211-परिवार कल्याण	324.17	245.25
23	2215-जलापूर्ति एवं सफाई	362.21	314.97
24	2216-आवास	804.74	642.62
25	2217-शहरी विकास	1137.20	656.98
26	2220-सूचना तथा प्रचार	73.97	22.57
27	2225-अनुसूचित जातियॉ, अनुसूचित जनजातियॉ एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1750.56	1749.42
28	2230-श्रम एवं रोजगार	93.35	71.11
29	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2004.59	1884.48
30	2236-पोषाहार	799.69	773.78
31	2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	211.25	200.57
32	2251-सचिवालय सामाजिक–सेवाएं	40.33	28.16
33	2401-फसल कृषि–कर्म	1813.90	20.46
34	2402-मृदा एवं जल संरक्षण	28.35	25.01
35	2403-पशुपालन	268.23	202.39
36	2404-डेयरी विकास	162.52	157.86
37	2405-मत्स्य पालन	94.28	75.04
38	2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी	165.85	165.85
39	2408-खाद्य भंडारण तथा भंडागार	27.61	24.35
40	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	307.16	301.27
41	2425-सहकारिता	268.88	208.44
42	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	123.15	120.47
43	2505-ग्राम नियोजन	274.86	274.85
44	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3034.23	2985.61

परिशिष्ट 2.12

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि
45	2701-मध्यम सिंचाई	68.14	40.24
46	2702-लघु सिंचाई	261.72	115.87
47	2705-कमांड क्षेत्र विकास	52.05	52.05
48	2711-बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास	200.95	58.02
49	2801-उर्जा	3193.38	2031.25
50	2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	62.99	14.16
51	2852-उद्योग	458.60	309.15
52	3054-सड़क तथा पुल	822.84	727.53
53	3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं	83.83	47.12
54	3452-पर्यटन	25.16	21.93
55	3456-सिविल आपूर्ति	481.15	368.46
56	4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	12.65	12.62
57	4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	257.28	257.28
58	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	260.59	260.59
59	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	185.85	185.85
60	4202- शिक्षा, खेल–कूद कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत व्यय	364.44	356.97
61	4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	562.50	562.50
62	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	258.37	257.86
63	4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय	22.07	22.07
64	4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	24.24	24.24
65	4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	93.38	88.83
66	4401-फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	24.81	24.81
67	4408-खाद्य भंडागार एवं भंडारण पर पूँजीगत परिव्यय	34.72	34.72
68	4425-सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	26.93	26.93
69	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	1874.40	291.37
70	4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	737.39	667.71
71	4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	78.76	74.46
72	4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	166.91	166.91
73	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय	956.99	956.99
74	4801-उर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	173.63	173.63
75	4859-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	18.81	18.81
76	5054-सड़क तथा पुल पर पूँजीगत परिव्यय	3291.10	3291.10
77	5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	78.54	60.19
78	5465-सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	16.50	16.50
	योग	**63333.09**	**53332.91**

(स्त्रोतःकार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट 2.13

निधि से निकासी की विस्तृत विवरणी

(संदर्भः कंडिका 2.6, पृष्ठ 49)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विभाग/मुख्य शीर्ष का नाम	प्रयोजन	राशि
1	2011	राज्य विधान सभा	चिकित्सा विपत्र का भुगतान	0.60
2			वेतन एवं भत्तों का भुगतान	0.18
3			कम्प्यूटर पेरीफेरल पर व्यय	0.80
4	2014	न्याय प्रशासन	बिहार के सभी न्यायाधीश कार्यालयों के लिए ई–कोर्ट मोड परियोजना के लागू करने पर व्यय	3.05
5			मोटर वाहन का क्रय (दो बार)	0.73
6			शिवहर न्यायालय भवन के सजावट पर व्यय	0.51
7			फोटो कॉपी मशीन, कम्प्यूटर पेरीफेरल के क्रय पर व्यय	0.30
8			वेतन एवं भत्तों पर व्यय	0.85
9	2041	मोटर वाहन पर कर	विशेष एवं व्यावसायिक सेवाओं पर व्यय	0.99
10	2051	लोक सेवा आयोग	राज्य सेवा आयोग के चेयर पर्सन के 15 वें राष्ट्रीय सम्मेलन पर व्यय	0.15
11	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएँ	ललित भवन पटना के किराये की बढ़ोतरी पर व्यय	0.14
12			वरीय उप बैंकिग क्लेक्टर पद के लिए भुगतान	0.12
13			मोटर वाहन का क्रय (चार बार)	0.20
14	2055	पुलिस	पुलिस पर्सनल के प्रशिक्षण पर व्यय	4.94
15			मोईनुल हक स्टेडियम के बकाया विद्युत विपत्र का भुगतान	0.53
16	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	वेतन एवं भत्तों का भुगतान	0.28
17			फारबिसगंज गोली कांड के न्यायिक कमीशन के अवधि विस्तार पर व्यय	0.74
18			कोशी डैम इरोजन के न्यायिक कमीशन की स्थापना पर व्यय	0.56
19			सहकारिता के चुनाव पर व्यय	0.90
20			लोक सुरक्षा संगठन पर व्यय (दो बार)	0.24
21			भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण पर व्यय (तीन बार)	0.32
22			भागलपुर न्यायिक जाँच आयोग के वेतन पर व्यय	0.22
23			नयी प्रशिक्षण इंस्टिच्यूट के उच्च जागरूकता एवं प्रसारण पर व्यय	0.87
24	2202	सामान्य शिक्षा	उर्दू अकादमी महोत्सव पर व्यय	0.20
25			मुख्यमंत्री पोशाक योजना पर व्यय	160.00
26			यू.जी.सी. कर्मचारियों को बकाया भुगतान	0.35
27	2205	कला एवं संस्कृति	अंतराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन पर व्यय	1.00
28	2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	अस्पतालों में पदस्थ ''ममता'' को भुगतान	5.75
29	2235	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	मोटर वाहन का क्रय	0.10
30			उच्च न्यायालय के भरडिक्ट के वेतन पर व्यय	0.42
31			वेतन में सहायता अनुदान पर व्यय	0.50
32	2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	खादीमूल हिजाज पर व्यय	0.16
33	2251	सचिवालय सामाजिक सेवाएँ	वेतन, बकाया एवं गाड़ियों के मरम्मत पर व्यय	0.17
34			मोटर वाहन का क्रय (तीन बार)	0.21

परिशिष्ट 2.13

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विभाग/मुख्य शीर्ष का नाम	प्रयोजन	राशि
35	2401	फसल कृषि कर्म	खरीफ फसल की सिंचाई के लिए डीजल क्रय पर भुगतान	200.00
36			मोटर वाहन का क्रय	0.10
37			फसल बीमा प्रिमियम का भुगतान	64.00
38	2405	मत्स्य	मत्स्य विकास कार्य पर व्यय	44.00
39	2406	वानिकी एवं वन्य जीवन	जल संवर्धन कार्य एवं जंगल भूमि पर व्यय	4.83
40	2408	खाद्य भंडारण एवं भंडारागार	गोदाम के निर्माण पर व्यय	16.00
41	2425	सहकारिता	मौसम समाप्ति पर उर्वरक भंडारण पर व्यय	15.00
42	2851	ग्राम एवं लघु उद्योग	वेतन भुगतान पर व्यय	5.88
43	3451	सचिवालय सामाजिक सेवाएँ	आयोजना स्थापना व्यय	0.16
44			मोटर वाहन का क्रय (दो बार)	0.21
45	4055	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	नक्सल प्रभावित जिलों में विशेष सुरक्षा पर व्यय	14.70
46	4058	लेखन सामग्री एवं मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	प्रिंटिग प्रेस गुलजारबाग, पटना पर व्यय	0.99
47	4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	बौद्ध संग्रहालय वैशाली के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण पर व्यय	15.52
48			राज्यपाल भवन के पास राजेन्द्र मंडप निर्माण पर व्यय (दो बार)	2.84
49			राजस्व प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण पर व्यय	0.90
50	4202	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	बी.आई.टी. भवन, पटना के निर्माण पर व्यय	2.00
51	4210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	कार्डियोलॉजी इंस्टिचूयूट, पावापुरी, नवादा के निर्माण पर व्यय	89.00
52	4406	वानिकी एवं वन्य प्राणी पर पूँजीगत परिव्यय	उच्च न्यायालय, पटना भरडिक्ट को भुगतान	0.50
43	6408	खाद्य भंडारण एवं भंडारागार के लिए ऋण	राज्य खाद्य निगम को गेहूँ खरीद के लिए ऋण (दो बार)	1000.00
54	6425	सहाकारिता के लिए ऋण	मौसम समाप्ति पर उर्वरक के भंडारण पर व्यय	45.00
55	6801	उर्जा परियोजना के लिए ऋण	बिहार राज्य पावर कम्पनी लिमिटेड को ऋण (सात बार)	739.94
56	6860	उपभोक्ता उद्योग को ऋण	चीनी कम्पनी कर्मचारी के निकायी समझौते पर व्यय	21.31
57			बिहार राज्य सुगर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों पर व्यय	1.00
योग				**2470.56**

परिशिष्ट 2.14

अभ्यर्पणों की विवरणी

(संदर्भः कंडिका 2.7.1, पृष्ठ 49)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या	शीर्ष	राशि	अभ्यर्पण के कारण
1	2	4403– पशुपालन पर पूंजी परिव्यय–00–109 विस्तार और प्रशिक्षण–0101–राज्य पशुपालन प्रशिक्षण कॉम्पलेक्स	07.32	अस्वीकृत आयोजना
2		2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा–03–पशुपालन–277–शिक्षा 0101–बिहार पशु विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय	20.00	
3		2403–पशुपालन–00–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0101–बैंक यार्ड बकरी पालन योजना	05.00	
4		2403–पशुपालन–00–109–विस्तार तथा प्रशिक्षण–0106–राज्य पशुपालन प्रशिक्षण कॉम्पलेक्स	2.68	
5		2403–पशुपालन–00–107–चारा तथा चारागाह विकास–0106–चारा बीज उत्पादन क्रय एवं वितरण की योजना	0.25	
6		2403–पशुपालन–00–104–भेड़ तथा ऊन विकास–0105 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1.30	
7		2403–पशुपालन–00–107–चारा तथा चारागाह विकास 0606– चारा बीज उत्पादन क्रय एवं वितरण योजना	1.00	
8		2405–मत्स्य पालन 00–001–निदेशन और प्रशासन– 0102– मत्स्य प्रसार	8.65	
9		2405–मत्स्य पालन–00–101– अंर्तदेशीय मत्स्य पालन– 0104–तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार	1.72	
10		2405–मत्स्यपालन–00–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0101– मछुआरों की सहायता	5.11	
11		2405–मत्स्यपालन–00–101–अंर्तदेशीय मतस्य पालन–0116 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	6.65	
12	22	4055–पुलिस पूँजीगत परिव्यय 00–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0101– भवनों का निर्माण एवं संधारण	79.28	गृह मंत्रालय के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना का अस्तित्व नहीं।
13		4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय 00–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 0101– भवन निर्माण के लिए बिहार अग्निशामक सेवा	03.39	
14	33	2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ–00–104–सर्तकता 0012–लोकायुक्त का कार्यालय (प्रभृत)	0.47	सचिव, उप सचिव एवं अन्य पद रिक्त रहने के कारण
15		2251–सचिवालय–समाजिक सेवाएँ–00–092–अन्य कार्यालय–0002–राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय	0.53	सूचना आयुक्त का दो पद रिक्त होने के कारण
16	35	3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–204–केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन 0401–सर्वेक्षण गणना	2.15	अस्वीकृत आयोजना

परिशिष्ट 2.14

क्रम सं.	अनुदान संख्या	शीर्ष	राशि	अभ्यर्पण के कारण
17	35	4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय–00–051–निर्माण–0109–योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण जिला स्तरीय योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में।	7.87	
18		2052–सचिवालय सामान्य सेवाएँ–00–090–सचिवालय–0103–योजना यंत्र का सुदृढ़ीकरण	0.15	अस्वीकृत आयोजना
19		3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी – 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–204–केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन–0120–भारत सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना	2.6	
20		2053–जिला प्रशासन–00–093–जिला स्थापनाएँ–0105– वित्त आयोग जिला नवाचार निधि	12.00	
21		4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय–00–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0102–सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	1.08	
22		2053–जिला प्रशासन–00–094– अन्य स्थापनाएँ–0109– योजना यंत्र का सुदृढ़ीकरण –जिला स्तरीय योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में।	0.20	
23		4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय– 00–051–निर्माण–0110–सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (योजना एवं विकास विभाग)	2.75	
24	36	4215–जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय–01–जलापूर्ति–102–ग्रामीण जलापूर्ति – 0603– त्वरित शहरी जलापूर्ति योजना	1.93	नई योजना अस्वीकृत
25	39	2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–80–सामान्य–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– 0101–जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	0.50	आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए जागरूकता एवं क्षमता निर्माण के लिए कोई विशेष योजना नहीं होने के कारण
26	51	2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण 104–वृद्व अशक्त तथा निःसहाय व्यक्तियों का कल्याण–0103–मदर टेरेसा पेंशन योजना।	1.00	आयोजना अस्वीकृत
27		2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–200–अन्य कार्यक्रम–0104–बिहार परिवार लाभ योजना।	5.00	आयोजना अस्वीकृत
योग			**180.58**	

परिशिष्ट
2.15

किये गए निधि का विवरण

(संदर्भः कंडिका 2.8.4, पृष्ठ 52)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	शीर्ष	राशि	पत्र संख्या	दिनांक
1	2047–अन्य राजकोषीय सेवाएँ–00–103–अल्प बचतों की अभिवृद्धि–0002–जिला प्रभार	0.70	402	25/03/2013
2	2047–अन्य राजकोषीय सेवाएँ–00–103–अल्प बचतों की अभिवृद्धि–0003–अल्प बचत प्रचार	0.04	403	25/03/2013
3	2048–ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन–00–101–निक्षेप निधि–0001–शोधन निधि	43.05	386	31/03/2013
4	2052–सचिवालय–सामान्य सेवाएँ–00–090–सचिवालय–0008–वित्त विभाग	9.60	397	31/03/2013
5	2052–सचिवालय–सामान्य सेवाएँ–00–090–सचिवालय–0015–भविष्य निधि लेखा स्थापना	0.26	1676	30/03/2013
6	2052–सचिवालय–सामान्य सेवाएँ–00–092–अन्य कार्यालय–0005– राज्य प्रशासनिक अंकेक्षण स्थापना मुख्यालय प्रभार	3.77	218	31/03/2013
7	2052–सचिवालय–सामान्य सेवाएँ–00–092–अन्य कार्यालय–0010–वित्तीय संस्थान एवं कार्यक्रम कार्यान्वन विभाग	0.28	396	31/03/2013
8	2054–खजाना तथा लेखा प्रशासन–00–095–लेखा तथा खजाना निदेशालय–0002–भविष्य निधि लेखा का संधारण	4.27	1675	30/03/2013
9	2054–खजाना तथा लेखा प्रशासन–00–095–लेखा तथा खजाना निदेशालय–0102–भविष्य निधि लेखा का संधारण	0.25	97	01/03/2013
10	2054–खजाना तथा लेखा प्रशासन–00–095–लेखा तथा खजाना निदेशालय–0103–बिहार राजस्व प्रशासन इन्ट्रानेट (ब्रेन परियोजना)	20.59	395	31/03/2013
11	2054–खजाना तथा लेखा प्रशासन–00–097–खजाना स्थापना–0001–कोषागार एवं अन्य उप कोषागार	3.47	391	31/03/2013
12	2058–लेखन सामग्री एवं मुद्रण–00–101–लेखन सामग्री भंडार क्रय एवं पूर्ति–0001–लेखन सामग्री कार्यालय	2.99	399	31/03/2013
13	2058–लेखन सामग्री एवं मुद्रण–00–102–फार्मो का मुद्रण, भंडार तथा वितरण–0001–फार्म प्रेस गया	2.45	394	31/03/2013
14	2058–लेखन सामग्री एवं मुद्रण– 00–103–सरकारी मुद्रणालय–0001–बिहार सचिवालय प्रेस।	2.70	398	31/03/2013
15	2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ–00–004–अनुसंधान एवं अनुसंधान विकास–0001–लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र	0.36	202	31/03/2013
16	2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ–00–800–अन्य व्यय–0008–विविध आकस्मिक व्यय	2.18	405	31/03/2013

परिशिष्ट 2.15

क्रम सं.	शीर्ष	राशि	पत्र संख्या	दिनांक
17	2204–खेलकूद तथा युवा सेवाएँ–00–104–खेल–कूद 0006–सचिवालय स्पोर्ट्स क्लब को सहायक अनुदान	0.15	401	31/03/2013
18	2515–अन्य विकास कार्यक्रम–00–102–सामुदायीक विकास–0114–बिहार ग्रामीण जीवीकोपार्जन परियोजना (विश्व बैंक संपोषित)	71.19	120	31/03/2013
19	2515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम–00–789–अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना–0101–राज्य ग्रामीण लाइबहुड योजना (विश्व बैंक)	36.47	121	31/03/2013
20	2515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम –00–796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना –0114– बिहार ग्रामीण जीवीकोपार्जन (विश्व बैंक)	3.22	122	31/03/2013
21	4058–लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय–00–103–सरकारी मुद्रणालय–0101–मशीनरी और उपस्कर सरकारी प्रेस गुलजारबाग के आधुनिकीकरण की योजना	0.02	400	31/03/2013
22	7610–सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि	4.57	404	31/03/2013
योग		**212.58**		

विभागीय व्यय के असमाशोधित आंकड़े

(संदर्भः कंडिका 2.8.5, पृष्ठ 53)

(₹ लाख में)

लेखे का शीर्ष	व्यय के आंकड़े		भिन्नता
	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखांकित	विभाग द्वारा दिखाये गये	
2047	339.31	338.84	0.47
2048	25495.36	25495.00	0.36
2052	4555.35	4510.92	44.43
2054	5438.48	4360.15	1078.33
2058	1294.12	1294.71	0.59
2070	94.51	92.77	1.74
2075	886.14	0.00	886.14
2515	9411.99	9412.00	0.01
7610	1646.08	1284.35	361.73
भिन्नता का योग			**2373.80**

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा, 2012–13, विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए व्यय राशि)

परिशिष्ट
2.17

31 मार्च 2013 को अपरिनिर्धारित गए निधि का विवरण

(संदर्भः कंडिका 2.9.3, पृष्ठ 54)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	अभ्यर्पित राशि
1	2203–तकनीकी शिक्षा–00–112–इंजीनियरींग /तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान 0001– स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	1.55
2	2203–तकनीकी शिक्षा–00–105–पॉलिटेकनीक– 0001–प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम (बहुशिल्प)	0.84
3	2203–तकनीकी शिक्षा–00–103–तकनीकी विद्यालय–0003–बी,आई,टी,, सिन्दरी	000
4	2203–तकनीकी शिक्षा–00–103–तकनीकी विद्यालय–0001–प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	0.17
5	2203–तकनीकी शिक्षा–00–102–तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता 0001–पटना विश्वविद्यालय	0.02
6	2203–तकनीकी शिक्षा–00–001–निदेशन और प्रशासन–0002–राज्य तकनीकी शिक्षा पर्षद	0.01
7	2203–तकनीकी शिक्षा–00–001–निदेशन और प्रशासन–0001–तकनीकी शिक्षा निदेशालय	0.41
8	2203–तकनीकी शिक्षा–112–इंजीनियरींग/तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान 0101–स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	0.49
9	2203–तकनीकी शिक्षा–105– पॉलिटेक्नीक –0101–स्नातक–पत्र पाठ्यक्रम (विश्वबैंक सम्पोषित) पॉलिटेकनीक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना	0.25
10	2203–तकनीकी शिक्षा–00–004–अनुसंधान–0101–बिहार कॉउन्सिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पटना रिमोट सेसिंग केन्द्र/इंदिरा गाँधी विज्ञान परिसर प्लेनेटोरियम, पटना	3.70
11	3451–सचिवालय, आर्थिक सेवाएँ–00–090–सचिवालय–0003–विज्ञान तथा तकनीकी विभाग	0.26
12	4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–02–तकनीकी शिक्षा 104–बहुशिल्प, 0403–नये पॉलिटेकनीक की स्थापना एवं वर्त्तमान पॉलिटेकनीकों का उन्यन	74.00
13	4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–02–तकनीकी शिक्षा–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0101– पॉलिटेकनीक/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय	1.00
14	4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 02–तकनीकी शिक्षा–105–इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान 0102– पॉलिटेकनीक/ इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय	2.72
15	4202–शिक्षा , खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 02–तकनीकी शिक्षा–104–बहुशिल्प–0102– पॉलिटेकनीक/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय	1.71
योग		**87.13**

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा, बिहार सरकार, 2012–13)

परिशिष्ट 3.1

लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुतीकरण में विलंब

(संदर्भः कंडिका 3.3, पृष्ठ 58)

क्रम सं0	निकाय का नाम	सौंपने की अवधि	जिस वर्ष तक लेखा प्रस्तुत किये गए	लेखा प्राप्ति की तिथि	जिस अवधि तक पृथक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी करने की तिथि	विधान मंडल में पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन रखना	लेखाओं की प्रस्तुति में विलंब	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना	2009-10	2007-08	15/07/2009	2007-08	31/05/2013	पत्र सं. 498/3926 दिनांक 22/12/2009 के अनुसार वर्ष 2001-02 तक	एक वर्ष 15 दिन	वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 के लेखे अब तक अप्राप्त
2	बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	2004-05 से आगे	2004-05 से 2011-12	22/04/2013	2003-04	13/05/2010	स्थापना की सूचना प्राप्त नहीं हुई	7 वर्ष से 9 माह	कोई नहीं
3	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना	स्थायी	2011-12	17/08/2012	2011-12	20/12/2012	स्थापन की सूचना प्राप्त नहीं हुई	एक माह 17 दिन	कोई नहीं
4	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर	2011-12	2011-12*	वर्ष 2011–12 का लेखा दिनांक 28/05/2013 को प्राप्त किया गया	2008-09	–	वित्तीय वर्ष 2001–02 से 2002–03 के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधान मंडल में स्थापन हेतु कृषि विभाग के पत्र सं. 3682 दिनांक 29/07/2009 से भेजे गये	10 माह 28 दिन	कोई नहीं

** वर्ष 2011–12 की अवधि के वार्षिक लेखे, में प्रबंधक बोर्ड के बिना अनुमोदन के कार्यालय में प्राप्त किये गये।]*

(स्त्रोतः लेखा परीक्षा निष्कर्ष)

परिशिष्ट 3.2

के परिचालन में प्रचुर व्यय

(संदर्भः कंडिका 3.7, पृष्ठ 60)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल व्यय	लघु शीर्ष–800 के अंतर्गत व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय की प्रतिशतता
1	2075	विविध सामान्य सेवाएँ	8.87	8.86	99.89
2	3452	पर्यटन	25.16	20.24	80.45
3	5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	78.54	78.59	100.06#
योग			**112.57**	**107.69**	

इनमें ₹ 0.05 करोड़ तक की लेखा वसूली शामिल है फलतः इसकी प्रतिशतता 100 से अधिक है।

(स्त्रोतः वित्त लेखा, वर्ष 2012–13)

परिशिष्ट 3.3

लघु शीर्ष 800 – अन्य प्राप्तियों के परिचालन में प्रचुर प्राप्ति

(संदर्भः कंडिका 3.7, पृष्ठ 60)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियों की प्रतिशतता
1	0029	भू–राजस्व	205.45	113.16	55.08
2	0059	लोक निर्माण	6.06	6.05	99.83
3	0071	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियाँ	150.98	150.20	99.48
4	0075	विविध सामान्य सेवाएँ	22.03	21.10	95.78
5	0210	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	41.02	21.14	51.54
6	0215	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	3.18	2.13	66.98
7	0230	श्रम एवं रोजगार	3.69	2.32	62.87
8	0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	0.98	0.98	100.00
9	0250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	0.66	0.61	92.42
10	0401	फसल कृषि–कर्म	7.18	4.33	60.31
11	0425	सहकारिता	10.95	10.03	91.60
12	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	20.90	20.69	99.00
13	0851	ग्राम तथा लघु उद्योग	0.08	0.05	62.50
14	0852	उद्योग	27.69	27.69	100.00
15	1053	नगर विमानन	8.25	8.09	98.06
16	1054	सड़क एवं पुल	32.56	32.47	99.72
17	1456	असैनिक आपूर्ति	0.04	0.04	100.00
योग			**54170.00**	**421.08**	

(स्त्रोतः वित्त लेखा, वर्ष 2012–13)

परिशिष्ट 3.4

गबन के मामलों का प्रतिवेदन

(संदर्भः कंडिका 3.8, पृष्ठ 60)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विभाग/इकाई	संबंधित अवधि	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	राशि
1.	शिक्षा (जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास)	2007–08 से 2008–09	395/2012–13	0.21
2.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य–निषेध (अधीक्षक उत्पाद, सीतामढ़ी)	2010–11 से 2011–12	137/2012–13	0.07
3	परिवहन (जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर)	2011–12	48/2012–13	0.01
योग				**0.29**

(स्त्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्ष)

संकेताक्षरों की शब्दावली

संकेताक्षरों की शब्दावली

क्रम सं0	संकेताक्षर	पूर्ण विस्तार
1	ए. एण्ड ई	लेखा एवं हकदारी
2	ए.सी	सार आकस्मिक
3	ए.ई	संचयी व्यय
4	ए. आइ. ए	अखिल भारतीय औसत
5	ए पी	वार्षिक योजना
6	बी बी एम	बिहार बजट नियमावली
7	बी ई	बजट अनुमान
8	बी टी सी	बिहार कोषागार संहिता
9	सी ए जी	नियंत्रक– महालेखापरीक्षक
10	सी ए जी आर	मिश्रित वार्षिक विकास दर
11	सी ई	पूँजीगत व्यय
12	सी एफ एस	राज्य के संचित निधि
13	सी एस एफ	संचित निक्षेप निधि
14	डी सी	विस्तृत आकस्मिक
15	डी सी आर एफ	ऋण संकलन एवं राहत सुविधा
16	डी डी ओ	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
17	डी ई	विकास व्यय
18	डी आर डी ए	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
19	ई एस	आर्थिक सर्वेक्षण
20	जी आई ए	सहायता अनुदान
21	जी ओ बी	बिहार सरकार
22	जी ओ आई	भारत सरकार
23	जी एस	सामान्य सेवाएँ
24	जी एस डी पी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
25	आई ए वाई	इंदिरा आवास योजना
26	आई जी ए एस	भारत सरकार लेखाकरण मानक
27	एम टी एफ पी	मध्यकालिक राजकोषीय नीति
28	एन ए बी ए आर डी	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
29	एन पी आर ई	गैर –योजना राजस्व व्यय
30	एन एस एस	राष्ट्रीय लघु बचत
31	एन एस एस एफ	राष्ट्रीय लघु बचत निधि
32	एन टी आर	करेत्तर राजस्व
33	ओ टी आर	स्वयं कर राजस्व
34	पी ए सी	लोक लेखा समिति
35	पी एफ	भविष्य निधि
36	पी एम जी एस वाई	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
37	आर बी आई	भारतीय रिजर्व बैंक
38	आर ई	राजस्व व्यय
39	आर आर	राजस्व प्राप्तियाँ
40	एस एण्ड डब्लू	वेतन एवं मजदूरी
41	एस ए आर	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
42	एस एस	सामाजिक सेवाएँ
43	एस एस ए	सर्व शिक्षा अभियान
44	टी एच एफ सी	तेरहवें वित्त आयोग
45	यू सी	उपयोगिता प्रमाण –पत्र
46	भी ए टी	मूल्य वर्धित्त कर